लोक-सभा

बुधवार,
७ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक सभा

बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र

***१५१६. श्री डी० सी० शर्मा**: क्या **रक्षा मंत्री** निम्नलिखित बातें दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में नौसेना के सैनिकों आदि को प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों की संख्या; और

(ख) उन स्थानों के नाम जहां ये केन्द्र हैं और उन लोगों की संख्या जो एक साथ इन में प्रशिक्षण ले सकते हैं?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) दस।

(ख) यह बताना लोक हित में नहीं है कि ये केन्द्र कहां कहां पर हैं और इन में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण ले सकते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या सरकार का यह इरादा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाय ?

सरदार मजीठिया: जी नहीं; अभी नहीं क्यों कि हमारी राय में आजकल इन केन्द्रों में जिनने व्यक्ति प्रशिक्षण पाते हैं वे नौसेना के लिए काफी हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या इन लोगों को प्रशिक्षण देने के काम के लिए विदेशी टेकनीकल जानकार भी हैं या भारत के टेकनीकल जानकार ही पर्याप्त हैं ?

सरदार मजीठिया: इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है परन्तु जहां तक मुझे याद है प्रशिक्षण देने वालों में कोई विदेशी नहीं है।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या प्रशिक्षण पाने वालों को नौसेना सम्बन्धी अभ्यासों के लिए विदेश भी भेजा जाता है या केवल भारत में ही नौसेना अभ्यासों तक ही यह प्रशिक्षण सीमित है ?

सरदार मजीठिया: यह प्रशिक्षण केवल इस लिए है कि प्रशिक्षण पाने वाले नौसेना में काम करने योग्य हो सकें। जहां तक अभ्यासों का सम्बन्ध है, सम्भवतः माननीय सदस्य वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यासों की बात सोच रहे हैं जो कि हमारी नौसेना अन्य समुद्री बेड़ों के साथ मिल कर करती है।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या यह सच है कि गवर्नमेन्ट इस बात की तजवीज कर रही है कि ज़्यादा ट्रेनिंग सेन्टर खोल कर के जो नेवल पर्सोनल हैं उन को बढ़ाया जाय ?

सरदार मजीठिया : मैं ने पहले भी कहा है कि अभी गवर्नमेन्ट के सामने ऐसी कोई तजवीज नहीं है । मगर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उन का काम बढ़ाया जा सकता है।

कपड़े का क्रय

*१५१७. **श्री इब्राहीम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में रक्षा सेनाओं के कर्मचारियों के लिए कितना कपड़ा खरीदा गया; और

(ख) इस में से करघे का बना हुआ कपड़ा कितने प्रतिशत था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) १९५४-५५ में रक्षा सेनाओं के कर्मचारियों के लिए लगभग ६० लाख गज़ कपड़ा खरीदा गया ।

(ख) बिल्कुल नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार ने हथकरघे का कपड़ा खरीदने के प्रश्न पर विचार किया है, और यदि हां, तो उस का क्या फल हुआ है ?

सरदार मजीठिया : निश्चय ही सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है, परन्तु, जैसे कि कुछ समय पहले रक्षा संगठन मंत्री ने इस प्रश्न पर प्रकाश डाला था, हथकरघे का कपड़ा वर्दियों के लिए उपयुक्त, नहीं है और हमें अधिकतर वर्दियों के लिए ही कपड़े की जरूरत होती है। और प्रयोग के लिए जैसे तौलिये, झाड़न रसोइयों के एपरन और टोपियें, चाय और ट्रे के कपड़े नैप्किन, घोड़ों के पलने, बैलों के झूल, झण्डे और झण्डियां, अस्पतालों को चादरें और बारकों की चादरें यह कपड़ा खरीदा जा रहा है।

श्री धुलकर : माननीय मंत्री ने अन्त में जिन चीज़ों का नाम लिया उन के लिए कितने मूल्य का हथकरघे का कपड़ा लिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि मेरे पास मूल्य के अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

श्री डाभी : इन वर्दियों के प्रश्न को छोड़िए, क्या वैसे खादी खरीदी जा रही है ?

सरदार मजीठिया : मैं ने लगभग १५ चीज़ों का ब्योरा दिया है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं उन के नाम फिर से बताऊं .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि ये चीजें जिस कपड़ से बनती हैं उस का सूत ही हाथ से कता होता है या वह हाथ से बुना हुआ भी होता है ।

सरदार मजीठिया : वे हथकरघे के कपड़े से बनती हैं । मेरे पास यही जानकारी है ।

श्री एन० बी० चौधरी : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जितना जो कपड़ा खरीदा गया बताया गया है उस में से देसी कितना है और विदेशी कितना ?

सरदार मजीठिया : सारा ही देसी है परन्तु मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता ।

बम्बई में नौसेना नावांगन (डाकयार्ड)

*१५१८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई में नौसेना के नवांगन को और बढ़ाने का काम शुरु हो गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जी, हां ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस काम पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

सरदार मजीठिया : १५ साल में इस नवांगन को बड़ा करने के काम पर २४ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

अन्तर्राष्ट्रीय छात्रालय, दिल्ली

*१५१९. **श्री झूलन सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ के आय-व्ययक में दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रालय (इंटर-नेशनल स्टूडेंट्स हाउस) बनाने के लिए जो राशि रखी गई थी क्या उस में से कुछ धन इस काम के लिए खर्च किया गया है; और

(ख) इस वर्ष जो राशि रखी गई है उसे किस प्रकार खर्च करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) इस का ब्यौरा दिल्ली की अन्तराष्ट्रीय छात्रालय संस्था (देहली इंटर-नेशनल स्टूडट्स हाउस सोसाइटी) तैयार कर रही है ?

श्री झूलन सिंह : इस संस्था के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

डा० एम० एम० दास : इस संस्था का पंजीयन पिछले महीने हुआ है और अब वह इस योजना का ब्यौरा तैयार कर रही है ।

पैट्रोलियम रियायत नियम

*१५२०. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार विदेशी कम्पनियों पर लागू होने वाले पैट्रोलियम रियायत सम्बन्धी नियमों के पुनरीक्षण पर विचार कर रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : जी, हां । पैट्रोलियम रियायत सम्बन्धी पुनरीक्षित नियम सभी कम्पनियों—चाहे वे भारतीय हों या विदेशी—पर लागू होंगे ।

श्री विश्व नाथ राय : इन पुनरीक्षित नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : एक विधेयक का प्रारुप तैयार किया जा रहा है और सम्भव है कि इस समय मैं विस्तार से न बता सकूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ये नये नियम बनाते समय खान के पट्टों से होने वाले लाभ को भी ध्यान में रखेगी विशेषकर इस कारण कि स्वर्गीय श्री बुरागोहिन ने कहा था कि आसाम आयल कम्पनी को तीन सौ प्रतिशत लाभ हो रहा है ? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं देखता हूं कि पट्टे देते समय पहले १० वर्गमील का दो रुपये प्रति एकड़ और उस पर १० प्रतिशत लिया जाता है। सरकार पट्टे का रुपया बहुत कम दर पर लेती है और कम्पनियों को बहुत अधिक लाभ होता है । क्या सरकार इस पहलू पर भी विचार कर रही है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि नये नियम बनाते समय सारे राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जायगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न पूछा जाय । ये नियम तो अभी बने भी नहीं ।

छावनी पुनर्संगठन

*१५२१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **रक्षा** मंत्री ३१ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाटिल समिति की सिफारिशों के अनुसार छावनियों के पुनर्संगठन में तब से क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : अब तक १३ छावनियों के बारे में आखरी फैसला किया जा चुका है। बाकी ४ छावनियों के सम्बन्ध में पाटिल कमेटी ने जो सिफ़ारिशें की थीं, उन पर सम्बन्धित राज्य-सरकारों की सलाह से अभी विचार हो रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं, कि यह चार छावनियां कौन हैं, जिन पर तीन वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक विचार किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : लंडूर, नैनीताल, पंचमढ़ी और बनारस।

श्री भक्त दर्शन: जहां तक मुझे याद है, पिछली बार इसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने फरमाया था कि नैनीताल और लंठौर छावनियों को छोड़ दिया जायेगा, यानी कैन्टोनमेन्ट ऐक्ट वहाँ लागू नहीं होगा, जिस का मतलब यह हुआ कि उन को पड़ोस की म्युनिसिपैलिटी में शामिल कर दिया जायेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि उन्हें म्युनिसपैलिटी में शामिल करने में क्यों देरी हो रही है ?

सरदार मजीठिया : अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जैसा मैं ने कहा है, राज्य सरकारों से सलाह मश्विरा कर के उन पर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : पाटिल कमेटी ने जिन १७ छावनियों के बारे में सिफारिश की थी, उन के अलावा भी क्या इस प्रकार की और भी कोई छावनियां हैं जिन को पड़ोस की म्युनिसिपैलिटी में मिलाया जा सकता है और क्या उन के ऊपर भी विचार किया जा रहा है, जैसे अलमोड़े के बारे में, जहां की जनता ने रिप्रेजेन्टेशन दिया है ?

सरदार मजीठिया : हां, जहां जहां की जनता अपनी राय प्रकट करेगी कि वह चाहती है कि पड़ोस की म्युनिसिपैलिटी में शामिल हो, उस पर विचार किया जायेगा ?

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि और जो छोटी छोटी छावनियां हैं, जैसे बकलोह, उन में भी कैन्टोनमेन्ट ऐक्ट हटा दिया जायेगा ?

सरदार मजीठिया : बकलोह छावनी जो है वहां मैं कोई दो महीने हुए गया था। वहां के बसने वाले मुझ से मिले थे। लेकिन वहां मुश्किल यह है कि जो दो बाज़ार हैं उन को एक साथ नहीं निकाला जा सकता क्योंकि एक बाज़ार नज़दीक है और दूसरा दूर है । जो बाज़ार दूर है उस के मुताल्लिक अभी विचार किया जा रहा है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा छावनी का जो हिस्सा चुंगी में मिलाया जाना है, उस का निश्चय कब तक हो जायेगा ?

सरदार मजीठिया: कोशिश की जा रही है कि वह जल्दी से जल्दी किया जाय।

रक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य

*१५२२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितने निर्माण कार्य बिना प्राक्कलन तैयार किए और बिना टैक्नीकल मंजूरी लिए शुरू किये गये ;

(ख) क्या ये काम समय पर समाप्त हुए ; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं को पुनः होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) प्राक्कलन तैयार किये बिना कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। बिना टैक्नीकल मंजूरी लिये १९५२-५३ में १२७ और १९५३-५४ में २२९ निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये।

(ख) जी, हां।

(ग) मुख्य इंजीनियरों को हिदायत दी गयी है कि वे टेण्डर देने वालों को टेण्डर सम्बन्धी कागज़ जारी करने से पहले टैक्नीकल मंजूरी दे दें।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या कोई ऐसा स्थायी आदेश है कि ऐसी अनियमित बातें न की जायं और यदि हां, तो ये निर्माण कार्य किन परिस्थितियों में प्रारम्भ किये गये ?

सरदार मजीठिया : १९५२-५३ में प्रक्रिया बदली गयी और समुचित आदेश क्या हैं इस सम्बन्ध में गलत फहमी रही इसी लिये देरी हुई। परन्तु अब मैं कह सकता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार का विचार है कि प्रशासन और वित्त से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न अधिकारियों को समुचित शक्तियां दे दी जांय जिस से कि ऐसी अनियमित बातें न हों ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसी अनियमितता फिर नहीं होगी। और जहां तक मैं समझ पाया हूं यह प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से चल रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कितने मामलों की ओर ध्यान दिलाया गया है ?

सरदार मजीठिया : मैं पहले ही बता चुका हूं कि टैक्नीकल मंजूरी के बिना १९५२-५३ में १२७ और १९५३-५४ में २२९ निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गये।

श्री एस० एन० दास : आदेशों के निर्वाचन में कौनसी बात दुर्व्यथक या अस्पष्ट थी जिस के कारण ये निर्माण कार्य बिना टैक्नीकल मंजूरी के प्रारम्भ कर दिये गये ?

सरदार मजीठिया : पहले यह प्रक्रिया थी कि ठेका मंजूरी किये जाने या काम प्रारम्भ होने से पहले टैक्नीकल मंजूरी दी जाती थी। १ अक्टूबर १९५२ में नियम यह बना दिया गया कि टैण्डर मांगने से पहले टैक्नीकल मंजूरी दी जाय। इस प्रकार इस के दो अर्थ निकाले जाने की सम्भावना थी और इस के कारण यह सारा कुछ हुआ।

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) के ठेकेदार

*१५२४. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५५ को पूरे हो जाने वाले निर्माण कार्यों के संबन्ध में ठेकेदारों के कितने बिल अभी एम० ई० एस० के पास भुगतान के लिए लम्बित हैं ; और

(ख) उन्हें निवटाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) पूरे हो गये निर्माण कार्यों के संबन्ध में ठेकेदारों के शेष लम्बित बिलों की कुल संख्या ३१-३-५५ को ५७७ है।

(ख) बकाया भुगतानों को निवटाने के लिये निम्न कार्यवाही की गयी है :-

(१) प्रत्येक टुकड़ी के इन्जीनियर से बकाया भुगतानों के बिलों का एक मासिक विवरण मांगा गया है ;

(२) टुकड़ी के इन्जीनियरों को आदेश दिया गया है कि वह काम पूरा होने के ४५ दिनों के भीतर अन्तिम बिल बना दिया करें ;

(३) मुख्य इन्जीनियर समय-समय पर बकाया भुगतानों के बिलों की स्थिति का पुनर्विलोकन स्वयं करते हैं ;

(४) मुख्य इन्जीनियर ने बिलम्ब के कारणों का पता लगाया है और उन्हें निवटाने के लिए कार्यवाही की गयी है।

श्री गिडवानी: इन में से कितने मामले ठकेदार और विभाग के बीच विवादों के कारण लम्बित हैं? क्या लोक लेखा समिति के सुझाव के अनुसार इन मामलों को निवटाने के लिए न्यायिक पदाधिकारी का मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त कर दिया गया है या इन्जीनियरिंग विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मामलों को निवटाने की पुरानी प्रणाली अब भी जारी है ?

सरदार मजीठिया: स्थिति यह है कि एम० ई० एस० प्रति वर्ष लगभग २,२०० बिलों को निवटाता है। मैं बता चुका हूं कि ५७७ बिल शेष हैं। इनमें से, २८९ चार महीने से कम पुराने है अतः वे बहुत अधिक समय से लम्बित नहीं हैं। शेष २८८ बिल चार महीने से अधिक समय से लम्बित हैं। इन में से अधिकांश पूर्व-विभाजन के बिलों से सम्बन्धित हैं और ऐसे भवनों से सम्बन्धित हैं जिनका निर्माण युद्ध काल में हुआ था और जिनके मूल बिल नहीं मिल रहे हैं। उन की जांच आदि करनी है। इसीलिए बिलम्ब हो रहा है।

श्री गिडवानी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लम्बित मामले या उन में से कुछ मामले ठेकेदारों और विभाग के विवाद के कारण लम्बित हैं और क्या लोकलेखा समिति के सुझाव के अनुसार एक न्यायिक पदाधिकारी का एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : जब हम न्यायाधिकरण की जरूरत समझते हैं तो हम पदाधिकारियों का एक न्यायाधिकरण अवश्य नियुक्त कर देते हैं।

श्री गिडवानी : क्या यह न्यायाधिकरण इन्जीनियरिंग विभाग के पदाधिकारी का न्यायाधिकरण है या लोकलेखा समिति द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण होगा जिसमें एक बड़े न्यायिक पदाधिकारी को मिला कर तीन व्यक्ति होंगे ?

सरदार मजीठिया : नहीं, यह केवल विभाग का है।

श्री गिडवानी : तो क्या लोकलेखा समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ ऐसे ठेकेदारों के बिल भी हैं जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं और वे इस लिए रोक

लिए गये थे कि उन ठेकेदारों की राष्ट्रीय आन्दोलन से सहानुभूति थी या उन्हों ने उस आन्दोलन में सहयोग दिया था ?

सरदार मजीठिया : ऐसे मामले सामने नहीं आए, मगर जैसा कि मैं ने कहा कि कुछ बिल ऐसे हैं जो कि लड़ाई के जमाने के हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि मुल्क के बटवारे से पहले के हैं और उन के मुताल्लिक पूरे कागज़ात हमारे पास नहीं हैं जो यह बता सकें कि कौन से टैंडर थे या क्या कुछ था । इस वास्ते इन के मुताल्लिक देरी हो रही है ।

श्री धुलेकर : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि ठेकेदारों को आय-कर विभाग बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि आय-कर विभाग के लोग पूरे किये गये कामों की आय पर कर लगा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं है । पर यदि माननीय सदस्य के सामने ऐसा कोई मामला है और वह उसे सरकार के सामने लायेंगे तो उस पर अवश्य उचित बिचार किया जायेगा ।

बुद्ध जयन्ती

*१५२५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अगले वर्ष २५००वीं बुद्ध जयन्ती मनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां जी ।

(ख) ८,५६,००० रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ८,५६,००० रुपये की इस राशि के अतिरिक्त १,५५,००,००० रुपय के लगभग बौद्धों के पुण्यस्थानों पर नई सड़कों के निर्माण, पुरानी सड़कों की मुरम्मत, विश्रामशालाओं के निर्माण, पुरानी विश्राम–शालाओं की मरम्मत, बिजली लगाने और पानी की मुख्य पाईयों और आशयों का प्रबन्ध करने में व्यय किया जायगा । पर चुंकि ये योजनायें में हमारी सामान्य विकास योजना की एक अभिन्न अंग है अतः इनकी राशियों को दी गयी राशियों में सम्मिलत नहीं किया गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सारनाथ पर क्या खर्च किया जायेगा जो कि हमारी कांस्टिट्यूएंसी में है ?

डा० एम० एम० दास : उत्तर प्रदेश में सारनाथ पर भारत सरकार २१,०३,००० रुपये व्यय करेगी और राज्य सरकार को ११,९१,००० रुपये व्यय करना पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ज्यादा है ।

श्री एस० एन० दास : क्या समारोह के व्योरों का अन्तिम निश्चय कर लिया गया है, और यदि हाँ, तो उनकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

डा० एम० एम० दास : सांस्कृतिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में व्योरों का निश्चय हो गया है । सांस्कृतिक कार्यक्रम में निम्न कार्यक्रम सम्मिलित है :—

(१) बुद्धकालीन कला की प्रदर्शनी;

(२) "बौद्ध धर्म एक सांस्कृतिक बल है" इस विषय पर गोष्ठी— जहां तक सम्भव है, यह कार्य-

क्रम यूनेस्को के तत्वाधान में होगा;

(३) रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'मातेर पूजा' नाटक का अभिनय;

(४) "बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष"; और

(५) "चित्रों में बौद्ध धर्म"— इन दोनों का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ;

(६) "पाली त्रिपिटक" के तीन खण्डों का देवनागरी में प्रकाशन;

(७) बौद्ध धर्म पर प्रलेखचित्र ; और

(८) विदेशी प्रतिनिधियों का भ्रमण ।

श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रख कर कि इसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है और पड़ोसी देश भी इस में दिलचस्पी ले रहे हैं, क्या सरकार सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक बोर्ड या एक समिति बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि सारा कार्यक्रम उनकी देखभाल में हो और यह समारोह बड़े पैमाने पर मनाया जाय ?

डा० एम० एम० दास : उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् के सभापतित्व में एक उच्च-शक्ति सम्पन्न समिति बना दी गयी है जिस के सदस्य बिहार, उत्तर प्रदेश और भोपाल के मुख्य मंत्री हैं ; क्योंकि इन्हीं राज्यों में अधिकतर बौद्धधर्म के पुण्यस्थान हैं । इस के अतिरिक्त मैं समझता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इन पड़ोसी राज्यों से भी सम्बन्ध स्थापित कर रहा है जहां बौद्धधम एक मुख्य धर्म है ।

श्री जांगड़े : क्या यह सत्य है कि इस बुद्ध जयन्ती के अवसर पर दलाई लामा को आने का निमन्त्रण दिया गया है और उन्होंने यह निमन्त्रण स्वीकार भी कर लिया है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार बुद्ध जयन्ती को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मनाना चाहती है, या धार्मिक दृष्टिकोण से ?

डा० एम० एम० दास : यह सांस्कृतिक समारोह है, धार्मिक नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है, कि यह धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है ।

श्री कामत : राजनैतिक कूटनिति के दृष्टि कोण से ?

रक्षा सेना परिषदें

*१५२६. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेनाओं के तीनों पार्श्वों का नियंत्रण करने के लिये परिषदें बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब बनाई जाएंगी ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पहले ही एक समिति बनी हुई है, जिसे रक्षा मंत्री की समिति कहा जाता है, जिसके तीनों सेनाओं के मुख्याधिकारी सदस्य हैं, और प्रत्येक सेवा के लिये पृथक् समिति भी है, जो मुख्यतया वही काम

करती है जो अन्य देशों की परिषदें करती हैं। अब यह समितियां पहले से अधिक काम किया करेंगी और माननीय सदस्य ने जिन परिषदों का उल्लेख किया है, वे उन के विकल्प के रूप में समझी जायेंगी। कुछ समय तक स्थिति की ध्यानपूर्वक देख रेख की जाएगी।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या सरकार ने ये परिषदें न बनाने का निश्चय कर लिया है, जिन के बारे में प्रधान मंत्री ने प्रतिज्ञा की थी, जब कि वह उस विधेयक विषयक चर्चा का उत्तर दे रहे थे, जो इन सेवाओं के मुखियाओं की पदवी को बदलने के लिये सभा के सामने लाया गया था?

डा० काटजू : प्रधान मंत्री ने इसका वर्णन अवश्य किया था, परन्तु जैसा कि मैं ने उत्तर में कहा, हमारे पास इन परिषदों का विकल्प अथवा प्रतिवस्तु है और मैं देखना चाहता हूं कि उन से कैसे काम चलेगा अन्यथा, यदि कोई कमी रही, तो हम परिषदें बना लेंगें।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या इंगलिस्तान में, जहां ये परिषदें हैं, कोई रक्षा विशेषज्ञ रक्षा परिषदों की प्रणाली का अध्ययन करने और ऐसी रक्षा परिषदों की प्रणाली की सिफारिशें करने के लिये, जो हमें अपनी रक्षा सेवाओं के लिये चाहिये, भेजे गये थे?

डा० काटजू : मैं प्रायः विदेशों में प्रतिनिधि या शिष्टमण्डल भेजने के पक्ष में नहीं हूं; हमें देश की समस्याओं को स्वदेशी तरीके से सुलझाना है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमैंट यह समझती है कि युनाइटिड किंगडम में डिफ़ैन्स कौंसिल का जो सिस्टम है, उसका उद्देश्य, हमारी सशस्त्र सनाओं में जो कमेटियां बनी हुई हैं, उन्हीं से पूरा हो सकेगा? अगर यह बात नहीं है, तो फिर माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन क्यों दिया था?

डा० काटजू : जहां तक मैं सवाल को समझा हूं, जो कौंसिल विलायत में है, उसमें सर्विस चीफ़ और मिनिस्टर रहते हैं और हमारी कमेटी में भी वही तरीका है।

श्री कामत : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या १५२७ और १५४७ को प्रश्न संख्या १५३४ के साथ इकठ्ठा ले लिया जाए; बशर्ते प्रश्नकर्ता उपस्थित हो?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १५३४ का प्रश्नकर्ता अनुपस्थित है। क्या माननीय मंत्री के लिये प्रश्न संख्या १५२७ और १५४७ का एक साथ उत्तर देना सुविधाजनक होगा?

डा० एम० एम० दास : जी, हां।

मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

*१५२७. **श्री कामत :** क्या शिक्षा मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५५-५६ के लिये मैट्रिक के बाद के अध्ययन के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने की योजना के अन्तर्गत नवीन छात्र-वृत्तियों के लिये कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्रमशः राज्यवार और श्रेणीवार इस आंकड़े का ब्योरा क्या है;

(ग) कितनी नवीन छात्रवृत्तियां दी गई हैं, और वे कितने मूल्य की हैं; और

(घ) इन दोनों आंकड़ों का राज्यवार और श्रेणीवार पृथक् पृथक् क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ४९]**

(ग) तथा (घ): अभी विद्यार्थियों का वरण पूरा नहीं हुआ है। जो जानकारी मांगी गई है वह यथासम्भव शीघ्रता से सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

छात्रवृत्तियों का नवीकरण

*१५४७. **श्री कामत** : क्या शिक्षा मंत्री इस जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों को दी गई कितनी छात्रवृत्तियों का इस वर्ष नवीकरण किया गया है और उन पर कितना धन लगेगा ; और

(ख) इन में से प्रत्येक आंकड़ों का राज्यवार और श्रेणीवार पृथक् पृथक् क्या ब्योरा है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). १९५५-५६ में जिन विद्यार्थियों ने अपनी छात्रवृत्तियों के नवीकरण के लिये प्रार्थना की है उनकी संख्या देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५०]** जिन विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों की आय निश्चित सीमा की है और पिछली वार्षिक परीक्षा पास करने पर जिनका अगली बड़ी श्रेणी में प्रवेश हुआ है, उनकी छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया जा सकता है। मैडिकल तथा इंजीनीयरी वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों का भी, जो पहली बार ५ प्रतिशत की कमी से असफल रहे हैं, नवीकरण किया जायेगा। नवीकरण की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या और उन पर होने वाले कुल व्यय के सम्बन्ध में जानकारी यथासंभव शीघ्रता से सभा-पटल पर रखी जायेगी।

श्री कामत : क्या अनुसूचित आदिम-जातियों के सभी विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां मिल सकती हैं, या केवल उन्हीं को मिलती हैं, जो संविधान की पंचम अनुसूची के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में रहते हैं ?

डा० एम० एम० दास : अनुसूचित आदिमजातियों के सब विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी होते हैं, अनु-सूचित क्षेत्र या गैर-अनुसूचित क्षेत्र का विचार किये बिना ये छात्रवृत्तियां मिलती हैं ?

श्री कामत : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से मालूम होता है कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से छात्र-वृत्तियों के लिये जो प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, वे उन अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में बहुत कम हैं। अनुसूचित आदिमजातियों के बीच योजना का प्रचार करने के लिये प्रचार का क्या माध्यम अपनाया गया था ?

डा० एम० एम० दास : हम ने छात्रवृत्तियों की इस योजना के बारे में समस्त देश के १२६ प्रमुख समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया है। फिर हम ने विश्व-विद्यालयों, राज्य सरकारों और मैट्रिक से ऊपर शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाओं को परिपत्र भी भेजे हैं।

श्री कामत : प्रश्न संख्या १५४७ के उत्तर से उत्पन्न छात्रवृत्तियां देने के बारे में, सरकार ने छात्रवृत्तियां पाने वालों को नियमित रूप से और समय पर छात्र-वृत्तियों की राशि देने की क्या व्यवस्था की है?

डा० एम० एम० दास : छात्रवृत्तियां दो छमाही किस्तों में नियमित रूप से और ठीक समय के अन्दर दी जाती हैं, यदि विद्यार्थियों की ओर से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। उदाहरण के लिये, कभी वार्षिक परीक्षा परिणाम नहीं भेजा जाता; कभी समय पर अन्य जानकारी नहीं दी जाती। ये अनुदान देने से पूर्व इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री कामत : क्या छात्रवृत्तियां पाने वाले लोगों से कोई शिकायत आई थी कि उन्हें ठीक समय पर छात्रवृत्तियां नहीं मिलतीं ?

डा० एम० एम० दास : माननीय सदस्य को अनुभव करना चाहिये कि...

श्री कामत : मैं अनुभव करता हूं।

डा० एम० एम० दास : ...इस वर्ष हमारे पास नवीन और नवीकरण के कुल ५४,५२७ प्रार्थनापत्र आये हैं। इस में से फिलहाल लगभग २६,००० छात्रवृत्तियां प्रयोगात्मक रूप में देने का हमारा विचार है। किसी कारण इस में कुछ विलम्ब हो सकता है, क्योंकि इन में प्रत्येक प्रार्थनापत्र की जांच पड़ताल करनी होगी। इसलिये हो सकता है कि किसी मान्य एवं ठोस कारण से कुछ विलम्ब हो जाये।

श्री जांगड़े : क्या सरकार को पता है या क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि शुरुआत में लड़कों को—विद्यार्थियों को—भर्ती होते समय बहुत खर्च बैठता है, इसलिए या तो उनको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है या रुपया कर्ज़ लेना पड़ता है और बाद में सिक्स-मन्थली इन्स्टालमेंट्स (छमाही किस्तों से उन को पढ़ाई में बहुत दिक्कत पेश आती है और चिन्ता के कारण उनका स्टैंडर्ड गिर जाता है ? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उनको प्रतिमास स्कालरशिप दिया जाय और अगर उनको दिया जाय, तो कितने अतिरिक्त क्लार्क रखने पड़ेंगे और एस्टाब्लिशमेंट पर कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा?

डा० एम० एम० दास : हमें ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला जब कि किसी विद्यार्थी को इस कारण अपनी शिक्षा छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ा हो। किन्तु हम ने समस्त विश्वविद्यालयों और मैट्रिक के बाद की शिक्षा देने वाली अन्य संस्थाओं को इस वर्ष ११ जुलाई को एक परिपत्र भेजा है और उन से निवेदन किया है कि वे इस प्रकार के विद्यार्थियों को जो अर्ह हैं, शुल्क देने के लिये मजबूर न करें क्योंकि जब छात्रवृत्तियों की राशि संस्थाओं में पहुंचेगी, तो शुल्क उस में से काट लिया जा सकता है। तथापि यद्यपि छमाही किस्तें संस्थाओं के प्रधाना-ध्यापकों को भेज दी जाती हैं, संस्थाओं को ही विद्यार्थियों में ये छात्रवृत्तियां बांटने का काम सौंपा जाता है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि सापेक्ष रूप से अनुसूचित जातियों के इतने कम अभ्यर्थी होने का एक कारण यह भी है कि उन क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित आदिमजातियां रहती हैं, शिक्षा की कोई सुविधायें नहीं हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह दूसरा प्रश्न है। यह सच है कि वह शिक्षा की

दृष्टि से अधिक पिछड़े हुए हैं। इसी कारण प्रार्थनापत्रों की संख्या कम है।

श्री कामरोल्कर : क्या यह सच है कि १९५५-५६ के आय-व्ययक में जो राशि मंजूर की गई है, वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, और पिछड़े वर्गों के पात्र विद्यार्थियों के प्रार्थनापत्रों की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय से इस के लिये निवेदन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

खनिज मंत्रणा बोर्ड

*१५२८. **श्री हेम राज :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज मंत्रणा बोर्ड ने ६ जुलाई, १९५५ को श्रीनगर में आयोजित बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें की थीं ; और

(ख) सरकार ने किस प्रकार की सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५१]**

श्री हेम राज : क्या स्वामित्व तथा मृत भाटक समिति के निर्णयों पर बोर्ड ने बिचार किया है और क्या मृत भाटक के बारे में उस बोर्ड ने कोई निर्णय किया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में पूरी जानकारी सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण में दी गई संख्या ५ और ९ सिफारिशों के बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सिफारिशों की स्थिति यह है कि संख्या २ और ८ सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और आवश्यक कार्यवाही की गई है। सिफारिश संख्या ९ और १० के बारे में इस समय कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही उन पर अन्तिम निर्णय किये जाएंगे।

श्री वी० पी० नायर : विवरण के परिच्छेद ८ से पता चलता है कि बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि जब तक इस क्रोम अयस्क के निक्षेप को पूरी तरह से नहीं आंका जाता, तब तक कोई दीर्घ कालीन निर्यात नीति नहीं बनाई जानी चाहिए। यदि यह बहुत कम मात्रा में पाया गया तो सरकार उस मात्रा को जो अब उपलब्ध है कैसे परिरक्षित करेगी ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यदि माननीय सदस्य सिफारिश संख्या ८ का उल्लेख कर रहे हैं, तो सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री हम राज : क्या सरकार ऐसे करारों का, जो कुछ वर्ष पूर्व समवायों और ग्राम समुदायों के बीच हुए थे और जो वृहदाकार हैं, संशोधन करना चाहती हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सिफारिशें विचाराधीन हैं।

रक्षित बैंक द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान

*१५२९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षित बैंक का औद्योगिक वित्त के पीठों की स्थापना करने के लिये कुछ विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वित्त विश्वविद्यालयों को यह अनुदान मिलता है; और

(ग) प्रत्येक अनुदान की राशि क्या है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). भारत के रक्षित बैंक ने कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र के अध्ययन के हित कुछ पीठों के लिये अनुदान देना स्वीकार कर लिया है; और औद्योगिक वित्त के एक पीठ के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान दिया जा रहा है ।

(ग) इस समय पांच वर्षों के लिये ३५,००० रुपये प्रति वर्ष ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि रक्षित बैंक ने अर्थशास्त्र के कुछ विषयों के अध्ययन के लिये कुछ पीठ स्थापित करना स्वीकार कर लिया है । इस औद्योगिक वित्त के अतिरिक्त और क्या विषय है ?

श्री ए० सी० गुह : रक्षित बैंक ने कुछ अन्य पीठों के लिए भी अनुदान दिया है; बम्बई विश्वविद्यालय में धन सम्बन्धी अर्थशास्त्र के लिए एक, पूना विश्वविद्यालय में कृषि सम्बन्धी अर्थशास्त्र के लिये एक, और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का भारतीय स्कूल, दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के लिये एक ।

डा० राम सुभग सिंह : इन विश्वविद्यालयों को इन विषयों के अध्ययन के लिये कितनी राशि दी गई है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं इस समय ठीक आँकड़े बताने में असमर्थ हूं ; किन्तु मैं समझता हूं कि न्यूनाधिक रूप में ये ही आंकड़े हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों को कितनी अवधि के लिए अनुदान दिया जायेगा ?

श्री ए० सी० गुह : फिलहाल पांच वर्ष के लिये; किन्तु, तीन वर्षों के पश्चात् यह निश्चय किया जायेगा कि क्या इसे स्थायी रूप दिया जा सकता है ।

चूने के पत्थर के निक्षेप (डिपोजिट)

*१५३०. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़गढ़ के पास चूने के पत्थर के ऐसे निक्षेप पाये गये हैं जिनसे ऊंची किस्म का सीमेंट बन सकता है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा उपलब्ध हो सकेगी; और

(ग) क्या राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी विवरण-पत्र के रूप में सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५२]**

श्री बलवन्त सिंह महता : सरकार ने ऐसे कितने निक्षेपों का पता लगाया है जहां सीमेंट के कारखाने लगाये जा सकते हैं, और प्लानिंग मिनिस्टर को किन किन स्थानों की सिफारिश की है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : सदस्य महोदय ने एक विशेष प्रश्न पूछा था चित्तौड़गढ़ के बारे में, और यह जो प्रश्न है यह ज्यादा व्यापक है । यदि वह इसका नोटिस देंगे तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

नौसेना नावांगन शिशिक्षु विद्यालय, बम्बई

*१५३१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना नावांगन शिशिक्षु विद्यालय, बम्बई से सन् १९४९ से कुल कितने शिक्षार्थी निकले हैं;

(ख) इस संस्था का क्या उद्देश्य है ।

(ग) ये शिशिक्षु क्या अर्हतायें प्राप्त करते हैं; और

(घ) इस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ८९ ।

(ख) भारतीय नौसेना नावांगन में शिल्पिक कामकरों और अधीक्षकों के रूप में अपेक्षित शिल्पिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

(ग) इस विद्यालय से कोई विशेष अर्हतायें या उपाधियां नहीं मिलतीं, किन्तु शिशिक्षुओं को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है और प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रमाण-पत्र दिया जाता है ।

(घ) ५ वर्ष ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि पांच वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद इन शिशिक्षुओं को सिद्धांत और व्यवहार में इतनी प्रशिक्षा मिलती है कि वे फिटरों (सामान जोड़ने वालों) की अर्हता प्राप्त करते हैं, जो अर्हता उन्हें केवल एक वर्ष बाद किसी भी साधारण औद्योगिक संस्था से प्राप्त हो सकती है ?

सरदार मजीठिया : मुझे यह मालूम नहीं, किन्तु मैं कह चुका हूं कि इन शिशिक्षुओं को सामान जोड़ने का एक विशेष प्रशिक्षण मिलता है जिस से वे भारतीय नाविक नावांगन में सेवानियुक्त हो सकते हैं और हमारा विचार है कि वे पांच वर्ष तक अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात के बावजूद कि ये इतना काम करते हैं और उन्हें पांच वर्ष तक प्रशिक्षण मिलता है, क्या यह सच है कि अधिकारियों ने सरकार से यह सिफारिश की है कि इस विद्यालय से बाहर जाने वाले शिशिक्षुओं को छोटा छोटा सामान जोड़ने वालों की श्रेणी में रखा जायेगा और २२ वर्ष तक ६० से १३० रुपये तक का मूल (बुनियादी) वेतन दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण से छूटने के बाद उन्हें जो मिलेगा उससे यह २७ रुपये अधिक होगा ?

सरदार मजीठिया : संभवतः माननीय सदस्य के पास नवीनतम आंकड़े नहीं हैं । अन्य बातों के अतिरिक्त, इन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में ८७ रुपये ८ आने प्रति मास मिलता है और तीसरे और चौथे वर्षों में प्रति मास ५ रुपये की बढ़ती भी मिलती है । प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् इन्हें ट्रेडसमेन ग्रेड १ में १२७ रुपये ८ आने प्रति मास मिलता है ।

उसके पश्चात चार्जमैन के रूप में इन्हें २३५ रु० प्रति मास मिल सकता है, और तत्पश्चात् इंस्पेक्टर बनने पर ३६२ रुपय ८ आने और फोरमैन बनने पर ४७७ रुपये ८ आने प्रति मास मिलता है। ये आंकड़े माननीय सदस्य द्वारा जोड़े गये आंकड़ों से सर्वथा भिन्न हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि उस अनुबन्ध करार के अनुसार—यह वह करार है जिसके अनुसार उन्हें इस प्रशिक्षु विद्यालय से निकालने के बाद ८ वर्ष की सेवा करनी पड़ती है—उन्हें माननीय मंत्री द्वारा गिनाई गई श्रेणियों में सेवा प्राप्त करने का आश्वासन दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : योग्य पाये जाने तथा परीक्षायें उत्तीर्ण करने पर उन्हें इन नौकरियों में लिया जा सकता है। मैं बता चुका हूं कि यह अनुबन्ध इसी विशिष्ट कारण से है कि उन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करने के बाद हम उन्हें सेवा से मुक्त नहीं करते। यदि प्रथम ३ महीनों के अन्दर वे यह अनुभव करते हैं कि वे शिशिक्षा को जारी नहीं रखना चाहते तो वे उन्हें एक महीने की पूर्व सूचना दे कर जा सकते हैं।

रेड आइरन ओक्साइड (रक्त अयो-जारेय)

* **१५३२. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप ने मैसूर राज्य में रेड आइरन ओक्साइड (रक्त अयो-जारेय) के कटिबन्ध का स्थान निर्धारित किया है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : हां, श्रीमान्।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस निक्षेप (खान) का स्थान निर्धारित होने के बाद भारत सरकार या मैसूर सरकार ने प्रयोग आरम्भ किया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : भारत सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं। यदि वे चाहते हों तो राज्य सरकार वहां कोई कारखाना खोल सकती है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस भूतत्वीय परिमाप ने देश के किसी अन्य भाग में रेड आइरन ओक्साइड के ऐसे कटिबन्ध पाय हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझ मालूम नहीं। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी का सम्बन्ध है, मैसूर में ही यह रेड आइरन ओक्साइड पाया गया है।

श्री भागवत झा आज़ाद : पूर्व की घोषणा के अनुसार भूतत्वीय परिमाप का १२ वस्तुओं का सर्वेक्षण कराने का क्या अभिप्राय है ? हमने पता लगाया है कि रेड आइरन ओक्साइड के निक्षेप हैं। क्या भारत सरकार राज्य सरकारों से यह सिफारिश करना चाहती है कि यदि उन्हें कोई कच्ची धातु (अयस्क) मिल जाय तो वह उसका खनन आरम्भ करें ?

डा० के० एल० श्रीमाली : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस सारे मामले की छानबीन की है और यह अनुभव किया है कि देश में रंग-रोगन उद्योग पहले से ही सुसंस्थापित है और बहुत सी ऐसी अन्य वस्तुयें हैं जिनकी रंग-रोगन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और यह काम रेड आइरन ओक्साइड से ही होगा। यदि राज्य सरकार को इस प्रकार की संभावना का पता चले तो वह इस पर काम शुरू

कर सकती है किन्त भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को मालूम है कि टी० एच० हालैंड और एक और विख्यात भूतत्ववेत्ता द्वारा किये गये सर्वेक्षण में मलबार के बहुत से स्थानों पर, जैसे नीलाम्बर, वान्दुर और एडाकुरिची में हेमाटाइट (शोभितिज) या रेड आइरन ओक्साइड (रक्त अयो-जारेय) के बहुत बड़े निक्षेप पाये गये ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मैसूर राज्य-क्षेत्र तक ही सीमित है।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं कि क्या हेमाटाइट (शोभितिज) किसी अन्य स्थान से भी प्राप्त होता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछा जाता है, न कि जानकारी देने के लिए।

श्री वी० पी० नायर : यह उसी कट्टिबन्ध (पेटी) में है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मैसूर तक सीमित है।

कोलम्बो योजना

*१५३३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हैराल्ड स्टैंसन ने जो कि अमेरिकन विदेशीय प्रवर्तनों के प्रधान हैं, गत ओटावा सम्मेलन में हिन्द-चीन में विद्रोह के अस्थायी विराम के परिणामस्वरूप कोलम्बो योजना में सम्मिलित देशों को कुछ सहायता देने का वचन दिया था ;

(ख) क्या ऐसी कोई सहायता अब तक दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो किन किन देशों को ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां, श्रीमान्। श्री स्टैंसन ने घोषणा की थी कि अमेरिका की सरकार की यह इच्छा है कि जो बचत हिन्द-चीनी विद्रोह की समाप्ति के परिणाम-स्वरूप हुई है उसका कुछ भाग कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं पर, प्रैजीडैंट आइज़नहोवर की मानवीय नीतियों के अनुसरण में लगाया जाये।

(ख) और (ग). सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या निधि का कोई आवंटन किया गया है, और यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री बी० आर० भगत : अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या आगामी कोलम्बो योजना देशों के सिंगापुर सम्मेलन में अमेरिका से और अधिक सहायता के प्रश्न को भी कार्यसूची में रखा जाने को है ?

श्री बी० आर० भगत : प्रकटतया, कोलम्बो योजना से सम्बद्ध प्रत्येक बात पर इस वार्षिक सम्मेलन में चर्चा की जायेगी और कार्यसूची में रखे गये विषयों में आवंटन भी एक है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के समक्ष समस्या धन की कमी की नहीं है बल्कि समस्या सम्बद्ध दल द्वारा आवंटित रकमों को व्यय करने की सामर्थ के अभाव की है ?

क्या दलों के व्यय करने की क्षमता को बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : यह बात क्षेत्र के समस्त देशों के बारे में सत्य नहीं है । भारत जैसे देश में अधिक व्यय होता है । उसके लिये यह सहायता थोड़ी है किन्तु यह सच है कि कुछ अल्प विकसित देशों का व्यय क्षमता को बढ़ाया जाना है और इसके लिये सदैव चर्चा होती है और उसे बढ़ाने के लिये मार्ग तथा साधन ढूढे जाते हैं।

भारतीय कविता की एन्थोलोजी (भारतीय काव्य चयनिका)

***१५३६. श्री के० सी० सोधिया**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काव्य की वार्षिक एन्थोलोजी का प्रकाशन हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके प्रकाशन के होने की कब तक सम्भावना है ; और

(ग) इस प्रकाशन पर कुल कितनी लागत लगने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) अभी नहीं।

(ख) पांडुलिपि प्रैस भेजने के लिये तैयार की जा रही है ।

(ग) इस प्रकाशन का मूल्य अभी मालूम नहीं किया गया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस काम के करने के लिए कोई बोर्ड बनाया गया है ?

डा० एम० एम० दास : प्रत्येक भाषा के लिए मंत्रणा बोर्ड हैं जो साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए हैं । इन बोर्डों ने इस काम को हाथ में ले लिया है ।

श्री के० सी० सोधिया : यह जो बोर्ड बना है क्या वह पोएम्स को भी छांटने का काम करता है ?

डा० एम० एम० दास : प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी ने एक मंत्रणा बोर्ड बनाया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इसके लिए उनको कोई पारिश्रमिक भी दिया जायगा ।

डा० एम० एम० दास : बोर्ड एक मंत्रणा बोर्ड है, इसलिए मेरे विचार में इसे कुछ नहीं मिलेगा । किन्तु यह प्रस्थापना की गई है कि प्रत्येक भाषा की दस कविताएं देवनागरी लिपि में लिखी जायें और उनका अनुवाद हिन्दी में किया जाए । इस काम के लिए, अर्थात् प्रत्येक भाषा की कविताओं को देवनागरी लिपि में लिखने, तथा हिन्दी में उनका अनुवाद करने, प्रूफ पढ़ने आदि के लिए पारिश्रमिक दिया जायगा जो कि दस कविताओं के लिए २५० रुपए होगा ।

श्री के० सी० सोधिया : यह काम कब तक होने की उम्मीद है ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पांडुलिपि प्रैस भेजे जाने के लिए तैयार की जा रही है ।

भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम

***१५३७. सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह मंत्री २५ नवम्बर, १९५४ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कितने राज्यों

ने प्रस्थापित भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम के संशोधन के बारे में अपने उत्तर भेज दिए हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : २४ राज्यों ने ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने उत्तर भेज दिए हैं ?

श्री दातार : आसाम, कुर्ग तथा आंध्र को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने उत्तर भेज दिए हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हिदायत दी है कि जनसंख्या के कुल एक प्रतिशत भाग को शस्त्रों की अनुज्ञप्तियां दी जा सकती हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार पंजाब के सीमावर्ती ज़िलों में इस प्रश्न के उदारीकरण पर विचार करेगी ?

श्री दातार : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में कोई सुझाव देना अभी समय से पूर्व की बात है । सरकार शस्त्रास्त्र अधिनियम के उपबन्धों तथा शस्त्रास्त्र नियमों के उपबन्धों के यथासंभव उदारीकरण करने का विचार रखती है, और इसी कारण उसने सुझाव मांगे हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि पंजाब में अनुज्ञप्तियों को इस कारण रद्द कर दिया जाता है कि केन्द्रीय सरकार आबादी के एक प्रतिशत से अधिक को अनुज्ञप्तियां दिए जाने की आज्ञा नहीं देती है ?

श्री दातार : मुझे ऐसी किन्हीं घटनाओं के बारे में ज्ञान नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : सरकार इस सभा में एक संशोधित शस्त्रास्त्र अधिनियम प्रस्तुत करने के बारे में दिए गए वचन को कब तक पूरा करेगी ?

श्री दातार : यथा संभव शीघ्र, संभवतया इसी सत्र में ।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस अधिनियम में संशोधन करने से पहले क्या सरकार नियमों में संशोधन करने की प्रस्थापना करती है ताकि अनुज्ञप्तियां जारी करने का तरीका सुविधापूर्ण हो जाए क्योंकि इस समय यह तरीका बड़ा कठोर तथा अनालम्य है ?

श्री दातार : नियमों में संशोधन, विधि में संशोधन किए जाने के बाद ही होगा पहले नहीं ।

नागार्जुन कोंडा में खुदाई

*१५३९. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनकोंडा की खुदाई से प्राप्त पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं को रखने का क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) कौतुकालय का वर्तमान भवन तथा पास ही के एक मकान का उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) कुछ नहीं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : खुदाई कार्य के कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

डा० एम० एम० दास : इस खुदाई कार्य के समाप्त होने में अभी तीन या चार साल और लगेंगे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या यह अनुमान किया गया है कि यह खुदाई का कार्य नागर्जुनकोंडा बांध के पूरा होने से पहले समाप्त हो जायगा ?

डा० एम० एम० दास : हां, क्योंकि बांध बनकर तैयार हो जाने पर समस्त घाटी पानी में डूब जायेगी । इसलिए इससे पहले कि सारी घाटी पानी में डूब जाये अर्थात् इस से पूर्व कि बांध बनकर तैयार हो हमें यहां खुदाई कार्य को समाप्त कर लेना चाहिए ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं उन भवनों की अनुमानित लागत जान सकता हूं जिनके इस प्रयोजन के लिए निर्माण किए जाने की सम्भावना है ?

डा० एम० एम० दास : यह तो उन पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं पर निर्भर करता है जिन्हें हम खोद कर निकाल सकते हैं, वहां से ले जा सकते हैं और सुरक्षण कर सकते हैं ।

विदेशी

*१५४०. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५५, से कितने विदेशी राष्ट्रीय जनों को भारत में अनधिकृत रूप से ठहरने के अपराध में पकड़ा गया तथा न्यायालयों द्वारा दण्ड दिया गया; और

(ख) प्रत्येक मामले में कारावास दंड की अवधि कितनी थी और कितना जर्माना किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

चौधरी मुहम्मद शफी : इसे कब तक सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

श्री दातार : इस जानकारी को एकत्रित करने के अधिकार न केवल हमारे ही अधिकारियों को दिए गए हैं बल्कि राज्यों के अधिकारियों को भी दिए गए हैं और इस काम में कुछ समय लगेगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार का ध्यान हाल ही की एक प्रैस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि एक विदेशी राष्ट्रजन, जो कि एक स्त्री है, कश्मीर में उसको दिये गये आज्ञा पत्र की अवधि से अधिक समय तक वहां रही थी ?

श्री दातार : मैंने तत्सम्बन्धी समाचार समाचार-पत्रों में पढ़ा है ।

अस्पृश्यता

*१५४१. **श्री काजरोल्कर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को १९५५-५६ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन अस्पृश्यता निवारण के लिये (राज्यवार) कुल कितनी रकम आवंटित की गई है; और

(ख) १९५४-५५ में इसी प्रयोजन के लिये किये गये आवंटनों में से विभिन्न राज्यों ने कितनी रकम वापस कर दी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री काजरोल्कर : क्या यह सच है कि आवंटित १५ करोड़ रुपयों में से राज्य सरकारों द्वारा दस करोड़ रुपये का उपयोग भी चार वर्ष की अवधि में नहीं किया गया है?

श्री दातार : यह ठीक नहीं है। केवल थोड़े से भाग का ही उपयोग नहीं किया गया था, किन्तु वह भाग प्रथम पाँच वर्षों के अंतिम वर्ष में दिया जायेगा।

श्री तिम्मय्या : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से केवल अस्पृश्यता निवारण के लिये ही नहीं, बल्कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों की शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी स्पष्ट योजनायें तथा प्रस्थापनायें मांगी हैं?

श्री दातार : जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिक कार्यक्षेत्र दिया गया है और योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री रामधनी दास : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार सरकार ने उसको आवंटित राशि के उपयोग के लिये क्या उपाय किये हैं?

श्री दातार : हमने सभी राज्यों के सम्बन्ध में यह देखने के लिये कार्यवाही की है कि आवंटित रकम व्यय की जाये।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कितना रुपया दिया गया था और उसमें से सब खर्च हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो क्या तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई वार्निंग दी गई है?

श्री दातार : पहली बात तो यह है कि हम कोई चेतावनियां नहीं देते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं और यही चाहते हैं कि वह जितनी शीघ्रता से संभव हो सके रकम को व्यय करें। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है, मेरे पास यहां आंकड़े नहीं हैं, किन्तु यदि मुझे ठीक तरह से याद है तो मैंने इस सभा में इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर दिया है।

श्री जांगड़े : क्या सरकार को यह मालूम है कि अस्पृश्यता अभियोग अधिनियम के पास हो जाने पर भी बाज़ हेडक्वार्टर्स पर उस अधिनियम की कापियां नहीं पहुंची हैं, इसलिये बहुत सी रिपोर्टों के ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है?

श्री दातार : कुछ मात्रा तक जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह ठीक है। वहां पर कुछ अस्पृश्यता है और प्रत्येक स्थान से और विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों से उसके उन्मूलन के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री नानादास : क्या यह सच है कि हरिजन सेवक संघ, हैदराबाद राज्य, के मंत्री ने अस्पृश्यता निवारण के नाम पर

८,००० रुपये की एक जीप खरीदी है और एक दूसरे व्यक्ति ने बहुत सी रकम बेनामी नामों पर इसी अनुदान में से ले ली है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति !

श्री कामत : सभा-पटल पर रखे गये विवरण से यह प्रकट होता है कि अधिकतम रकम अर्थात ६,००,००० रुपये उत्तर प्रदेश को आवंटित किये गये हैं। क्या यह इसलिये दी गई है कि वहां अस्पृश्यता अधिकतम है अथवा यह जन-संख्या के आधार पर दी गई है ?

श्री दातार : इस के लिये बहुत सी बातों पर विचार किया जाता है; अर्थात अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, उनकी आवश्यकतायें और अन्ततः वास्तविक योजनायें।

पंजाब विकास योजनायें

*१५४२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में राज्य की विकास योजनाओं के लिये सहायक अनुदान की कितनी रकम पंजाब सरकार को मंजूर की गई है; और

(ख) अब तक वास्तव में कुल कितनी रकम दी जा चुकी है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १९५४-५५ में राज्य की विकास योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को ३१२.८३ लाख रुपये की सनुहायता अदान मंजूर किये गये थे।

(ख) २७७·३५ लाख रुपये की एक रकम, १९५४-५५ के लिये वास्तव में राज्य-सरकार को दे दी गई थी।

श्री डी० सी० शर्मा : यह सहायत अनुदान किस प्रयोजन के लिये मन्जूर किये गये थे।

श्री बी० आर० भगत : वह विकास योजनाओं के लिए थे और जिनके लिये वह धन दिया गया था उन विकास योजनाओं की एक लम्बी सूची है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं जहां तक कि इन सहायता अनुदानों के भुगतान का सम्बन्ध था यह कमी क्यों हुई थी ?

श्री बी० आर० भगत : यह कमी नहीं है; यह तो लेखांकन का एक तरीका है क्योंकि रुपया पहले नहीं दिया जाता है। रुपया उसी समय दिया जाता है जबकि राज्य सरकार वास्तविक व्यय देती है। शेष रकम उस समय दी जायेगी जब कि लेखा आ जायगा।

श्री एस० एन० दास : क्या कोई ऐसा पत्र है जिससे पता लगे कि विभिन्न राज्यों को कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : यदि माननीय सदस्य इसे मांगते हैं तो वह इन्हें मिल जायगा।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार के पास अथवा पुस्तकालय में कोई ऐसा पत्र उपलब्ध है जिससे यह प्रकट हो कि इस वर्ष में विभिन्न राज्यों को कितना अनुदान दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे आय-व्ययक पत्रों में से ले सकते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह उन योजनाओं का नाम बतायें जिसके लिये अधिकतम रकम दी गई और जिसके लिये कम से कम रकम मंजूर की गई ?

श्री बी० आर० भगत : अधिकतम रकम वाली योजना विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के बारे में है जिसके लिये ६१,३४,३८० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था और कम से कम रकम वाली योजना लाहौल तथा स्पीति में अनुसूचित क्षेत्रों के विकास की है जिस के लिये १,२९० रुपये की रकम मंजर की गई है ।

सैनिक सामग्री कारखाने

***१५४३. श्री इब्राहीम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कौन कौन से युद्ध-सामग्री कारखाने हैं जिन्होंने सेना के लिये तम्बू तथा जाली का कपड़ा तैयार किया था और १९५४-५५ में उन का कुल उत्पादन (पृथक् पृथक्) कितना था ;

(ख) क्या तैयार किये हुए उस कपड़े में से कुछ कपड़ा जनता को भी बेचा गया था; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोई भी सैनिक-सामग्री कारखाना तम्बुओं अथवा जालियों के लिए कपड़ा तैयार नहीं करता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री भागवत झा आजाद : सैनिक-सामग्री कारखानों की काम में न आने वाले कितनी क्षमता को असैनिक उपभोग के लिये वस्तुऐं तैयार करने में प्रयुक्त किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : इस प्रश्न का पहले भी कई बार उत्तर दिया जा चुका है और आज फिर मैं बता देना चाहता हूं कि काम में न आने वाली क्षमता का अधिकतम उपभोग किया जा रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : असैनिक वस्तुओं का उत्पादन कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है ?

सरदार मजीठिया : केवल दो दिन पूर्व ही मैंने इस सभा में असैनिक उत्पादन के आंकड़े रुपयों में बताये थे ।

राष्ट्रीय कलैन्डर

***१५४४. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उस राष्ट्रीय कलैन्डर को अंगीकार करने का है जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय कलैन्डर सुधार समिति ने की है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद की कार्य-कारिणी सभा में राष्ट्रीय कलैन्डर सुधार समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा यह सम्मति प्रकट की कि परीक्षणात्मक,

कलैन्डर को रिपोर्ट के साथ राज्य सरकारों, संस्थाओं तथा इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों के पास अपने विचार प्रकट करने के लिये भेजा जाये । इस मामले में अगली कार्यवाही उन विचारों पर विमर्श के पश्चात की जायेगी । इस लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि इस परीक्षणात्मक कलैन्डर को अंगीकार भी किया जायेगा, और यदि किया जायेगा तो कब से ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राष्ट्रीय कलैन्डर सुधार समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : उसकी मुख्य सिफारिशें हैं :

(१) भारत के सुधरे हुए कलैंडर में साक सम्वत का प्रयोग हो ।

(२) सौर वर्ष (सोलर इयर) वसंत विषुव (वर्नल इक्वा-नोक्स) के अगले दिन अर्थात २२ मार्च से शुरू होना चाहिये जो कि चैत्र का पहला दिन होगा ।

(३) महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, आदि होंगे और उनके निश्चित दिन होंगे (३० या ३१ दिन)।

(४) धार्मिक त्यौहार तिथि तथा नक्षत्रों के मुताबिक होंगे जिन को गणित के सही और आधुनिक तरीकों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।

(५) सुधरे कलैंडर को, २१ मार्च १९५६, जो कि चैत्र का पृथक १८७८ साक है, से लागू किया जाये ।

श्री गाडगील : क्या यह सिफारिशें इस समिति ने एक राय से की हैं या इस में मतभिन्नता है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता हूं ।

सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि (आर्म्ड फोरसिज़ रिकंस्ट्रक्शन फंड)

*१५४५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल पुनर्निर्माण निधि कितनी पूंजी से आरम्भ की गई थी;

(ख) अब कितनी राशि शेष है; और

(ग) १९५४-५५ में उसमें से कितनी राशि खर्च की गई और किन-किन मदों पर खर्च की गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) देश का बटवारा होने के बाद फंड रु० १,६२,४६,२८४-९-० से शुरू हुआ, जो भारत का हिस्सा था ।

(ख) रु० १,४४,४८,१५६-११-० ।

(ग) नीचे लिखी रकमें बांटी गईं :–

(१) लाइन्स में सैनिकों के कल्याण, पारिवारिक कल्याण और महिलाओं और बच्चों की प्राइमरी शिक्षा के लिये ग्रांट–– रु० ४,५०,०००-०-० ।

(२) ज़िलों के सोलजर्स, सेलर्स और एअरमेन्स बोर्डों को चालू रखने के खर्च की २५ फीसदी ग्रांट–– रु० २,४१,६२०-४-०

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस फंड के वितरण के लिये क्या प्रणाली निर्धारित की गई है ? क्या इस के लिये कोई केन्द्रीय समिति है, यदि हां, तो उसके कौन कौन मेम्बर हैं और कौन कौन अधिकारी उसमें काम करते हैं ?

सरदार मजीठिया : यह फंड लड़ाई के ज़माने में शुरू हुआ था और इसे काम्बेटेंट्स के लिये दो रुपये महीना और नान-काम्बेटेंट्स के लिये एक रुपया महीना के हिसाब से शुरू किया गया था । १९४६ में इस फंड में से ८० फीसदी रुपया स्टेट्स के पास भेज दिया गया और उस वक्त वह रिजनल स्टेट्स थीं और उनको खर्च करने का पूरा अधिकार दे दिया गया । बाकी का जो २० फीसदी हमारे पास रह गया उसके खर्च के लिये डिफेंस मिनिस्टरी जो है वह जिम्मेवार है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निर्णय करने से पहले देश के विभिन्न भागों में जो डिफेंट यूनिटस हैं सेनाओं के, क्या उनसे भी सुझाव मांगे जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट सोलजर्ज़ बोर्ड से सुझाव मांगे जाते हैं और तब निर्णय किया जाता है या एडहाक तरीके से ऐसे ही निर्णय कर लिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिये क्योंकि यह इन्फारमेशन उन के पास हो सकती है । जो खर्चा यहाँ पर होता है उसके बारे में जैसा कि मैं ने कहा और फ़िगर्स भी दिये हैं कि ४,५०,००० रुपये सैनिकों को उनके कल्याण इत्यादि के लिये दिये गये । और उसके लिये एक कमेटी है जिस में रक्षा मंत्री भी हैं, मैं भी हूं, डिफेंस सैक्रेटरी, चीफ़ आफ़ आर्मी स्टाफ़, चीफ़ आफ़ नेवल स्टाफ़, चीफ़ आफ़ एयर स्टाफ़, फ़ाइनेंशल एडवाइज़र और एडजुटेंट जैनरल इत्यादि भी मैम्बर हैं । मेजर शराफ़ इस के सैक्रेटरी हैं । यह बोर्ड बैठ कर फ़ैसला करता है और उन फैसलों के मुताबिक तीन लाख रुपया आर्मी को दिया गया, ५०,००० नैवल हैडक्वार्टर्ज़ को दिया गया और एक लाख एयर हेडक्वार्टर्ज़ को दिया गया और उनसे कहा गया कि जैसे वे मुनासिब समझें रूल्ज़ के मुताबिक खर्च करें ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया गया । मैं यह जानना चाहता था कि इन बातों के निर्णय करने से पहले जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स होते हैं जैसे कि राजपूत रेजिमेंट, कुमाऊं राइफल, गढ़वाल राइफल, डिस्ट्रिक्ट सोलज़र्स बोर्ड इत्यादि उन से सुझाव मांगे जाते हैं और फिर फैसला किया जाता है या ऊपर से ही निर्णय कर दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : मैं ने पहले भी जवाब दिया है कि जो तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार की बात है उसके बारे में तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इन्फारमेशन है, मेरे पास नहीं है । मगर जो हम करते हैं वह उन सोलज़र्स के लिये करते हैं जो इस वक्त हैं या अब से बाद में एक्ससर्विसमैन बनेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वित्तीय सहायता

*१५२३. **सेठ गोविन्द दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उद्भव के अफ्रीका में रहने वाले ऐसे विद्यार्थियों को, जो गत तीन वर्षों में भारत विद्याध्ययन के लिये आये, जनरल कल्चरल स्कालरशिप योजना के अधीन कुल कितनी वित्तीय-सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : रुपये ७३,६६६,–१०-० ।

छात्रवृत्तियों का भुगतान

*१५३४. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन विद्यार्थियों के मामलों की ओर दिलाया गया है जिनको कालिज-शिक्षा के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और पिछड़ी हुई जाति छात्रवृत्ति योजना के अधीन छात्रवृत्तियां मंजूर तो की गयी थीं परन्तु जिन्हें वे राशियां समय पर प्रदान नहीं की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाहियां करने की प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५४]**

भारत में विदेशी राज दूतावास

*१५३५. **श्री एन० एम० लिंगम्** :
डा० रामा राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पदाधिकारियों की पत्नियों की संख्या कितनी है जो कि नई दिल्ली स्थित विदेशी नियोगों और राज दूतावासों में सेवायुक्त हैं ;

(ख) वे किस प्रकार के पदों पर नियुक्त हैं; और

(ग) उन के वेतन और सेवा की शर्तें क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी

*१५३८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में फैली शिक्षित लोगों की बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिये अभी तक उस राज्य को कितना ऋण अथवा अनुदान मंजूर किया गया है;

(ख) अभी तक कितनी राशि ली गयी है; और

(ग) उस राशि को किस प्रकार से प्रयुक्त किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ३२,३९,७५१ रुपये ।

(ख) २४,०२,१२५ रुपये ।

(ग) शिक्षकों और समाज शिक्षा कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये ।

ज्वारपूर्व-सूचक यंत्र

*१५४६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन ४२ काम्पोनैन्ट डूडसन हैज ज्वार पूर्व-सूचक यंत्र कब और कहां पर लगाया गया था ;

(ख) यह पुराने यंत्र की तुलना में कैसा है ;

(ग) क्या उन पूर्व-सूचनाओं और ज्वार सारिणियों को तैयार किया जाता है और मुद्रित कराया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) सितम्बर, १९५२ में, देहरादून में।

(ख) नवीन यंत्र द्वारा दी गयी पूर्व-सूचनाओं की परिशुद्धता पुराने यंत्र की अपेक्षा कहीं अधिक है।

(ग) और (घ). १९५६ तथा उसके बाद के वर्षों के लिये सभी प्रमुख पत्तनों की पूर्व-सूचनायें इसी यंत्र पर तैयार की जा रही हैं। १९५६ की ज्वार-सारिणी मुद्रित हो रही है ;

सोना

*१५४८. **श्री हेम राज** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की नदियों के तल में स्वर्ण धूलि पाई जाती है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में सोने की खानों की खोज करने की प्रस्थापना करती है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५५]**

अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर

*१५४९. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
पंडित डी० एन० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार कोई निर्णय करने की प्रस्थापना है ; और

(ख) क्या किसी राज्य सरकार के केन्द्रीय सरकार के निर्णय होने तक अन्तर्राज्यिक बिक्री-कर की प्राप्ति को निलम्बित कर देने के अपने निर्णय की सूचना दी है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) कराधान जांच आयोग की इस विषय सम्बन्धी सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

(ख) जी हां। अधिकांश राज्यों ने, अन्तर्राज्यिक सौदों पर बिक्री कर की प्राप्ति को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में आयोग की अन्तरिम सिफारिश को स्वीकार करने की इच्छा के बारे में हमें सूचित कर दिया है, अन्य राज्यों से उत्तर आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत फ्रेंच करार

*१५५०. **श्री के० सी० सोंधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री २ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-फ्रेंच करार की धारा २७ के अधीन नियुक्त संयुक्त शिक्षा समिति ने क्या अपना काम समाप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो फ्रेंच कला और मैडीकल डिगरियों के बारे में उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं जी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हीरे

*१५५१. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५४ में हीरों का कुल उत्पादन कितना हुआ था ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : १८०० कैरेट जिसका मूल्य ३,९०,०५२ रुपये है ।

रज्जु स्फोट (कौर्डाइट) कारखाने

*१५५२. **श्री इब्राहीम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ को भारत के समस्त रज्जु स्फोट कारखानों में कुल कितने कर्मचारी सेवायुक्त थे; और

(ख) उनके विभिन्न प्रवर्गों को देय मजदूरी और भत्ते के क्रम क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) १४७० ।

(ख) सभा-पटल पर दो विवरण रख दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५६]**

विवरण १ यह बताता है कि कारखाने के कर्मचारी किस किस प्रकार के काम करते हैं और प्रत्येक काम के लिये दिये जाने वाले मूल वेतन क्रम क्या हैं । विवरण २ उन्हें दिये जाने वाले विभिन्न भत्तों के क्रमों को बताता है ।

भारत का भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण

*१५५३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत का एक नया भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का रूप तथा उद्देश्य क्या होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण का रूप और उद्देश्य अपने देश की जनता और संस्कृति को ठीक प्रकार से समझने के लिये देश की सभी भाषाओं और बोलियों का अध्ययन करना है ।

सोना

*१५५४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टकसालों में कुल कितना सोना रखा गया है ; और

(ख) वह किस प्रयोजन से वहां रखा गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). सरकार के पास सोने का कितना स्टाक है अथवा वह किन प्रयोजनों के लिये रखा गया है, यह बताना सार्वजनिक हित के लिये हानिकारक है ।

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी

८१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा

करगे कि १९५४ और १९५५ में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अभ्यंश के अधीन हैदराबाद राज्य द्वारा कितने पदाधिकारी केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त किये गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :

वर्ष	केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त आई० ए० एस० पदाधिकारी	केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त आई० पी० एस० पदाधिकारी
१९५४	३	१
१९५५	६	१

इनके अतिरिक्त हैदराबाद राज्य असैनिक सेवा जिसके लिये कोई केन्द्रीय प्रतिनियुक्त अभ्यंश नहीं हैं, का एक पदाधिकारी भी इस समय भारत सरकार के अधीन सेवा कर रहा है ।

भूतत्वीय परिमाप

८१५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में देश के किन-किन भागों में खनिज सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) किस प्रकार के खनिजों का पता लगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी विवरण पत्र के रूप में साथ ही नत्थी की जाती है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५७]**

छात्र-सेना निकाय

८१६. **श्री केशवैयंगार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में एक स्थानीय राष्ट्रीय सेना प्रशिक्षित की जा रही हैं;

(ख) क्या काश्मीर में कोई राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय और सहायक छात्र सेना निकाय भी हैं; और

(ग) यदि हां तो उनके छात्र सैनिकों की संख्या कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सेना कई वर्षों से है ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर में राष्ट्रीय छात्र,सेना निकाय के एक तो हैं परन्तु इस समय कोई सहायक छात्र-सेना निकाय नहीं है ।

(ग) राष्ट्रीय छात्र-सेना निकायों के एककों के छात्र-सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :—

	पदाधिकारी	छात्र-सैनिक
वरिष्ठ विभाग	८	३१५
कनिष्ठ विभाग	४	१३२
बालिका विभाग		
वरिष्ट	२	६०
कनिष्ट	२	६०
कुल	१६	५६७

आय-कर कर्मचारी

८१७. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५५ को काम कर रहे आय-कर आयुक्तों और उपायुक्तों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) १९५४-५५ में आयकर विभाग के कर्मचारियों पर कितना खर्च किया गया था?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :

(क) आयकर आयुक्त १३
आयकर सहआयुक्त ११३

(ख) ३,४१,६६,२९९ रुपये ।

शिक्षा सम्मेलन

८१८. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, १९५५ के प्रथम सप्ताह में राज्य के शिक्षा सचिवों और लोक-शिक्षा-निदेशकों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन ने क्या क्या सिफ़ारिशें की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) सम्मेलन द्वारा की गयी सिफ़ारिशों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

भारतीय साहित्य की ग्रन्थ सूची

८१९. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साहित्य की ग्रन्थ-सूची बनाने में कुल कितना अनुमानित व्यय होगा;

(ख) कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस दशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) साहित्य अकादमी ने जो भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय ग्रन्थ-सूची बना रही है अभी यह नहीं मालूम किया है कि ग्रन्थ-सूची की छपाई और प्रकाशन पर कुल कितना खर्च होगा ।

(ख) इस कार्य के १९५६ में पूरा हो जाने की आशा है ।

(ग) लगभग ३०,००० प्रवेश-पत्र तैयार कर लिये गये हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्संगठन तथा पुनर्बलन) योजना

८२०. **श्री बोगावत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्संगठन तथा पुनर्बलन) योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जा रहा है;

(ख) १९५० में संलग्न कार्यालयों में अधीक्षकों (सुपरिन्टेन्डेन्टों) का वेतन क्रम क्या था और उन का वर्तमान वेतन क्रम क्या है;

(ग) क्या इस योजना की कार्यान्विति से पूर्व वह सामान्य रुप से सचिवालय वेतन क्रम के अधिकारी थे ;

(घ) यदि नहीं, तो उनको यह वेतन क्रम क्यों दिया गया है; और

(ङ) इस योजना को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित संस्थापना पर होने वाला वर्तमान व्यय क्या है?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ङ). माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा में ८ सितम्बर, १९५३ को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १११४ की ओर दिलाया जाता है । जैसा

कि उक्त उत्तर में कहा गया है, कि इस योजना की कार्यान्विति के वास्तविक वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यवहार्य होगा।

(ख) १९५० में संलग्न कार्यालयों में अभीक्षकों का वेतन क्रम ४००-२०-५०० रुपये था। इसके पश्चात से जिन पदों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा पदाली में सम्मिलित कर लिया गया है उनका वेतन क्रम यदि उन पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी ३ अथवा श्रेणी २ के अधिकारी नियुक्त हैं तो क्रमशः २७५-२५-५०० रुपये तथा ५३०-३०-८०० रुपये हैं। जिन पदों को इस प्रकार सम्मिलित नहीं किया गया है उनका वेतन क्रम पुराना ही है।

(ग) नहीं।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सम्मिलित किये जाने पर इन पदों के वेतन क्रम स्वभावतः उन्हीं वेतन क्रमों के अनुरूप रखे जाने थे जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को दिये जाते हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

८२१. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री आर० सी० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये मध्य भारत के मुरैना-भिंड ज़िलों में किस तारीख को केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस भेजी गई थी ;

(ख) उस पुलिस द्वारा अब तक कितने डाकू पकड़े गये हैं या मारे गये हैं;

(ग) क्या पुलिस दल में भी कोई आहत हुआ है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसी प्रयोजन के लिये केन्द्र से और किस प्रकार की सहायता मांगी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मुरैना-भिंड ज़िलों में भेजी गई केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की संख्या और जिन तारीखों को भेजी गई थी नीचे दी हुई हैं:—

तारीख	गजटेड अफसर	सबोर्डिनेट अफसर	अधीन अफसर	सिपाही	जोड़
२०-१-५५	१	४	२९	९८	१३२
२७-१-५५	१	४	३०	९८	१३३
१६-३-५५	१	८	५२	१९२	२५३
१८-३-५५	१	२	१८	६९	९०
जोड़	४	१८	१२९	४५७	६०८

चिकित्सा संबन्धी कर्मचारीवर्ग, मोटर मिस्त्री, क्लर्क और पीछा करने वाले जो लड़ते नहीं हैं, ऊपर दी हुई संख्या में शामिल नहीं हैं।

(ख) कुख्यात डाकू सुलतान सिंह, पहाड़ा गूजर के गिरोह के दो डाकू भूरा मुसलमान और राम बिलास केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस द्वारा ३ मई, १९५५ को मारे गये तथा

दो और (मानसिंह और उसका बेटा सूबेदार सिंह) २५-८-५५ को मध्य भारत की स्टेट आर्मड फोर्स की संयुक्त कार्यवाही में मारे गये ।

(ग) हां, २९-३-५५ को हुई मुठभेड़ में एक सिपाही मारा गया और तीन बुरी तरह जख्मी हुए । २५/२६ मार्च, १९५५ को एक लेन्स नायक मोटर दुर्घटना में मर गया और एक सिपाही १७-८-५५ को गश्त लगाता हुआ सांप द्वारा काटे जाने से मर गया ।

(घ) २५-८-५५ को डाकुओं के साथ हुई पिछली मुठभेड़ के बाद कोई सहायता नहीं मांगी गई ।

नागार्जुन कोंडा में खुदाई

८२२. **श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९५५ तक नागार्जुन कोंडा में की जा रही खुदाई पर कितनी रक़म खर्च की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : ७९,२०० रुपये ।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क

८२३. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२--१९५४ में, अलग अलग, विन्ध्य प्रदेश में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से सरकार को कितनी आय हुई; और

(ख) १९५५ में अनुमानतः कितनी आय होगी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). विन्ध्य प्रदेश में तम्बाकू के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सेन्ट्रल एक्साइज़ ड्यूटी) से १९५२-५३ से १९५४-५५ तक के वित्तीय वर्षों में वसूल किया गया और १९५५-५६ का अनुमानित शुल्क इस प्रकार है :--

वर्ष	शुल्क की रक़म (हज़ार रुपयों में)
१९५२-५३	११,०८
१९५३-५४	११,२९
१९५४-५५	९,०३ (अस्थायी)
१९५५-५६	८,७५

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

बुधवार,

७ सितम्बर, १९५५

खंड ७, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक-सभा

बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय विमान नियमों में संशोधन

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं भारतीय विमान अधिनियम १९३४ की

धारा ५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत भारतीय विमान नियमों में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या ए० आर० । १९३७ (६), दिनांक ६ जून, १९५५ की एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित, सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस–३०६।५५]**।

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणाऐं

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत विमुक्ति की निम्नलिखित घोषणाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(१) १/२३/५५— फ० आई० दिनांक २४ मार्च, १९५५ (१३ घोषणाएं)

(२) १/२६/५५—एफ० आई०, दिनांक १४ अप्रैल, १९५५ (८ घोषणाएं)

(३) १/२४/५५—एफ० आई०, दिनांक ३ मई, १९५५ (१ घोषणा)

(४) १/२१/५५—एफ० आई०, दिनांक ४ मई, १९५५ (७ घोषणाएं)

(५) १/३५/५५—एफ० आई०, दिनांक ४ मई, १९५५ (१ घोषणा)

(६) १/३१/५५—एफ० आई०, दिनांक ७ मई, १९५५ (१ घोषणा)

(७) १/२२/५५—एफ० आई०, दिनांक १६ मई, १९५५ (१ घोषणा)

(८) १/३४/५५—एफ० आई०, दिनांक १७ मई, १९५५ (१ घोषणा)

(९) १/३५/५५—एफ० आई०, दिनांक ३० मई, १९५५ (१ घोषणा)

(१०) १/२१/५५—एफ० आई०, दिनांक ७ जून, १९५५ (१ घोषणा)

(११) १/४७/५५—एफ० आई०, दिनांक २१ जुलाई, १९५५ (१ घोषणा)

[पुस्तकालय में रख दी गई । देखिए संख्या एस०–३०४/५५]

अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम

श्री दातार : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम, १९५५ की एक प्रति जो गृह-कार्य मंत्रालय की अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ०/१८६६, दिनांक १ सितम्बर १९५५ में प्रकाशित किये गये थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० ३०५।५५**]

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विमुक्ति की इन घोषणाओं में, प्रत्येक मामले में, विमुक्ति के कारण भी बताये गये हैं ।

श्री दातार : जी हां । माननीय सदस्य कृपया विवरणों को देख लें ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : प्रश्न संख्या १३२६ के सम्बन्ध में, जिस का उत्तर १ सितम्बर, १९५५ को दिया गया था, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मुझ से यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या पांडीचेरी के विधि-अनुसार हस्तांतरित होने के बाद वहां फिर चुनाव होगा । मैं ने इस के उत्तर में यह कहा था—"जी हां । मेरा विचार है कि विधि-अनुसार हस्तांतरण के बाद हम वहां फिर से चुनाव करेंगे ।" मेरे उत्तर से यह भ्रान्ति हो गई होगी कि विधि अनुसार हस्तांतरण के बाद वहां फिर से चुनाव कराने का निर्णय कर लिया गया है और में इस भ्रांति को दूर करना चाहता हूं । इस सारे प्रनश पर उस समय विचार करना होगा और इस समय सरकार बचनबद्ध नहीं हो सकती । इसलिए मैं इस उत्तर को शुद्ध करने के लिए आप से अनुमति चाहता हूं और चाहता हूं कि पुराने उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित उत्तर रखा जाये :

> "मेरा विचार है कि विधि अनुसार हस्तान्तरण होने के बाद, इस प्रश्न के सारे पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा ।"

कार्य मंत्रणा समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बंधी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस मध्य) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री कामत (होशंगाबाद) : ३० अगस्त, १९५५ को आचार्य कृपालानी के प्रस्ताव पर इस सभा में जो चर्चा हुई थी मैं उस के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के हेतु कुछ शब्द कहना चाहता हूं । कार्यवाही के वृतान्त से पता चलता है कि "श्री कामत की ओर से खेद प्रकट किया गया है ।" यह मेरे रवैये का ठीक वर्णन नहीं है । उस दिन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मेरा नाम लिये जाने के बाद सभा से जाने से पहले मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मैं ने "फैन्टेस्टिक नानसेंस" (बेहूदी बकवास) शब्द अध्यक्ष पीठ के लिये नहीं बल्कि कुछ सदस्यों के लिये कहे थे जो मुझे चुप रहने के लिये कह रहे थे

और चिल्ला चिल्ला कर मेरा मुंह बन्द करना चाहते थे—अधिकृत वृतान्त से मेरी बात सच साबित होती है । इसलिये मेरे लिये कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं थी ।

समवाय विधेयक—जारी

खंड ३८९ से ४२३

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक पर खण्डवार विचार फिर प्रारम्भ करेगी । खंड ३८९ से ३९५, ३९६ से ४०८ और ४०९ से ४१४ के लिए क्रमशः आध घंटा, २ घंटे और १ घंटे का समय रखा गया है ।

श्री सी० सी० शाह (गोहिवाड़-सोरठ) : मेरा सुझाव यह है कि इन के साथ ही खंड ४१५ से ४२३ पर भी विचार किया जाये । खंडों के इन चार समूहों पर चर्चा होने के बाद मतदान हों । इन चार समूह से विधेयक का भाग ६ समाप्त हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अब चौथे खंड समूह के साथ पांचवें समूह पर भी विचार किया जाये ?

श्री सी० सी० शाह : मेरा सुझाव तो यह है कि खंड ३८९ से ४२३ पर एक साथ विचार हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने यही कहा है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : अच्छा यही है कि हम ऐसा करें क्योंकि इनका परस्पर सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : तो मैं यह समझूं कि सभा में अधिकांश सदस्यों की राय यही है कि खण्ड ३८९ से ४२३ पर एक साथ विचार हो । इन के लिये चार घंटे का समय नियत है । जो सदस्य इन में संशोधन रखना चाहते हों वे १५ मिनट के भीतर अपने संशोधनों की संख्या तथा खंडों की संख्या सभा पटल पर सचिव को बता दें ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): मुझे सरकार की ओर से कुछ संशोधन रखने हैं । मैं इन्हें रखूंगा और इन की व्याख्या करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये सदस्यों को भेज दिये गये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : तो वे केवल उन के नम्बर बता दें ।

श्री एम० सी० शाह : पहले मैं खंड ३८९ से ३९५ के संशोधनों का उल्लेख करूंगा जो ये हैं : खंड ३९१ में संशोधन संख्या ६८२, और संख्या १०३० और नये खंड ३९१-क में संशोधन संख्या १०३१ । खंड ३९६ से ४०८ तक के संशोधन ये हैं : खंड ४०० में संशोधन संख्या ६८३, और खंड ४०७ में संशोधन संख्या ११३३, जो आज प्रातः भेजा गया है । खंड ४०९ से ४१४ में संशोधन निम्न हैं : ४०९ में संख्या ११३४, ४१० में संख्या ६८६ और ११३५ और ४११ में संख्या ११३६ । खंड ४१५ से ४२३ में हमें कोई संशोधन नहीं रखना है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : आप संशोधन संख्या ११३३ रख रहे हैं ।

श्री एम० सी० शाह : जी हां ।

सभापति महोदय : मुझे पता चला है कि इस संशोधन में कुछ गलती है और 'more' ("अधिक") शब्द के स्थान में " less " ("कम") शब्द होना चाहिये । क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां । परन्तु हम इस खण्ड पर विचार के समय इस की बात करेंगे ।

सभापति महोदय : परन्तु हमें इस को अभी स्पष्ट करना चाहिये । संशोधन संख्या ११३३ में क्या शुद्धि की जानी है ?

श्री एम० सी० शाह : कुछ शाब्दिक परिवर्तन है जो हम बता देंगे ।

सभापति महोदय : यह है क्या ? 'less' ['कम'] या 'more' ['अधिक'] ?

श्री सी० सी० शाह : तो इस में 'Two hundred' ["दो सौ"] के स्थान में "hundred" ["एक सौ"] होना चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह : हम खण्ड ४०७ पर विचार के समय इस पर ध्यान देंगे । यदि कोई शाब्दिक परिवर्तन करना होगा तो देखा जायेगा ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : क्या यह "less than one hundred members" ("एक सौ से कम सदस्य") है या "more than two hundred members" ["दो सौ से अधिक सदस्य"] है ?

श्री एम० सी० शाह : यह खण्ड ४०७ में संशोधन है । इस खण्ड में अगला संशोधन है . . . . . .

सभापति महोदय : फिर भ्रम हो रहा है । शब्द क्या है ? " less " ["कम"] या " more" ["अधिक"] ?

श्री एम० सी० शाह : हम इस पर विचार करेंगे ।

सभापति महोदय : इसे अभी स्पष्ट कर दीजिये । प्रारम्भ में ही इस का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये अथवा अन्य संशोधनों पर विचार करने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री एम० सी० शाह : मुझे खेद है; मैं देख रहा हूं कि अब इसे ठीक कर दिया गया है । यह इस प्रकार है : "not less than two hundred members of the company or" ["कम्पनी के २०० से अन्यून सदस्य या"] "more" ["अधिक"] नहीं ।

श्री झुनझुनवाला : यह इस प्रकार होना चाहिए "not less than one hundred" ["एक सौ से अन्यून"] ।

श्री एम० सी० शाह : यह किसी अन्य माननीय सदस्य का संशोधन है । सरकार के संशोधन में यह शब्द हैं "not less than two hundred" ["दो सौ से अन्यून"]

सभापति महोदय : मैं इसे पढ़ दूं । यह भारी भूल है । खंड ४०७ में सरकार द्वारा रखे गये संशोधन संख्या ११३३ में यह संख्या (२) (ख) इस प्रकार होनी चाहिये ।

(ख) पंक्ति २९ में "on the application"["प्रार्थना पत्र पर"] के बाद ये शब्द रखे जायें "of not less than two hundred members of the company or" ["कम्पनी के दो सौ से अन्यून सदस्य या "] ।

श्री एम० सी० शाह : सरकार का अगला संशोधन खंड ३९१ में संशोधन संख्या ६८२ है । यह गलती अनजाने में रह गयी थी और इसे ठीक करना है । उस के बाद खंड ३९१ में संशोधन संख्या १०३० इस प्रकार है :

पृष्ठ १९६ में पंक्ति २० के बाद यह जोड़ा जाये :

"The provisions of sub-sections (3) to (6) shall apply, in relation to the appellate order and the appeal, as they apply in relation to the original order and the application."

["उपधारा (३) से (६) के उपबन्ध अपीलीय आदेश और अपील

के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे मूल आदेश और प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"]

इस संशोधन से एक त्रुटि की पूर्ति होती है । उपधारा (३) से (६) अपील पर दिये गये आदेश पर भी लागू होंगी जैसे कि मूल आदेश पर लागू होती हैं । विधि मंत्रालय ने दो तीन दिन पहले इस त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया था । इसलिये हमने यह संशोधन रखा है ।

उस के बाद नये खंड में ३९१क के जोड़े जाने के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १०३१ है । इस के द्वारा उच्च न्यायालय को व्यवस्था आदि की योजनायें लागू करने की शक्ति दी गयी है । संशोधन इस प्रकार है :

"*391 A. Power of High Court to enforce schemes of arrangements, etc.*—(1) Where a High Court makes an order under section 391 sanctioning a compromise or an arrangement in respect of a company it—

(a) shall have power to supervise the carrying out of the compromise or arrangement; and

(b) may, at the time of making such order or at any time thereafter, give such directions in regard to any matter or make such modifications in the compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper working of the compromise or arrangement.

(2) If the Court aforesaid is satisfied that a compromise or arrangement sanctioned under section 391 cannot be worked satisfactorily with or without modifications, it may, either on its own motion or on the application of any person interested in the affairs of the company, make an order winding up the company, and such an order shall be deemed to be an order made under section 431 of this Act.

(3) The provisions of this section shall, so far as may be, also apply to a company in respect of which an order has been made before the commencement of this Act under section 153 of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) sanctioning a compromise or an arrangement."

["३९१क. उच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं की योजनाओं का प्रवर्तन कराने की शक्ति आदि—(१) जहां कोई उच्च न्यायालय धारा ३९१ के अन्तर्गत किसी समवाय के सम्बन्ध में किसी समझौते या व्यवस्था की मंजूरी देने वाला आदेश दे, तो—

(क) उसे समझौते या व्यवस्था के लागू किये जाने का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी; और

(ख) वह ऐसा आदेश देने के समय या उस के बाद किसी भी समय किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या व्यवस्था में ऐसे रूपभेद कर सकेगा जिन्हें वह समझौते या व्यवस्था के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने के लिये आवश्यक समझे ।

(२) यदि उपरोक्त न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि धारा ३९१ के अन्तर्गत जिस

[श्री एम० सी० शाह]

समझौते या व्यवस्था की मंजूरी दी गई है वह रूपभेदों के साथ या उन के बिना सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो सकती, तो वह, अपनी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर जिस का समवाय के मामलों में हित हो, समवाय के समापन का आदेश दे सकता है, और ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा ४३१ के अन्तर्गत दिया गया आदेश समझा जायेगा ।

(३) इस धारा के उपबन्ध, जहां तक हों, ऐसे समवाय पर भी लागू होंगे जिस के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले, भारतीय समवाय अधिनियम १९१३ (१९१३ का सातवां) की धारा १५३ के अन्तर्गत समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देने वाला आदेश दिया जा चुका हो" ।]

खंड ३९१-क नया खंड है, इसमें लगभग वही उपबन्ध है जो कि बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५क में है । इससे खंड ३९१ के अनुसार न्यायालय द्वारा की गई किसी व्यवस्था या समझौते को बदलने तथा उसे लागू करने का आसान तरीका हाथ आ जायेगा। इस नये खंड के उपखंड (३) में इन नये उपबन्धों को उन व्यवस्थाओं और समझौतों पर लागू करने का उपबन्ध है जिन की मंजूरी वर्तमान अधिनियम की धारा १५३ के अन्तर्गत दी गई है । इस में धारा ४५क के उपबन्ध को ही दोहरा दिया गया है । इस संशोधन का सुझाव विधि मंत्रालय ने दिया है । प्रसंगवश मैं यह भी बता दूं कि इस से १९५० में पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री एस० आर० दास की सिफारिश भी कार्यान्वित हो जाती है जिसका उल्लेख "आल इंडिया रिपोर्टर", पूर्वी पंजाब के पृष्ठ १११ पर किया गया है । उस के उद्धरण मेरे पास हैं परन्तु मैं उन्हें पढ़कर सभा का समय नहीं लेना चाहता ।

संशोधन संख्या ६८३ खण्ड ४०० के के सम्बन्ध में है । इस का उद्देश्य खंड ४०० के स्थान पर यह खंड रखना है :

"*400. Right of Central Government to apply under sections 396 and 397.*—The Central Government may itself apply to the Court for an order under sections 396 and 397 or cause an application to be made to the Court for such an order by any person authorised by it in this behalf."

["४००. धारा ३९६ और ३९७ के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार का प्रार्थना करने का अधिकार—केन्द्रीय सरकार स्वयं न्यायालय से धारा ३९६ या ३९७ के अन्तर्गत आदेश जारी करने की प्रार्थना कर सकती है, या इस संबंध में अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा आदेश जारी करने के लिये, न्यायालय को प्रार्थना पत्र भिजवा सकती है ।"]

वर्तमान अधिनियम की धारा १५३ग (२) में यह उपबन्ध है कि स्वयं केन्द्रीय सरकार उस धारा के अधीन प्रार्थना कर सकती है । इसलिये इस बात के अतिरिक्त कि सरकार को किसी कम्पनी के सदस्य या सदस्यों को नये खंड ३९१-क के अन्तर्गत प्रार्थना करने का प्राधिकार देने की शक्ति हो, यह शक्ति भी

सरकार को देना लाभदायक होगा। खंड २४२ के अन्तर्गत न्यायालय को प्रार्थना पत्र भिजवाने की जो शक्ति है वह वर्तमान अधिनियम के अनुरूप है। उसे सभी मामलों पर लागू कर दिया गया है, चाहे वे मामले खंड २४२ के अन्तर्गत हों चाहे न हों।

हम खंड ४०७ में संशोधन संख्या ६८४ और ६८५ नहीं रख रहे। परन्तु वित्त मंत्री ने श्री मोरारका को खंड ४०७ के एक उपबंध के बारे में वचन दिया था जिस में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को जब भी कम से कम २०० अंशधारियों या कम से कम १० प्रतिशत मत रखने वाले सदस्यों का प्रार्थना पत्र मिले उसे दो निदेशक नियुक्त करने की शक्ति होगी। इस उपबन्ध पर चर्चा के समय यह सुझाव दिया गया था कि प्रस्तुत उपबन्ध के स्थान पर यह उपबन्ध कर दिया जाय कि केन्द्रीय सरकार दो निदेशक नियुक्त करने की बजाय यह सुझाव दे सके कि कम्पनी के अन्तर्नियमों में अनुपाती प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया जाय। यह करने के लिये खंड ४०७ में संशोधन संख्या ११३३ रखा जाये;

एक और संशोधन संख्या ११३४ है जो खंड ४०९ में रखा है।

संशोधन इस प्रकार है : —

पृष्ठ २०६, पंक्ति १४ और १५ में,

"on any matter arising out of the provisions of this Act referred to in clause (a) of Section 410"

["धारा ४१० के खंड (क) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्धों के उद्भूत किसी बात पर"] के स्थान पर

"on the matter referred to in clause (a) of section 410 and the applications referred to in clause (b) of that section."

["धारा ४१० के खंड (क) में निर्दिष्ट बात और उस धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट आवेदनों पर"] रखा जाये।

संशोधन संख्या ११३५ का उद्देश्य पृष्ठ २०६ के उपखंड (क) और (ख) को (ख) और (ग) बना कर उन से पूर्व नया उपखंड (क) जोड़ना है :

"(a) before a notification is issued under section 323 in respect of any description of industry or business, on the necessity for, and advisability of, issuing the notification;"

["(क) उद्योग या कारबार के किसी विवरण के सम्बन्ध में धारा ३२३ के अन्तर्गत किसी अधिसूचना के निकाले जाने से पहले, अधिसूचना निकालने की आवश्यकता और औचित्य के बारे में।"]

इस संशोधन के द्वारा हमने श्री टी० एम० ए० चेट्टियार के सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

खंड ४११ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ११३६ इस प्रकार है:—

पृष्ठ २०६, पंक्ति ३३ में, "खंड (क)" के स्थान पर "खंड (ख)" रखा जाये।

खण्ड ३२३, जिस में बताया गया है कि किसी व्यापार या उद्योग में खंड ३२३ के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकर्त्ता की नियुक्ति पर रोक लगाने के पूर्व सरकार को मंत्रणा आयोग से परामर्ष लेना चाहिये, के श्री चेट्टियार के संशोधन संख्या १११ में कहे गये सिद्धान्त को उक्त संशोधन में शामिल कर लिया गया है। मुख्य संशोधन खंड ४१० का है और खंड ४०९ और ४११ के अन्य संशोधन आनुषंगिक हैं।

[श्री एम० सी० शाह]

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरा संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है । खंड ४०९ के संशोधन संख्या १११६ को देखिये । खण्ड ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३ और ४१४ मंत्रणा आयोग की नियुक्ति, उसके कर्त्तव्यों, अधिकारों और दण्डों आदि से सम्बन्धित है ।

मैं कहता हूं कि इन संशोधनों को न स्वीकार किया जाय बल्कि भाभा समिति की मूल सिफारिशों को स्वीकार किया जाय । भाभा समिति की सिफारिश इस बात पर आधारित है कि एक केन्द्रीय संस्था इस काम के लिये होनी चाहिये तभी समवाय विधि का कल्याण हो सकता है ।

भामा समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ १९० पर कहा गया है कि अच्छी-से-अच्छी विधि भी व्यर्थ है यदि उस को लागू करने के लिये ठीक प्रबन्ध नहीं है ।

धारा ९२ और ९३ में समवायों की नियमावलियों के सम्बन्ध में कहा गया है । धारा ९३ में नियमावली की विशेष शर्तों का उल्लेख किया गया है । सभी प्रकार के धोके, छल और गलतफहमी से जनता को बचाने के लिये बहुत से नियमों की व्यवस्था की गई है । भामा समिति ने कहा है कि यद्यपि हम ने सभी उपबन्ध कर दिये हैं पर चूंकि उन का प्रयोग नहीं किया जाता अतः वे बेकार हैं । भाभा समिति ने आगे कहा है कि अंशधारी लोग सावधान तथा सतर्क नहीं हैं और लोकमत परिपक्व नहीं है इसलिये निदेशक मनमानी करते हैं और इसलिये अच्छे-से-अच्छे उपबन्ध भी बेकार हैं। भाभा समिति के विद्वान सदस्यों ने केन्द्रीय प्राधिकार की स्थापना के विषय में बहुत ज़ोरदार युक्तियां दी हैं । हम भी जांच और निरीक्षण आदि की व्यापक शक्तियां सरकार को दे रहे हैं । इंगलिस्तान में व्यापार बोर्ड है जो राजनीतिक प्रभाव से सर्वथा परे और स्वतन्त्र निकाय है । उस के बारे में भ्रष्टाचार तथा पक्षपात आदि का भी कभी आरोप नहीं लगाया गया । इसी प्रकार अमरीका में सुरक्षा तथा विनिमय आयोग है जो समवाय विधि के प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत काम करता है । हमें भी अपने देश में एक केन्द्रीय अधिकार की स्थापना कर लेनी चाहिये जो समवायों के निर्णय तथा प्रबन्ध आदि विषयों में उच्चतम केन्द्रीय प्राधिकार हो ।

श्री एम० सी० शाह : क्या इंगलिस्तान का व्यापार बोर्ड संविहित प्राधिकार है जो वहां की सरकार से स्वतन्त्र है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह कह रहा हूं कि भाभा समिति की मुख्य सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये । इस समिति ने अधिक विश्वास अर्जन करने तथा लोगों में स्वप्रेरणा लाने के लिये संविहित समिति की स्थापना को उत्तम कहा है ।

पहली बात यह है कि हम बहुत सीमायें और शर्तें लगा रहे हैं तथा अनेक शक्तियां सरकार को दे रहे हैं । इन सब का प्रशासन सुचारु रूप से चलाने और इन मामलों का निर्णय करने के लिये कोई केन्द्रीय प्राधिकार अवश्य होना चाहिये कोई मंत्री या उपमंत्री यह काम नहीं कर सकता ।

श्री एम० सी० शाह : एम० सी० शाह कर सकता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हम आप की योग्यता को मानते हैं । परन्तु भाभा समिति ने यह कहा है कि पहले सरकार आर्थिक नीति निर्धारित करे और फिर कोई अर्ध-स्वतन्त्र प्राधिकार प्रत्येक समवाय के कार्य संचालन आदि मामलों का निर्णय सरकारी नीति और अधिनियम में दिये गये निदेशकों के अनुसार करे तो काम ठीक चल सकता है ।

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की बुराइयों को कोसने का तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक इस अधिकार को कार्यान्वित करने और प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं की उचित देख रेख करने वाला कोई केन्द्रीय प्राधिकार नहीं है। समिति का मत है कि तभी पक्षपात एवं दलबन्दी को दूर किया जा सकता है।

इस केन्द्रीय प्राधिकार की स्थापना किये बिना चाहे समवाय विधि में कितने ही सुधार किये जायें और कितनी ही शर्तें तथा सीमायें लगा दी जायें कोई लाभ नहीं होगा। हमें चाहिये कि भाभा समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर के एक स्वतन्त्र आयोग स्थापित करें जो पक्षपात रहित हो कर दलबन्दी की भावना से ऊपर उठ कर इस सारी व्यवस्था को ठीक ढ़ंग से चलाये।

भाभा समिति ने इस प्राधिकार को निरीक्षण और जांच की शर्तें देने का सुझाव दिया है। हम ने भी इन शक्तियों का उपबन्ध किया है। परन्तु इन को लागू करने वाला कोई प्राधिकार अवश्य होना चाहिये। इस की अनुपस्थिति में इस काम को कौन करेगा और कौन मंत्रणा आदि देगा ?

श्री एम० सी० शाह : सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए इस की व्याख्या की गई थी।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं उस व्याख्या से सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं इस संसद् को बता रहा हूं कि यह अधिनियम कुछ लोगों के लिये धन कमाने का साधन बन जायेगा और अनेक अवांछनीय तथा बुरी बातें होने लगेंगी जो इस समय भी नहीं होतीं। यदि किसी निदेशक का पारिश्रमिक बढ़ाना है अथवा नदेशकों की संख्या बढ़ाना है तो उस की अनुमति सरकार से लेनी पड़ेगी। अकेला मंत्री इन सब कामों को नहीं कर सकता। इसी उद्देश्य से एक संशोधन रखा गया है कि जांच तथा निरीक्षण का काम आयोग को सौंपा जाना चाहिये। इंगलिस्तान में व्यापार बोर्ड सक्षम निरीक्षकों द्वारा इन सब बातों की जांच करवा कर इन का निर्णय करता है। परन्तु यदि सरकार किसी निरीक्षक द्वारा किसी समवाय की जांच करवाती है तो उस समवाय की साख चली जाती है इसलिये उचित यह है कि यह काम आयोग को सौंपा जाना चाहिये किसी मंत्री अथवा विभागाध्यक्ष को नहीं।

भारतीय समवाय अधिनियम के लेखा उपबन्धों से उत्पन्न होने वाले काम और शक्तियां तथा लेखा परिक्षकों की नियुक्ति का काम इस आयोग को सौंपा जाना चाहिये। संतुलनपत्रों तथा लाभ हानि का अध्ययन भी इस आयोग का काम होना चाहिये और इसे ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजी निक्षेप का भी लगातार ध्यान रखना चाहिये। यह सब काम तभी हो सकेंगे जब कोई अधिकारी इसके लिये नियुक्त होगा। मेरे संशोधनों का उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय प्राधिकार "निगमित निक्षेप तथा प्रशासन आयोग स्थापित होना चाहिये जिस के पांच सदस्य हों और केन्द्रीय सरकार उन में से किसी को सभापति नियुक्त करे। सदस्यों के पास पर्याप्त कर्मचारी हों वे कम वर्ष के लिये रहें और पुनः पांच वर्ष के लिये नियुक्त किये जा सकें। उन्हें न्यायाधीशों के समान दर्जा दिया जाये ताकि वे किसी प्रकार के प्रभाव में न आ सकें अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा आयोग की बैठकों के बारे में संशोधन संख्या ११२२ है उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। संशोधन संख्या ११२३ में यह कहा गया है कि जिन मामलों में सरकार की अनुमति या मंजूरी अनिवार्य है उन सब मामलों की जांच इस आयोग द्वारा होनी चाहिये। यह भाभा समिति की सिफारिश है कि सरकार को इतनी व्यापक शक्तियां दी जा रही हैं तो इसे इन शक्तियों का प्रयोग आयोग के परामर्श और मंत्रणा के साथ ही करना चाहिये।

इस अधिनियम के संचालन और प्रशासन विष्यक मामलों की जांच और

[श्री एन० सी० चटर्जी]

प्रतिवेदन तथा धारा २३४ से २५० के अधीन निरीक्षण और अनुशासन के मामलों का निश्चय करने का काम जो इस आयोग को सौंपा जाना चाहिये। दीवाला निकालने वाले समवाय की कार्यवाहियों का अधीक्षण भी इस अयोग का काम होना चाहिये ये बड़े आवश्यक काम हैं, अतः संविहित आभार के अधीन ये काम इस अयोग को सौंपे जाने चाहियें जो सरकार और संसद दोनों के समक्ष अपना प्रतिवेदन उपस्थपित करें।

संशोधन संख्या ११२५ में मैं ने इस आयोग को बहुत व्यापक शवितयां दी हैं, प्रायः वही शवितयां सरकार द्वारा मंत्रणा आयोग को दी जा रही हैं। जुर्माना और मुक्ति संबंधी संशोधन भी विचारणीय हैं।

भाभा समिति ने प्रतिवेदन के पृष्ठ १९८ पर लिखा है कि इंगलिस्तान में श्रेष्ठि चत्वर संबंधी मामलों का निर्णय व्यापार बोर्ड द्वारा किया जाता है। आगे चल कर सिफारिश की गई है कि आयोग को समवाय लेखे के प्रशिक्षित टैक्नीकल और प्रशासनिक कर्मचारियों की कोटि स्थापित करनी चाहिये।

जब भाभा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जा रहा है, तो इस की मूल सिफारिश को—कि एक केन्द्रीय आयोग स्थापित किया जाये—क्यों स्वीकार नहीं किया जाता। इस आयोग के न होने पर समवाय विधि का संचालन और प्रशासन सुचारु रूप से नहीं हो सकता, तथा पक्षपात, भाई-भतीजावाद आदि की सभी बुराइयां जैसी की तैसी रहेंगी। निश्चय ही आर्थिक नीति बनाने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। भाभा समिति भी इस बात को मानती है। निदेशकों की संख्या बढ़ाने तथा प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं आदि के मामले में सरकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सरकार को इतनी अधिक शक्तियां दी गई हैं। फिर इन सब कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिये कोई स्वतन्त्र आयोग होना चाहिये, तभी सब प्रकार की बुराइयां दूर हो सकती हैं, अन्यथा नहीं।

आज श्री शाह ने खंड ४०७ के बारे में संशोधन रखा है कि अल्प संख्यकों द्वारा कुप्रबन्ध की शिकायत आने पर सरकार को निदेशक नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिये। परन्तु पहले ही उपबन्ध किया गया है कि सरकार ऐसी अवस्था में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का आश्वासन दे सकती है। इस उपबन्ध के होते हुए स्वयं निदेशक नियुक्त करने की शक्ति लेना उचित नहीं है।

श्री एम० सी० शाह : जब तक उन अनुच्छेदों में संशोधन नहीं हो जाता और निदेशक नियुक्त नहीं हो जाते।

श्री एन० सी० चटर्जी : संशोधन संख्या ११३३ के अनुसार यदि अल्पसंख्यक शिकायत करते हैं कि उन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो सरकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिये कहेगी और तब उन के दो निदेशक निर्वाचित किये जायेंगे। फिर निदेशक नामनिर्देशित करने की दूसरी शवित लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इस का उत्तर सरल है, वहां दो शर्तें हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना और लोक हित की दृष्टि से समवाय का कार्य चलाना। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ काम चल सकता है। परन्तु जहां मुख्य उद्देश्य वही नहीं, बल्कि लोक हित है, वहां उन को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये कहने की बजाय सरकार स्वयं स्थिति का सीधे नियंत्रण करने के लिये निदेशक नियुक्त करना चाहती है।

श्री एन० सी० चटर्जी : यहां लोक हित नहीं, बल्कि समवाय के हितों के विरुद्ध या अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही रोकने के उद्देश्य से यह उपबन्ध किया जाना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : इतना तो समझा जा सकता है कि बहु संख्या या अल्प संख्या के होते हुए भी समवाय के कार्यों की ठीक देखभाल नहीं हो सकती ।

श्री एन० सी० चटर्जी : जहां अल्पसंख्यकों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वहां भी सरकार को केवल अंशधारियों में से ही निदेशक नियुक्त करने होंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : सरकार दोनों शक्तियों को साथ साथ प्रयोग में ला सकती है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : सरकारी संशोधन के अनुसार जब तक नये निदेशकों की नियुक्ति न हो तब तक केन्द्रीय सरकार समवाय के सदस्यों में से दो व्यक्तियों को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर सकती है ।

सभापति महोदय : यह तो केवल अन्तरिम काल के लिये है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरे विचार से तो इन दो निदेशकों की नियुक्ति वांछनीय नहीं है । अन्त में, मुझे एक बात और कहनी है । जब इस विषय पर सभा में चर्चा की गई तब माननीय वित्त मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये था कि इस विधि के उचित प्रयोग के लिये किसी उपयुक्त आयोग अथवा विभाग की रचना की जायेगी अन्यथा इस काम को संभालना कठिन हो जायेगा ।

इसी प्रकार बैंकिंग और बीमा कम्पनियों को इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लाया गया है । यह भी अनुचित है । श्री अशोक मेहता ने बताया है कि इन में कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है और अनेक निदेशकों तथा समवायों का उन के साथ पारस्परिक अन्तर्गठन होता है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि बैंकिंग और बीमा कम्पनियों को समवाय विधि से पृथक नहीं रखा जाये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नैल्लोर) : श्री सी० सी०, एम० सी० और एन० सी० के भाषणों के उपरान्त अन्य लोगों के लिये बहुत ही कम समय रह गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : एम० सी०, एन० सी० और सी० सी०

सभापति महोदय : जो बातें दूसरों ने कह दी हैं उसे यदि माननीय सदस्य न दोहरायें तो समय काफी है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : जब हम खंड ४०९ पर विचार कर रहे थे तब मैं ने बताया था कि आयोग निर्माण का उपबन्ध विस्तारपूर्वक किया जाना चाहिये ।

इस विषय में मैं ने अपना संशोधन संख्या ३८३ दिया है जिस में मैं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आयोग की रचना किस प्रकार की जाय । मैं चाहता हूं कि उस के सदस्य योग्य व्यक्ति हों । उस में सरकार चाहे कुछ व्यक्तियों को नाम निर्देशित करे, फिर भी कुछ सम्बन्धित समवायों तथा उन के अंशधारियों के प्रतिनिधि उस में अवश्य होने चाहियें । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं कि अभी तो काम चलाने के लिये सरकार केवल नाम-निर्देशित व्यक्तियों को ही नियुक्त करे किन्तु बाद में यह आयोग विधिवत् सुचारु रूप से चलना चाहिये । साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि कार्यवाही में अधिक विलम्ब न होने पाये, क्योंकि व्यापार में समय का बहुत मल्य होता है और विलम्ब हो जाने से समवायों का बहुत हानि होगी । अन्त में,

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दर्रांग) : मैं ने दो संशोधन दिये हैं, जिन में से एक की संख्या ४३९ है जिस का उद्देश्य एक नये खंड ४०७क का उपबन्ध करना है और दूसरे की संख्या ५४६ है जिस का उद्देश्य एक नये खंड ४०८क का उपबन्ध करना है ।

समवायों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने के विषय में सभा में काफी चर्चा हो चुकी है । इस विषय में तीन सुझाव दिये गये हैं । पहला तो यह है कि श्रमिक अंशधारी बनें और केवल अपनी संख्या में से निदेशक चुने, दूसरा यह है कि निदेशकों का निर्वाचन किया जाय और तीसरा वह है कि जो मैं प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूं ।

पहला सुझाव मैं इसलिये मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि अभी भारत में ऐसे श्रमिकों की संख्या बहुत है जो किसी श्रम संघ के सदस्य नहीं हैं, अतः यदि श्रमिकों को निदेशक-निर्वाचन अधिकार दे दिये जायें तो उन के संघों में अनेक विवाद उठ खड़े होंगे और प्रबन्धकों को उन्हें लड़ाने का अच्छा अवसर मिल जायेगा ।

इसी प्रकार यदि समस्त श्रमिकों को निदेशक निर्वाचन अधिकार दे दिया जाय तो वहां भी प्रबन्धक गड़बड़ मचायेंगे और स्थिति बिगड़ जायेगी अतः मैं ने इन दोनों बातों के स्वीकार न करते हुए यह संशोधन रखा है कि जहां समस्त श्रमिकों के ५० प्रतिशत या उस से अधिक व्यक्ति किसी श्रम संघ के सदस्य हों, वहां वे निदेशकों के नामों के सुझाव सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उन में से दो व्यक्तियों को निदेशक नामनिर्देशित कर सकती है । इस प्रकार प्रबन्धकों को किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा ।

सरकार अभी यह कह रही है कि श्रमिकों द्वारा समवाय में भाग लेने के प्रश्न पर जब तक योजना आयोग विचार न कर ले तब तक वह कोई निश्चय नहीं करेगी किन्तु मैं कहता हूं कि ऐसे कार्यों में सरकार की प्रतीक्षा न कर के सभा को सदैव आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिये ।

यूगोस्लाविया में श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिया जाता है । वास्तव में वहां सब प्रबन्ध श्रमिक ही करते हैं और यहां तो मैं केवल दो निदेशकों के लिये कह रहा हूं । वे सारी नीति नहीं चलायेंगे । वे तो केवल निदेशक बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में होंगे ।

हमारे देश में श्रमिकों को पहले ही बहुत कम वृत्ति मिलती है । वर्ष के अन्त में जब लाभांश का वितरण होता है तो उसे इस न्यून वृत्ति की कमी को पूरा करने के लिये दिया गया समझा जाता है । जो वृत्ति श्रमिकों को उचित समय पर दी जानी चाहिये वह उन्हें वर्ष के अन्त में ही दी जाती है और उस में भी प्रबन्धक अनेक प्रकार की गड़बड़ कर देते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों का निदेशक बोर्ड में होना आवश्यक है ताकि वे इन बातों की देखभाल कर सकें ।

सरकार ने स्वयं अनेक न्यायाधिकरण को इसलिये स्थापित किये हैं कि श्रमिकों में लाभांश-वितरण उचित रीति से किया जाय अतः सरकार को इस प्रकार के संशोधन को अवश्य स्वीकार करना चाहिये ।

अब मैं संशोधन संख्या ५४६ के विषय में कहता हूं । मैं चाहता हूं कि जब कभी किसी समवाय के प्रबन्ध में कोई परिवर्तन हो तो नियोजितों की सेवा स्थिति में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । आजकल प्रायः ऐसा होता है कि जब कभी किसी समवाय के

पुराने मालिक के स्थान पर कोई नया मालिक आता है तो नियोजितों को उस के साथ नये क़रार करने पड़ते हैं। बहुत से व्यक्ति निकाल दिये जाते हैं और बहुतों के वेतन कम कर दिये जाते हैं। यद्यपि सरकार ने कम किये गये व्यक्तियों को क्षत्तिपूर्ति देने के लिये औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पारित किया है, तथापि नये मालिकों पर समवाय का पूर्ण दायित्व नहीं आने पाता। उदाहरण के लिये अनेक विदेशी समवाय भारतीयों द्वारा खरीदे जा रहे हैं और उन में नियोजितों की स्थिति में काफी अन्तर पड़ जाता है।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या ये सब बातें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आ गई हैं ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : उस में तो केवल नियोजित और नियोजक का उल्लेख किया गया है। जब कोई नया मालिक आ जाता है तो नियोजक और नियोजित में कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

सभापति महोदय : जब नया मालिक आता है तो उस पर भी समवाय का सारा दायित्व होता है।

श्री के० के० बसु : (डायमंड हार्बर) : किन्तु अनेक समवायों में कोई निश्चित क़रार होते ही नहीं।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : जो भी नया व्यक्ति किसी समवाय के अंश खरीदेगा उस पर समवाय का दायित्व होगा।

श्री के० के० बसु : मैं कहता हूं कि बहुत से समवायों में क़रार नहीं होते।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं भी यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूं। उदाहरण के लिये चाय बाग़ान के मामले को लीजिये। जब उन की बिक्री हुई और नये प्रबन्धक आये और नियोजितों ने सुप्रबन्ध के लिये सरकार से कहा तो सरकार ने कहा कि वे किसी विधि के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकते। अतः ऐसी स्थिति में नये प्रबन्धकों को किसी दायित्व की चिन्ता नहीं रहती।

श्री सी० सी० शाह : जब नये मालिक द्वारा केवल अंश खरीदे जाते हैं तब तो उस का दायित्व होता है, किन्तु जब समवाय की आस्तियां खरीदी जाती हैं तब ऐसा कोई दायित्व नहीं होता।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मेरा अभिप्राय आस्तियों से भी है। अनेक बार आस्तियां नीलाम द्वारा बेची जाती हैं जैसा कि चाय बाग़ान के मामले में हुआ है। जो भी नया मालिक नीलाम के द्वारा किसी समवाय को खरीदेगा वह यही कहेगा कि उस के ऊपर नियोजितों को रखने का कोई दायित्व नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : तो क्या आप यह चाहते हैं कि आस्तियों का स्थानान्तरण नहीं किया जाये ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : जी हां। बिल्कुल नहीं। साथ ही हमें श्रमिकों की दशा पर भी ध्यान देना चाहिये। श्रमिकों को आस्तियां नहीं समझा जा सकता। सरकार को चाहिये कि वह समवायों में उन का रोज़गार बराबर बनाये रखे। ऐसा न हो कि बाग के विक्रय के पश्चात् नया स्वामी पुराने कर्मचारियों को हटा कर नये रख लें। प्रायः उन्हें बदल दिया जाता है। साधारण मज़दूरों के साथ ऐसा नहीं किया जाता है वरन् केवल वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ ही ऐसा किया जाता है। मेरा कहना है कि जब कभी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाये सरकार के पास हस्तक्षेप करने और उसे रोकने की शक्ति होनी चाहिये। मेरा तात्पर्य ऊंचे वेतन पाने वाले कर्मचारियों से नहीं है वरन् उन से है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

के अन्तर्गत श्रमिक कहे जाते हैं। एक उदाहरण तो ऐसा हो चुका है जिस में सभी पुराने कर्मचारी निकाल दिये गये थे। मैं प्रबन्धक या उपप्रबन्धक की बात नहीं कह रहा हूं वरन् औद्योगिक विवाद अधिनियम के आधीन आने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में कह रहा हूं, जिन को ऐसी परिस्थितियों में कोई सहायता नहीं मिलती है। उन के लिये इस उपब का रखा जाना आवश्यक है ।

मैं चाहता हूं कि उप खंड (२) के अनुसार समुचित सरकार को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि जांच होने तक आन्तरिम आदेश जारी रह ।

तीसरे उपखंड में मैं ने यह उपबन्ध रखा है कि यदि पुराने मालिक को अपराधियों के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त था तो वही अधिकार नये मालिक को भी प्राप्त होना चाहिये। सरकार को केवल उचित मामलों में ही हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा जिस से कि बड़े पैमाने पर छंटनी न की जा सके और बेकारी को बढ़ने से रोका जाये। उस के बाद मैं ने "समुचित सरकार" शब्दों की व्याख्या भी रखी है। सरकार यह विनिश्चय करे कि यह व्याख्या उसे स्वीकार्य है या नहीं है।

श्री सी० सी० शाह : इन मामलों का सम्बन्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम से है न कि समवाय अधिनियम से ।

श्री के० के० बसु : मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि जब आस्तियों का हस्तान्तरण हो तो यह समझा जाये कि आस्तियों के साथ साथ श्रमिकों का भी हस्तान्तरण कर दिया गया है। उन का अभिप्राय यह है श्रमिकों को बराबर काम मिलता रहे इस बात की उन को प्रत्याभूति दी जाये और इसी के लिये वह समवाय विधेयक का संशोधन करना चाहते हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : समवाय के क्रेता को मालिक और कर्मचारियों के मध्य हुए करार की शर्तों से तभी आबद्ध किया जा सकता है जब कि मालिक और कर्मचारियों के सम्बन्ध किसी संविदा पर आधारित हों अन्यथा नहीं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मेरे संशोधन का यह प्रभाव होगा कि श्रमिक समवाय का दायित्व न बन कर आस्तियां बन जायेंगे। जो भी समवाय काम कर रहा होता है मजूर उस की आस्तियों का सब से महत्वपूर्ण अंश होते हैं। जब कभी कोई समवाय बेचा जाता है तो उस का मूल्यांकन स्थापित के आधार पर ही किया जाता है। श्रमिक न हों तो वास्तव में समवाय की कोई ख्याति नहीं हो सकती है। यह प्रश्न औद्योगिक विवाद अधिनियम में नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि इस का सम्बन्ध मालिक और कर्मचारियों के परस्पर संबंधों से है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिस में वे संबंध ही समाप्त हो जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यह समझा जाये कि वे संबंध बराबर कायम हैं जिस से कि यदि कोई विवाद उठे तो उसे न्यायाधिकरण को भेजा जा सके। आस्तियों और देयताओं का संबंध इसी विधि से है उन का हस्तान्तरण इसी विधि के अनुसार किया जाता है, इस लिये मजूरों के अधिकारों का भी उपबन्ध इसी विधि में बनाया जाना चाहिये। हमारे बदले हुए सामाजिक सिद्धान्तों को देखते हुए यदि मजूर भी आस्तियों का एक भाग समझे जायें तो इस का उपबंध इसी विधि में किया जाना चाहिये और इस परिवर्तन का जो परिणाम हो उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम में स्थान दिया जाना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अपने संशोधन संख्या ११०९ में मैं ने वही बात

कही है जो कि श्री त्रिपाठी ने कही है अन्तर केवल इतना है कि मेरा सुझाव एक सामान्य प्रस्थापना के रूप में है। मेरा सुझाव यह है जब कभी समवायों की रचना या स्वामित्व में कोई परिवर्तन किये जायें तो उन के परिणामर स्वरूप कर्मचारियों के हितों को आघात न पहुंचे। मैं श्री तुलसीदास की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे उपबन्ध श्रम संबंधी विधियों. के अन्तर्गत बनाय जायें परन्तु यह संशोधन यहां प्रासंगिक होने के कारण स्वीकार किया जा सकता है। ऐसा उपबन्ध रखने से कोई हानि नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कभी समवाय का हस्तान्तरण होता है तो या तो छंटनी कर दी जाती है या सेवासम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन कर दिये जाते हैं। उन के हितों की रक्षा करने के लिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें।

मेरा संशोधन संख्या ११२१ मंत्रणा आयोग के सम्बन्ध में है और मेरा सुझाव है कि मंत्रणा-आयोग के सुझाव केन्द्रीय सरकार पर बाध्य हों।

सभापति महोदय : परामर्श बाध्य कैसे हो सकता है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि सरकार मंत्रणा आयोग के परामर्श स्वीकार न करे तो फिर उस की आवश्यकता ही क्या है। संविधान के अनुसार मंत्रीमंडल भी एक मंत्रणा निकाय है। यह सर्वविदित है कि इतना होते हुए भी मंत्रीमंडल के सुझाव केन्द्र में राष्ट्रपति पर और राज्यों में राज्यपाल या राज्यप्रमुख पर बाध्य होते हैं। यद्यपि संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है तथापि मंत्रिमंडल का परामर्श मानना अनिवार्य होता है। मैं डरता इस बात से हूं कि हो सकता है कि समवायों के मामलों में सरकार मंत्रणा आयोग मे परामर्श लेने से इन्कार कर दे। वर्तमान विधेयक में ऐसी कोई प्रत्याभूति नहीं है कि इस आयोग के सुझावों का परिपालन किया ही जायेगा। सरकार पर ऐसा कोई उत्तर-दायित्व नहीं रखा गया है। यदि आप ऐसा निकाय केवल नाम मात्र के लिये ही बनाना चाहते हैं तो इस का बनाना ही बिल्कुल बेकार है।

जैसा कि श्री चटर्जी ने कहा है यदि हम चाहते हैं कि समवाय संबंधी कार्यों का प्रभाव-शाली रूप से प्रशासन किया जाये तो एक केन्द्रीय प्राधिकार की नियुक्ति की जानी चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

नियंत्रण विभागीय अच्छा है कि संविहित प्राधिकार का, इस प्रश्न की भाभा समिति ने बड़ी व्यापक विवेचना की है। उस समिति का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में समवाय सम्बन्धी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिये एक केन्द्रीय संविहित प्राधिकार का रखा जाना अधिक अच्छा होगा। समवाय संबंधी मामलों में वास्तविक सुधार तभी हो सकता है जब भाभा समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जायें और उन का वास्तव में परिपालन कराया जाये और संविहित प्राधि-कार के बिना यह काम हो नहीं सकता है और इतने विशाल काम विधेयक का पारित करना व्यर्थ है। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह इस केन्द्रीय प्राधिकार की नियुक्ति के लिये तैयार नहीं है तो मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये इस से बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

श्री कामत : मेरा पहला संशोधन, संशोधन संख्या ११११ अत्याचार और कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में है। मेरा सुझाव है कि समवायों में भी बहुसंख्यक या सत्ताधारी अल्पसंख्यकों का

[श्री कामत]

उत्पीड़न न कर सकें। इसलिये मेरा संशोधन है कि यदि कोई आचरण किसी सदस्य के लिये सदस्य की हैसियत से नहीं वरन् निदेशक की हैसियत से दमनकारी हो तो उस सदस्य को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इस उपधारा के अन्तर्गत आदेश जारी कराने के लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे और यह कि इस उपधारा में "सदस्यों" की परिभाषा में ऋणपत्र धारी भी सम्मिलित होंगे। जिस प्रकार हमारी सभा में बहुसंख्यक दल किसी भी सदस्य का दमन नहीं कर सकता है, और यदि ऐसा होता है तो कोई भी सदस्य अध्यक्ष-पद से शिकायत कर सकता है। अध्यक्ष-पद उस के अधिकारों की रक्षा करता है, परन्तु कोई सदस्य इसलिये कि वह मंत्री है मंत्री की हैसियत से शिकायत नहीं कर सकता है उसी प्रकार यदि समवाय का कोई सदस्य यह अनुभव करता है कि समवाय के प्रबन्ध में गड़बड़ी हो रही है तो वह न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर के आदेश जारी करा सकता है परन्तु वह निदेशक की हैसियत से ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह व्याख्या जोड़ दी जाये कि कोई निदेशक केवल सदस्य की हैसियत से ही इस उपखंड के अन्तर्गत न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

जहां तक केन्द्रीय प्राधिकार का संबंध है भाभा समिति ने इस विषय की बड़ी व्यापक विवेचना की है। इस पर पर्याप्त जोर दिया जा चुका है इस लिये इस के सम्बन्ध में मैं और अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

मेरे अन्य दो संशोधन संशोधन संख्या १११० और १११४ खंड ३९५ के संबंध में हैं, जिस के द्वारा केन्द्रीय सरकार को शक्ति दी गई है कि वह राष्ट्र हित में समवायों के सभा मेलन का उपबन्ध बना सकती है। मैंने अपने संशोधन के द्वारा परिवेदित पक्ष को सरकार के अन्याय से बचाने के लिये परित्राण का उपबन्ध किया है। संशोधन संख्या १११४ खंड ४०८ के संबंध में है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को शक्ति दी गई है कि वह निदेशक बोर्ड में होने वाले किसी ऐसे परिवर्तन को रोक सकती है जो कि समवाय के हितों के प्रतिकूल हो। इन दोनों संशोधनों में मैंने परिवेदित पक्ष को यह अधिकार दिया है कि वह केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकता है।

खण्ड ४१२ के सम्बन्ध में मैं ने संशोधन संख्या ११२४ रखा है जिस के द्वारा मैं चाहता हूं कि मंत्रणा आयोग को यह शक्ति दी जाये कि वह जांच के विषय से संबंधित खातों, दस्तावेजों या कागजात को पेश करने के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति को विवश कर सके जिस के पास कि यह चीजें हों।

मेरा अन्तिम संशोधन, संशोधन संख्या ११२८ खण्ड ४२३ के सम्बन्ध में है और मेरा सुझाव है कि धारा ४२०, ४२१ और ४२२ के उपबन्ध . . . . समवाय की सम्पत्ति के प्रापक पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे न्यायालय द्वारा समवाय की सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त किया गया हो, लागू होंगे और अन्त में मैं यह शब्द बढ़ाना चाहता हूं "आवेदनपत्र के प्रस्तुत किये जाने पर या स्वतः" यह एक बहुत ही वांछनीय संशोधन है। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें।

मैं सभा से भी अपने इन संशोधनों को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

श्री तुलसीदास : मेरे संशोधन संख्या १०२१ और १०२२ खण्ड ३९६ पर हैं

और संशोधन संख्या १०२४ खंड ४०७ पर है। "सदस्यों का दमन" इस के सम्बन्ध में सब से पहले भारतीय समवाय विधेयक, १९५१ के संशोधन आधिनियम में उपबन्ध किया गया था। उसमें रखे गये शब्द इंग्लैण्ड के अधिनियम के समान हैं। भाभा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में ऐसा ही सुझाव दिया है।

ये शब्द इसलिये अधिक स्पष्ट हैं क्योंकि उस समय तक आवेदन नहीं किया जा सकता जब तक किन्हीं सदस्यों का दमन न किया जा रहा हो। मूल विधेयक में भी यह शब्द नहीं थे जो अब हैं।

इस परिवर्तन से शरारत करने वाले लोगों को शरारत करने की खुली छुट्टी मिल जायेगी। लोग व्यर्थ तंग करने के लिये दावे करेंगे और इस का कोई अन्त नहीं होगा। यदि केवल एक सदस्य ही यह समझे कि उस का दमन किया जा रहा तो केवल यही कारण दाव के लिये पर्याप्त नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन उपयुक्त है।

श्री सी० सी० शाह : क्या मैं बता सकता हूं कि खण्ड ३९८ के अन्तर्गत १०० सदस्य आवेदन कर सकते हैं। अथवा कुल सदस्यों का दसवां भाग आवेदन कर सकता है और अकेला सदस्य नहीं।

श्री तुलसीदास : "का भाग" शब्द मूल अधिनियम में था। अब आपने इसे बदल कर "सदस्य अथवा" कर दिया है जिस का अभिप्राय है कोई भी सदस्य।

श्री सी० सी० शाह : केवल एक सदस्य आवेदन नहीं कर सकता है।

श्री तुलसीदास : मेरा अभिप्राय यह है कि यह परिवर्तन अब किया गया है पहले यह बात नहीं थी।

अपने संशोधन संख्या १०२४ पर बोलने से पहले मैं सरकार के संशोधन संख्या ११३३ पर अपने विचार प्रकट करूंगा। सरकारी संशोधन में यह उपबन्ध है कि यदि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली का अनुसरण न किया जाये तो सरकार किसी प्रकार के दमन इत्यादि के मामले में दो निदेशक नियुक्त कर सकती है। यह उपबन्ध न तो मूल विधेयक में ही था और न भाभा समिति ने इस की सिफारिश की थी और न ही यह इंग्लैंड के अधिनियम में है। इसे संयुक्त समिति ने रखा है। इस के साथ ही सदस्यों को न्यायालयों में जाने का अधिकार दिया गया है। यह उपबन्ध सरकार को विधि से भी अधिक अधिकार देता है—यह बातें विधि से परे की बातें हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यह बात विधि से परे कैसे है ?

श्री तुलसीदास : यह खण्ड विशेष अर्थात् खंड ४०७ विधि से बाहर है क्योंकि दमन तथा कुप्रबन्ध विधि में एक विशेष परिभाषा रखते हैं—यदि शिकायत करने वालों को न्यायालय में जाने का अधिकार है तो वह सरकार से प्रार्थना भी कर सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो विधि के अन्दर ही होगा।

श्री तुलसीदास : सरकार भी इसमें निरंकुश कार्यवाही कर सकती है, और यह एक असामान्य बात है। अब सरकार इस संशोधन द्वारा दो निदेशक नियुक्त कर सकती है—और समवाय को बाध्य हो कर अपने अनुपाती प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अन्तर्नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। यह तो किसी मात्रा तक ठीक है कि जब सरकार के पास शिकायत की जाये तो थोड़े समय के लिये परिवर्तन किया

[श्री तुलसीदास]

जाये अथवा इसे स्थायी बना दिया जाये—किन्तु यदि आप इसे अनिवार्य रूप से लागू कराना चाहते हैं तब यह निर्धारित समय में किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा इतने अधिक अधिकारा ले लेने के बाद मैं यह प्रार्थना करता हूं कि वित्त मंत्री इस प्रश्न पर ध्यान दें। जब सरकार यह देखे कि कोई समवाय ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो उस समवाय के बारे में सरकार को निर्णय करना चाहिये कि आगे इससे किसी प्रकार चलाया जाना चाहिये—अन्तर्नियमों में परिवर्तन करने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे अधिकार लेने से यह मामला एक समवाय के सामने स्थायी रूप से आजायेगा और इस को सुलझाना कठिन सा हो जायेगा—इसलिये मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस बात पर पूरा पूरा ध्यान दें।

खण्ड ४१० पर मैं ने अपना संशोधन संख्या १०२५ प्रस्तुत किया है। मेरा संशोधन भाभा समिति के अनुसार है जिस ने अनुविहित प्राधिकार की स्थापना की सिफारिश की है। मंत्रणा आयोग के निर्दिष्ट करने के लिये कुछ एक खण्ड मैं ने जोड़े हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने बता ही दिया है कि किन कारणों से वह संविहित आयोग नहीं चाहते सरकार ने भाभा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। सरकार को अत्याधिक शक्तियां दी गई हैं। यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है इसलिये एक संविहित आयोग से कोई लाभ नहीं है—मामला सरकार के पास ही रहना अच्छा है।

श्री के० पी० त्रिपाठी के संशोधन संख्या ५४६ के बारे में माननीय वित्त मंत्री को एक बात पर ध्यान देना चाहिये। जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा है श्रमिकों का दायित्व उस समवाय के हस्तान्तरित समवाय के ऋणपत्र धारियों द्वारा वहन किया जाना चाहिये—यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो समवायों को अपेक्षित धन एकत्रित करना कठिन हो जायेगा और समवाय को हानि होगी। ऋणपत्र धारी श्रमिकों के दायित्व का भुगतान नहीं करेंगे इस बात पर श्रमिकों के सम्बन्ध में विधि बनाते समय विचार किया जा सकता है : इस समय इस सुझाव पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।

सभापति महोदय : खंड ३८९ से ४२३ पर यह संशोधन हैं :

खण्ड ३९१	६८२ (सरकारी), १०३० (सरकारी)
खंड ३९१क (नया)	१०३१ (सरकारी)
खण्ड ३९२	११०८
खण्ड ३९३	११०९
खण्ड ३९५	१११०
खण्ड ३९६	१०२१, १११९, १०२२
खण्ड ३९८	१०२३
खण्ड ४००	६८३ (सरकारी)
खण्ड ४०७	१११२, ११३३ (सरकारी) १०२४, १११३
खण्ड ४०७क (नया)	४३९
खण्ड ४०८	१११४
खण्ड ४०८क (नया)	५४६
खण्ड ४०९	१११५, १११६, १११४ (सरकारी), ३८३
खण्ड ४१०	१११८, ११३५ (सरकारी), १११९, १०२५ ६८६ (सरकारी) ११२१
खण्ड ४११	११२२, ११३६, (सरकारी)

खण्ड ४१२ ११२३, ११२४,
खण्ड ४२३ ११२५
खण्ड ४१४ ११२६
खण्ड ४१४क
(नया) ११२७
खण्ड ४२३ ११२८

खंड ३९१—(समझौता करने की शक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १९६, पंक्ति ९,
"sub-section (3)" ["उपधारा (३)"] के स्थान पर "sub-section (4)" ["उपधारा (४)"] रखा जाये ।

(२) पृष्ठ १९६,

पंक्ति २० के बाद यह जोड़ा जाये :

"The provisions of sub-sections (3) to (6) shall apply, in relation to the appellate order and the appeal, as they apply in relation to the original order and the application."

["उपधारा (३) से (६) के उपबन्ध, अपीलीय आदेश और अपील के सम्बन्ध में, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे मूल आदेश और प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"]

नया खंड ३९१–क

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १९६,

पंक्ति २० के बाद निम्नलिखित रखा जाय :

"391 A. Power of High Court to enforce schemes of arrangements, etc—(1) Where a High Court makes an order under section 391 sanctioning a compromise or an arrangement in respect of a company it—

(a) shall have power to supervise the carrying out of the compromise or arrangement; and

(b) may, at the time of making such order or at any time thereafter, give such directions in regard to any matter or make such modification in the compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper working of the compromise or arrangement.

(2) If the Court aforesaid is satisfied that a compromise or arrangement sanctioned under section 391 cannot be worked satisfactorily with or without modifications, it may, either on its own motion or on the application of any person interested in the affairs of the company, make an order winding up the company, and such an order shall be deemed to be an order made under section 431 of this Act.

(3) The provisions of this section shall, so far as may be, also apply to a company in respect of which an order has been made before the commencement of this Act under section 153 of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) sanctioning a compromise or an arrangement."

["३९१-क. व्यवस्थाओं की योजनाओं का प्रवर्तन कराने की उच्च न्यायालय की शक्ति आदि—(१) जहां कोई उच्च न्यायालय धारा ३९१ के

[श्री सी० डी० देशमुख]

अन्तर्गत किसी समवाय के सम्बन्ध में किसी समझौते या व्यवस्था की मंजूरी देने वाला आदेश दे, तो—

(क) उसे समझौते या व्यवस्था के लागू किये जाने का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी, और

(ख) वह ऐसा आदेश देने के समय या उस के बाद किसी भी समय किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या व्यवस्था में ऐसे रूपभेद कर सकेगा जिन्हें वह समझौते या व्यवस्था के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने के लिये आवश्यक समझे ।

(२) यदि उपरोक्त न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि धारा ३९१ के अन्तर्गत जिस समझौते या व्यवस्था की मंजूरी दी गई है वह रूपभेदों के साथ या उन के बिना सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो सकती, तो वह, अपनी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर जिस का समवाय के मामलों में हित हो, समवाय के समापन का आदेश दे सकता है, और ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा ४३१ के अन्तर्गत दिया गया आदेश समझा जायेगा ।

(३) इस धारा के उपबन्ध, जहां तक हो, ऐसे समवाय पर भी लागू होंगे जिस के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले, भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ का सातवां) की धारा १५३ के अन्तर्गत समझौते या व्यवस्था की मजूरी देने वाला आदेश दिया जा चुका हो ।"]

खंड ४००—(प्रार्थना करने का केन्द्रीय सरकार का अधिकार आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खंड ४०० के स्थान पर यह रखा जाये :

"*400. Right of Central Government to apply under section 396 and 397.*-- The Central Government may itself apply to the Court for an order under sections 396 and 397, or cause an application to be made to the Court for such an order by any person authorised by it in this behalf."

["४००—धारा ३९६ और ३९७ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का प्रार्थना करने का अधिकार—केन्द्रीय सरकार स्वयं न्यायालय से धारा ३९६ या ३९७ के अन्तर्गत आदेश जारी करने की प्रार्थना कर सकती है, या इस सम्बन्ध में अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश जारी करने के लिये, न्यायालय को प्रार्थनापत्र भिजवा सकती है ।"]

खंड ४०७—(सरकार की शक्तियां आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २०५—

(एक) खंड ४०७ को उस खंड का उपखंड (१) संख्या दी जाये,

(दो) इस प्रकार पुनःसंख्याकित उपखंड (१) में—

(क) पंक्ति २८, "not exceeding three years"

["तीन वर्ष से अधिक"] के बाद "on any occasion" ["किसी एक समय पर"] रखा जाये ।

(ख) पंक्ति २६, " on the application" ["आवेदन पर"] के बाद "of not less than two hundred members of the company or" ["समवाय के दो सौ सदस्यों से अन्यून के या'] रखा जाये; और

(ग) पंक्ति ३०, "is satisfied" ["सन्तुष्ट है"] के बाद "after such enquiry as it deems fit to make" ["ऐसी जांच करने के बाद जो वह करना उचित समझे"] रखा जाये ।

(तीन) पंक्ति ३४ के बाद, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that in lieu of passing an order as aforesaid, the Central Government may, if the company has not availed itself of the option given to it under section 264, direct the company to amend its articles in the manner provided in that section and make fresh appointments of directors in pursuance of the articles as so amended, within such time as may be specified in that behalf by the Central Government."; and

["परन्तु पूर्वोक्त रूप में एक आदेश पारित करने के स्थान पर, केन्द्रीय सरकार यदि समवाय ने धारा २६४ के अन्तर्गत उसे दिये गये विकल्प का प्रयोग न किया हो, तो, उस धारा में उपबन्धित रीति से समवाय को उस के सीमा नियमों में संशोधन करने और इस प्रकार संशोधित सीमा नियमों का अनुसरण करते हुए ऐसे समय में, जो इस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाये, निदेशकों की नई नियुक्ति करने का निदेश दे सकेगी"]; और

(चार) इस प्रकार पुनःसंख्याकित उपखंड (१) के बाद, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(2) In case the Central Government passes an order under the proviso to sub-section (1), it may, if it thinks fit, direct that until new directors are appointed in pursuance of the order aforesaid, not more than two members of the company specified by Central Government shall hold office as additional directors of the company.

(3) For the purpose of reckoning two-thirds or any other proportion of the total number of directors of the company, any director or directors appointed by the Central Government under sub-section (1) or (2) shall not be taken into account."

["(२) यदि केन्द्रीय सरकार उपखंड (१) के परन्तुक के अन्तर्गत एक आदेश पारित करती है, तो वह यदि उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि जब तक पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में नये निदेशक नियुक्त न किये जायें, तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्ट किये गये समवाय के दो से अधिक सदस्य समवाय के अतिरिक्त निदेशक के रूप में पद ग्रहण करेंगे ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

(३) समवाय के निशदेशकों की कुल संख्या के दो-तिहाई या किसी दूसरे अनुपात के जोड़ने के प्रयोजन से, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (१) या (२) के अन्तर्गत नियुक्त कोई निदेशक या निदेशकगण नहीं जोड़े जायेंगे ।"]

खंड ४०९—(मंत्रणा आयोग की नियुक्ति)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २०६, पंक्ति १४ और १५,

"on any matter arising out of the provisions of this Act referred to in clause (a) of section 410"

("धारा ४१० के खंड (क) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्धों से उद्भूत किसी बात पर"] के स्थान पर

"on the matter referred to in clause (a) of section 410 and the applications referred to in clause (b) of that section."

["धारा ४१० के खंड (क) में निर्दिष्ट बात और इस धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट आवेदनों पर") रखा जाये ।

खंड ४१०—(मंत्रणा आयोग के कर्त्तव्य)

श्री सी० डी० देशमुख मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २०६,

(एक) पंक्ति २५ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(a) before a notification is issued under section 323 in respect of any description of industry or business; on the necessity for; and advisability of; issuing the notification;"

["(क) उद्योग या कारबार के किसी विवरण के सम्बन्ध में धारा ३२३ के अन्तर्गत किसी अधिसूचना के निकाले जाने से पहले, अधिसूचना निकालने की आवश्यकता और औचित्य के बारे में ;"]

(दो) पंक्ति २६, "(क)" के स्थान पर "(ख)" रखा जाये; और

(तीन) पंक्ति २९, "(ख)" के स्थान पर "(ग)" रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २०६, पंक्ति २७,

(एक) "२५९, २६६" का लोप किया जाये;

(दो) "२६७" के बाद "२३८" रखा जाये; और

(तीन) "३३१" के बाद "३४२" रखा जाये ।

खंड ४११ (प्रपत्र और प्रक्रिया आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २०६, पंक्ति ३३,

"खंड (क)" के स्थान पर "खंड (ख)" रखा जाये ।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी खंडों पर निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन प्रस्तुत किये गये :

सदस्य नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री कामत	३९२	११०८
श्री कामत	३९३	११०९
श्री कामत	३९५	१११०
श्री तुलसीदास	३९६	१०२१
		१०२२
श्री कामत	३९६	१११९

सदस्यनाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री तुलसीदास	३९८	१०२३
श्री भागवत झा आजाद	४०७	१११२, १११३
श्री तुलसीदास	४०७	१०२४.
श्री के. पी. त्रिपाठी	४०७क (नया)	४३९
श्री कामत	४०८	१११४
श्री के. पी. त्रिपाठी	४०८क (नया)	५४६
श्री कामत	४०९	१११५
श्री एन० सी० चटर्जी	४०९	१११६
श्री रामचन्द्र रेड्डी	४०९	३८३
श्री एन. सी. चटर्जी	४१०	१११८
श्री शिवमूर्ति स्वामी	४१०	१११९
श्री तुलसीदास	४१०	१०२५
श्री कामत	४१०	११२१
श्री एन. सी. चटर्जी	४११	११२२
श्री एन. सी. चटर्जी	४१२	११२३
श्री कामत	४१२	११२४
श्री एन. सी. चटर्जी	४१३	११२५
श्री एन. सी. चटर्जी	४१४	११२६
श्रीं एन. सी. चटर्जी	४१४क (नया)	११२७
श्री कामत	४२३	११२८

सभापति महोदय : ये सब संशोधन चर्चा के लिये सभा के सामने हैं।

श्री के० के० बसु : मैं श्री कामत के संशोधन संख्या ११०९ का, जो खण्ड ३९३ के सम्बन्ध में है, तथा श्री त्रिपाठी के संशोधन संख्या ४३९ का समर्थन करता हूं।

श्री कामत का संशोधन यह है कि यदि दो समवायों को मिलाया जाये तो वह हस्तान्तरण इस प्रकार किया जाये जिस से कि मिलने वाले समवायों के मंचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन की सेवा अवधि तथा सेवा की शर्तों आदि का ध्यान रखा जाये। इस सम्बन्ध में यह तर्क रखा जायेगा कि न्यायालयों को इस की देखभाल का अधिकार दिया जा रहा है इसलिये अन्याय नहीं होगा। वर्तमान ढांचे में न्यायालयों को एक निश्चित विधि के अन्दर ही रहना पड़ता है और फिर यह मामला एक सामाजिक मामला है। इसलिये कर्मचारियों को कुछ संविहित प्रत्याभूतियां दी जानी आवश्यक हैं—यह ठीक है कि न्यायालयों के निर्णय स्वतन्त्र होंगे—किन्तु यह आवश्यक नहीं कि न्यायाधीश आर्थिक विषय के विशेषज्ञ भी हों। उन्हें शपथ पत्रों के आधार पर निर्णय देना होता है—इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जब कभी ऐसा हस्तान्तरण हो तो लेने वाला समवाय मिलने वाले समवाय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा वेतन आदि का ध्यान अवश्य रखे। हम आज एक योजना के बाद दूसरी योजना आरम्भ कर रहे हैं इसलिये हमें यह सामाजिक उद्देश्य अपने सामने रखना है। हम ने देखा है कि जब दो समवायों का समामलेन होता है तो प्रायः कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाती है। गत महायुद्ध के बाद यह स्थिति प्रायः रही है। ऐसे कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया है जिन्हों ने २५ वर्ष तक की सेवा की थी। बहुत सी व्यापारिक संस्थाओं में तो यह शर्त होती है कि उपदान इत्यादि उस समय तक नहीं दिया जाता है जब तक कि कोई व्यक्ति २५ वर्ष की सेवा पूरी न करे— यह है उन लोगों का व्यवहार जो अपने आप को उद्योगों के विकास के महान स्तम्भ कहते हैं। इस कारण से मैं श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं।

इस के बाद श्री त्रिपाठी का जो संशोधन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक नया खंड ४०७क के रखे जाने के सम्बन्ध में है। खंड ४०७ के अधीन सरकार को दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है यदि ऐसा करना

[श्री के० के० बसु]

सार्वजनिक हित में हो । मैं इस के गुणों में नहीं जाना चाहता—बल्कि मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि श्रम भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है—किन्तु कई बार नियोजक ऐसे तथ्य प्रस्तुत करते हैं जो कि उस समय तक बाहर वाले लोगों को मालूम ही नहीं होते । यदि प्रबन्धकों को इस प्रकार कार्य करते रहने दिया गया तो समवाय परिसमापति हो जाता है और आस्तियां समाप्त हो जाती हैं । खंड ४०७ के अनुसार सरकार दो निदेशक नियुक्त करेगी ताकि समवाय के ऐसे कार्यों को रोका जाये जिन से कि सदस्यों का दमन होता हो और समवाय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । यह ठीक है, किन्तु समवाय के हित से केवल प्रबन्धक अथवा अंशधारियों का हित ही नहीं समझा जाना चाहिये—यह तो एक सामाजिक हित होती है—जैसे कोयले की खान के बन्द होने से सामाजिक हानि होती है—इसलिये इसी कार्य के अन्तर्गत श्रमिकों के हित को भी सम्मिलित कर लिया जाये । उन का समवाय के लाभों तथा प्रगति में बराबर का भाग होता है, इसलिये सरकार को श्री त्रिपाठी का संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

संशोधन संख्या ५४६ के सिद्धान्त का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं—किन्तु मैं समझता हूं कि इस का प्रारूपण ठीक ढंग से नहीं किया गया है । हम समवाय विधि के द्वारा किसी समवाय के दायित्व तथा आस्तियों को निर्धारित कर सकते हैं । श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि ऋणपत्र धारियों का क्या होगा ? जब कोई मारवाड़ी रुपया उधार देता है यह देखना उसका कर्तव्य हो जाता है कि सरकारी देय का क्या हुआ ? वह यह नहीं कह सकता कि मुझे उस सम्बन्ध में पता नहीं है । यही बात निगम के देय करों के सम्बन्ध में है—इसलिये इस पहलू पर एक सविहित उपबन्ध हो सकता है । एक निश्चित अवधि तक श्रमिकों के वेतन को भी प्रथम प्रभार समझा जाये और समवाय की आस्तियों तथा दायित्य के आधार पर उस पर विचार किया जाये । आस्तियों तथा दायित्वों को स्पष्ट वस्तुओं तक ही सीमित नहीं करना चाहिये ।

कठिनाई तब आयेगी जब आस्तियां ली जांयेगी । यदि समवाय को ही लिया जाये—समवाय जारी रहे और यदि किसी प्रकार का समझौता हो—तो इसे किसी मात्रा तक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सकता है ।

कठिनाई तो उन स्थानों में होती है जहां स्वामित्व शोघ्रता से बदल रहा है जैसे आसाम के चाय बाग़ान हैं । श्री तुलसीदास ने ऋण-पत्र धारियों के बारे में पूछा है । ऋणपत्र धारी यह जानते हैं कि आस्तियां तथा दायित्व क्या हैं । निश्चित आस्तियां सरकार के न चुकाये गये देयों के साथ साथ किसी अवधि तक की प्रत्याभूतियों और मजूरियों को भी हिसाब में लाया जाना चाहिये । यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि किसी समवाय विधि में हम यह उपबन्ध भी कर सकते हैं कि आस्तियों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में श्रमिकों के वेतन के सम्मिलित किये जाने के प्रश्न पर भी यहां विचार करना चाहिये और इस के लिये हम संशोधन रख सकते हैं और इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । समाज तो यही चाहता है कि समवाय ठीक ढंग से चलें और समाप्त न हों । आज समस्त सभ्य समाज यह स्वीकार करता है कि इन समवायों का एक सामाजिक उपयोग है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह देखने का अधिकार है कि क्या ये समवाय ठीक चल रहे हैं अथवा नहीं ।

जहां तक किसी ऐसे संविहित आयोग का प्रश्न है जो कि स्वायत्तशासी हो और जो कि

संसद् के नियंत्रण से बाहर हो तो मैं उस के विशेष पक्ष में नहीं हूं। दामोदर घाटी निगम आदि के बारे में हमारा पूर्व अनुभव है। इसलिये कोई ऐसा आयोग जो संसद् के नियंत्रण से बाहर है, हमें स्वीकार नहीं है। कई उपबन्ध हैं उदाहरणार्थ खण्ड ३२३ है—जिन के अनुसार सरकार यह कह सकती है कि एक विशेष अवधि के बाद सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि अमुक उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि जब तक वर्तमान वित्त मंत्री रहेंगे तब तक कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी। यह एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है जिसे नौकरशाही के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि इस का हल संसद् ही करे कि अमुक समय के बाद अमुक उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। संविहित आयोग के सदस्य चाहे विशेषज्ञ ही क्यों न हों—चाहे कुछ ही क्यों न हों—वह यह नहीं कहेंगे कि अब इस प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली की समाप्ति कर दी जाये। इसलिये ऐसा आयोग हमें स्वीकार नहीं है। अब पारिश्रमिक का प्रश्न है। आज सरकार ८ तथा १० प्रतिशत के विषय में विचार करती है—कल स्थिति के अनुसार इसे घटाया भी जा सकता है—किन्तु इस का निर्णय संसद् ही करेगी। इस कारण से संसद् के नियंत्रण के बाहर किसी संविहित आयोग की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक नौकरशाही के हाथों मामला सौंपने का प्रश्न है, मैं उस के विरुद्ध हूं। क्योंकि हमें यह अनुभव है कि सिविल सर्विस से सेवा-निवृत्त होने के बाद भी उन पदाधिकारियों का रवैय्या नहीं बदलता है। मुझे आशा है कि सरकार हमें यह निश्चित आश्वासन देगी कि प्रशासनिक निकाय में अनुभवी तथा ईमानदार व्यक्ति होंगे और वह निकाय इस अधिनियम के प्रविधिक उपबन्धों के प्रवर्तन तक ही सीमित रहेगा और सलाहकार निकाय सरकार का एक विभाग नहीं बनेगा।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : इन खंडों पर चर्चा करते समय श्री चटर्जी ने एक केन्द्रीय स्वायत्त प्राधिकार के गठन का प्रश्न उठाया है। मैं उसी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस विधेयक पर हुई सामान्य चर्चा के समय मैं इस के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट नहीं कर सका था। परन्तु जब मैं ने वित्त मंत्री को बोलते हुए बीच में टोका था तो उन्हों ने केन्द्रीय प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से बैंकों और बीमा कम्पनियों को निकाल देने के सम्बन्ध में दो कारण बताये थे। परन्तु मैं उन्हें ठीक प्रकार से समझ न सका हूं कि ऐसा क्यों किया गया है।

विधेयक का खंड ६१० बताता है कि इस अधिनियम के उपबन्ध किन किन बीमा समवायों, बैंकिंग समवायों, विद्युत् समवायों तथा किसी विशेष अधिनियम से शासित होने वाले समवायों पर लागू होंगे। खण्ड ६१० का विशेष रूप से निजी समवायों से सम्बन्ध है।

मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि सभी बैंकों के नियंत्रित करने के लिये रिजर्व बैंक है और सभी बीमा समवायों को नियंत्रित करने के लिये बीमा विभाग का एक अध्यक्ष है तथापि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जब कि हमारे पास एक केन्द्रीय प्राधिकार है तो किसी भी संयुक्त पूंजी समवाय के किसी भी वर्ग को इस के क्षेत्राधिकार से मुक्त करने में कोई तर्क नहीं है। विद्युत् विभाग के सम्बन्ध में भी मेरा यही मत है कि यद्यपि वह वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है तथापि समवाय होने के नाते उसे भी समवाय विधि का परिपालन कराने के

[श्री ए० एम० थामस]

लिये बनाये गये केन्द्रीय प्राधिकार के अधीन रखा जाना चाहिये । इस प्रकार उस पर वित्त मंत्रालय अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखेगा । मैं अनुभव करता हूं कि वित्त मंत्री का भी यही विचार है कि बैंकिंग और बीमा समवायों को इस प्रशासनिक व्यवस्था में लाया जाना चाहिये । इस के सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान भाभा समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ १९३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में बताया गया है कि केन्द्रीय प्राधिकार गठित करने के दो उपाय हैं । एक उपाय एक केन्द्रीय विभाग स्थापित करना है जो कि इंग्लैंड के बोर्ड आफ़ ट्रेड की भांति कार्य करे और जिस में स्थानीय पंजीयक अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें । भाभा समिति सभी प्रकार के समवायों को इसी केन्द्रीय प्राधिकार के नियंत्रण में रखना चाहती है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार के सशक्त केन्द्रीय प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से बीमा और बैंकिंग समवायों को छूट क्यों दी जाये ।

बैंकिंग समवाय अधिनियम के प्रशासन में, यदि सारा कार्य केन्द्रीय प्राधिकार के अधीन रहे तो वह प्राधिकार सम्पूर्ण कार्य को देश की आर्थिक नीति के अनुसार चलायेगा । जब कि समवाय विधि के प्रशासन के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकार बनाया जा रहा है और संयुक्त स्कन्ध समवाय उस के अन्तर्गत रखे जा रहे हैं तो उस के क्षेत्राधिकार से बैंकों और बीमा समवायों को छूट देने में कोई तर्क नहीं है ।

बीमा समवायों के प्रशासन के सम्बन्ध में, मंत्री महोदय स्वयं ऐसा अनुभव करेंगे कि इन समवायों ने वैसी कार्यकुशलता नहीं दिखाई है, जैसी कि बैंकिंग समवायों के प्रबन्ध में दिखाई दी है । इसलिये बीमा समवायों को इस केन्द्रीय प्राधिकार के नियंत्रण में रखना और भी आवश्यक है ।

श्री चटर्जी ने एक केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना के बारे में बहुत प्रभावशाली तर्क उपस्थित किये थे । परन्तु वित्त मंत्री महोदय ने विभिन्न खंडों का विश्लेषण करते हुए यह कहा था कि इस विधेयक के अधीन प्रशसान पर नियंत्रण रखने के लिये एक केन्द्रीय स्वायत्तशासन प्राधिकार को स्थापित करना सम्भव नहीं हो सकेगा । भाभा समिति ने भी इस पर विचार किया है और यह तर्क दिया है कि संयुक्त पूंजी समवायों के कार्यों पर केन्द्रीय नियंत्रण तथा सुपरिवीक्षण की आवश्यकता है । और इसलिये भारत में भी केन्द्रीय नियंत्रण के लिये एक विभाग की आवश्यकता है । भाभा समिति ने ब्रिटेन का भी उदाहरण दिया है कि वहां पर ऐसा नियंत्रण रखने के लिये बोर्ड आफ़ ट्रेड (व्यापार-बोर्ड) है । इसलिये उस ने सिफारिश की थी कि यदि भारत सरकार भारतीय समवाय अधिनियम को दृढ़ बनाना चाहती है तो एक केन्द्रीय विभाग की स्थापना करना अत्यावश्यक है । परन्तु उसने कहीं भी एक स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना की सिफारिश नहीं की है । अतः श्री चटर्जी द्वारा दिया गया सुझाव कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

खण्ड ४०७ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भाभा समिति की सिफारिशों में ऐसा कोई खण्ड नहीं है, तथापि उसके कुछ एक वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ऐसी सिफारिश उस के सम्मुख रखी जाती तो वह अवश्य स्वीकार कर ली जाती । सरकार समवायों के कुप्रबन्धों को दूर करने और अल्पसंख्यक अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये खण्ड ४०६ को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो श्री तुलसीदास को इसी से ही संतोष कर लेना चाहिये और इस खंड के निकाल दिये जाने पर आग्रह नहीं करना चाहिये ।

इस के साथ ही साथ मेरा यह निवेदन भी है कि परामर्शदाता आयोग के विधान और प्रशासन में ऐसे अभिसमय रखे जायें जिन से कि विश्वास उत्पन्न हो सके ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : संविहित बोर्ड के विषय में इतनी अधिक चर्चा हो चुकी है कि अब और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं इस मंत्रणा आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ।

खण्ड ४०९ में इस मंत्रणा आयोग की आश्वयकता के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है और यह बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने के लिये कि एक मंत्रणा आयोग की आवश्यकता है, और केवल इन उपबन्धों के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु किसी भी समस्या पर परामर्श देने के लिये इस मंत्रणा आयोग की आवश्यकता है । ऐसे आयोग को खंड ४०९ के अधीन दिये गये सभी अधिकार दिये जाने चाहियें । वैसे तो यह सभी कुछ सरकार पर ही निर्भर करता है कि वह इस आयोग से किसी भी मामले के बारे में परामर्श ले अथवा न ले । यदि सरकार निदेशकों, उन की नियुक्तियों उन के पारिश्रमिकों, उन की संख्या में वृद्धि करने आदि से सम्बन्धित विषयों में मंत्रणा आयोग से परामर्श करे तो इस से और अधिक विश्वास उत्पन्न होगा ।

खंड ४१२ में इस आयोग को विभिन्न विवादों की जांच करने और वास्तविक कारण की खोज करने के बारे में अधिकार दिये गये हैं । जहां तक दंड का प्रश्न है इस निकाय को साधारण दंड विधान से भी अधिक अधिकार दिये गये हैं । मुझे आशा है कि दण्ड सम्बन्धी मामलों में यह आयोग प्राधिकारियों को सचेत रखेगा । यह आवश्यक नहीं है कि सरकार आयोग के निर्णय को अवश्य स्वीकार करे ही, परन्तु उस के परामर्श का मान अवश्य किया जाये । अतः मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि वह आयोग के परामर्श का मान अवश्य करेंगे । किसी भी मामले पर सर्वोत्तम परामर्श देना तो आयोग का काम है और परामर्श को कार्यान्वित करना सरकार का कार्य है । वास्तविक उत्तरदायित्व तो सरकार का होगा । परन्तु मंत्रणा आयोग के परामर्श को कदापि नहीं ठुकराया जायेगा ।

यदि मंत्रणा बोर्ड का संविहित बोर्ड के अनुसार बनाना है जिस के कार्य में संसद् कोई पूछताछ नहीं कर सकती है, तो वह व्यर्थ है । परन्तु परामर्शदाता आयोग से हम पूछताछ कर सकते हैं । मामला इतना पेचीदा है कि जब तक कि हम समस्त उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं रखते हैं तब तक समवाय विधि के उपबन्धों का परिपालन संविहित बोर्ड द्वारा नहीं किया जा सकता है । अतः सरकार तथा संविहित बोर्ड दोनों के द्वारा उत्तरदायित्व संभाला जाना चाहिये ।

अंग्रेजी शासन काल में जब प्रान्तों में भारतीय मंत्री नियुक्त करने का प्रश्न आया था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम तब तक अपने साथियों को मन्त्री नहीं बनने देंगे जब तक कि यह करार नहीं हो जायेगा कि उन के परामर्श को माना जायेगा, और सरकार को यह शर्त माननी पड़ी थी । इसी प्रकार से इस मंत्रणा आयोग को भी स्थापित करने से कोई लाभ न होगा जब तक कि उस के परामर्श का मान न किया जाये । यदि उस के परामर्श को ठुकरा दिया गया तो मंत्रणा आयोग बनाने की आवश्यकता ही क्या है ।

यदि वित्त मंत्री महोदय मेरे इस कथन से सहमत नहीं है कि साधारणतया उसके परामर्श को स्वीकार करना चाहिये, तो ऐसी स्थिति में मंत्रणा आयोग को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

आयोग के अधिकारों के सम्बन्ध में मेरा यह कथन है कि विवादास्पद सभी मामलों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के अतिरिक्त सरकार की नीति सम्बन्धी सभी मामलों पर भी इसी आयोग से परामर्श लिया जाये। क्योंकि यदि विवादास्पद मामले बोर्ड को न भेज गये तो इस बोर्ड की आवश्यकता ही क्या है। अतः यह स्पष्ट उपबन्ध होना चाहिये कि नीति सम्बन्धी मामले उसे निर्दिष्ट किये जायेंगे। हम चाहते हैं कि आयोग को पर्याप्त प्रभावोत्पादक बनाया जाये और उस के परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जाये।

इसलिये वित्त मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस मंत्रणा आयोग के कार्य के सम्बन्ध में अपनी योजना को स्पष्ट करें ताकि सभा को विश्वास हो सके। कोई भी कार्य किसी अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता है। मंत्री महोदय हजारों समवायों का कार्य अकेले नहीं देख सकते हैं। इतने उत्तरदायित्वों को अकेले नहीं निभा सकते हैं। इस के लिये एक मंत्रणा आयोग की आवश्यकता है।

मुझे भय है कि इस से भाई भतीजावाद बढ़ जायेगा। प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्ध निदेशक आदि ये सब लोग आप के हाथ में होंगे और आप से स्वीकृति की याचना करेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या संक्षेप में माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि यदि आयोग के मत को रद्द करना है, तो यह मंत्री के विशेष अनुमति के बिना नहीं होना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह ठीक है। जहां तक मंत्री महोदय का सम्बन्ध है, मैं पहिले ही कह चुका हूं कि मैं उन के अधिकारों में कमी नहीं करना चाहता। यह सर्वथा सच है कि उन्हें उन के मत से असहमत होने का अधिकार होना चाहिये। परन्तु इस के साथ ही मेरा ख्याल है कि साधारण मामलों में मंत्री महोदय को उन का मत स्वीकार करना चाहिये। यदि ऐसा न हो तो इसे परामर्शदाता संस्था कहने में कोई तत्व नहीं है।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि यह बात है तो इस का प्राप्त करना सरल है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्री से नीचे किसी व्यक्ति को आयोग के मत को रद्द करने का प्राधिकार न होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मंत्री के बारे में मैं कह चुका हूं कि प्रायः साधारण मामलों में मंत्री उन की राय स्वीकार करेंगे और केवल कुछ ही असाधारण मामलों में उन के मत रद्द करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि वित्त मंत्री अपने अधीन एक विभाग बनाना चाहते हैं जैसे राजस्व केन्द्रीय बोर्ड और रेलवे बोर्ड हैं, और उसे ये सारे अधिकार देना नहीं चाहते।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने यही विशेष बात कही थी। मैं केवल यह ठीक ठीक जानना चाहता था कि उन का वास्तविक अभिप्राय क्या था। यदि उन का अभिप्राय यह था कि आयोग के मत से मंत्री के अधीन कर्मचारियों के असमहत न होने का डर है तो उन्हें ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वस्तुत : यह एक मंत्रणा आयोग है, परन्तु यह मंत्री के अधीन नियुक्त अधिकारियों को तो मंत्रणा नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस से सहमत होने को तैयार हैं।

खंडों के इन चारों वर्गों के लिए हम ने ४ बजकर १० मिनट मध्याह्न पश्चात् तक का समय नियत किया है। माननीय मंत्री ४० मिनट चाहते हैं। यह मानते हुए कि हम समय बढ़ा कर ४–३० मध्याह्न पश्चात् तक कर देते हैं तो इस स्थिति में मैं माननीय मंत्री से ३–५० मध्याह्न पश्चात् आरम्भ करने के लिये कहूंगा।

मैं प्रत्येक सदस्य को, जिस का नाम मेरे पास है, दस मिनट दूंगा और ठीक चार बजे मैं माननीय मंत्री का नाम पुकारूंगा ।

श्री सी० सी० शाह : मैं खंड ४०७ के सम्बन्ध में सरकारी संशोधन संख्या ११३३ का स्वागत करता हूं क्योंकि यह सरकार को और अधिक अधिकार देता है । खंड ४०७ के अधीन जब अंशधारी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें तब सरकार दो बातें कर सकती है अर्थात् या तो दो निदेशक नियुक्त करे और या समवाय से आनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए कहे । यदि समवाय ने खंड २६४ के अधीन पहिले ही विकल्प का प्रयोग कर लिया है तो पिछले अधिकार के प्रयोग का सवाल उत्पन्न नहीं होता । इस मामले में, यदि समवाय के लिए आवश्यक हो तो सरकार दो निदेशक नियुक्त कर सकती हैं । अतः दोनों अधिकारों में कोई एक दूसरे को नहीं दबाता ।

ऐसा प्रतीत होता है कि परामर्शदाता आयोग के बारे में कुछ माननीय सदस्यों को तनिक भ्रम है । भाभा समिति ने ठीक ही कहा है कि अब तक यह अधिनियम पूर्णतया लागू नहीं किया गया था और इस से अनेकों दोष उत्पन्न हो गये थे । इन दोषों के उन्हों ने दो कारण बताये थे । मुख्य कारण यह था कि समवाय विधि केन्द्रीय विषय था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अपने सारे अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों को दे दिये थे और उन्हों ने अधिनियम को लागू करने पर उचित ध्यान नहीं दिया । दूसरा कारण यह था कि विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी कम हैं । अतः भाभा समिति ने केन्द्रीय प्राधिकार का समर्थन किया है । इसके अतिरिक्त, उन्हों ने एक और कारण यह बताया है कि अब हम समवायों के प्रति अधिक क्रियात्मक व्यवहार अपना रहे हैं । हम उन पर बहुत से काम करने का आभार डाल रहे हैं और उस की देखभाल वह प्राधिकार करेगा जो अधिनियम के प्रशासन की देखभाल के लिये आभारी है । फिर केन्द्रीय सरकार ने उन से अनेकों काम कराने का भार अपने ऊपर ले लिया है । उन का यह कहना भी ठीक है कि सरकार की आर्थिक नीति का निजी क्षेत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः जिस ढंग से निजी क्षेत्र नियमित प्रबन्ध के द्वारा कार्य करता है, उस की देखभाल करना अधिक महत्वपूर्ण है ।

तत्पश्चात् उन का यह कहना भी ठीक है कि केन्द्रीय प्राधिकार दो ढंग से संगठित किया जा सकता है, अर्थात् व्यापार बोर्ड द्वारा या संविहित स्वायत्तशासी प्राधिकार द्वारा । हम ने प्रथम ढंग अपना लिया है, परन्तु यह कहना हम भाभा समिति की मुख्य सिफारिशों को अस्वीकार कर रहे हैं, ग़लत है । श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन ११२३ में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार आयोग से जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहेगी । यह प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जायेगा ? स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार को । फैसला कौन करेगा ? स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार । अतः यह संविहित स्वायत्तशासी आयोग न रह कर परामर्शदाता आयोग बन जाता है । समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ १९५ पर कहा गया है कि आयोग का कार्य वह होगा जो अधिनियम के अधीन केन्द्रीय संविहित प्राधिकार को दिया जायेगा । अतः मेरा निवेदन है कि संशोधन का आधार सर्वथा गलत है । एक और बात यह है कि इन खंडों में आयोग के कर्मचारियों या पदावधि या उनकी नियुक्ति की शर्तों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इन सारी बातों पर विचार करेगी । मैं नहीं जानता कि आयोग के सदस्य पूर्ण-काल सदस्य होंगे और केवल परामर्शदाता होंगे जो एक या दो मास में एक बार फाइलों को देखने और फैसले करने के लिये आयेंगे आयोग का कार्य इतना अधिक और इतना महत्वपूर्ण है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस से ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि यह बात नियमों द्वारा विनियमित होगी ।

श्री सी० सी० शाह : इस आयोग सम्बन्धी नियमों का इन उपबन्धों में कोई जिक्र नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के सम्बन्ध में कौन सा खंड है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : खंड ६३३।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस अधिनियम का उद्देश्य पूर्ण करता है । जब हम खंड ६३३ पर आयेंगे, तब गठन योग्यताओं आदि के सम्बन्ध में विशेष नियम बना सकते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : भाभा समिति के प्रतिवेदन में समवाय-आंकड़ों पर एक पूरा अर्थात् अठारहवां अध्याय है और उनकी यह आशा है कि केन्द्रीय प्राधिकार सारे समवाय आंकड़े एकत्रित करेगा । वास्तव में कई फैसले केवल आंकड़ों के अभाव के कारण नहीं हो सके हैं । यह बात हम चर्चा में देख चुके हैं । आशा है कि नया विभाग उन सारे मामलों पर जिन की ओर हमारा ध्यान भाभा समिति ने आकर्षित किया है समवाय-आंकड़े देने की आवश्यकता पर अधिक ध्यान देगा ।

अन्त में, खंड ६३१ में हम ने उपबन्ध किया है कि सरकार अधिनियम के प्रशासन का वार्षिक प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत करेगी । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस से संसद् को उस ढंग पर जिस से अधिनियम लागू किया गया है, अपना मत देने का अवसर मिलेगा ।

श्री गाडगील : मेरा निजी ख्याल यह है कि यदि कोई जनता के धन के व्यय पर पूर्ण संसदीय नियंत्रण करना चाहता है और हम चाहते हैं कि नियंत्रण वास्तविक, प्रत्यक्ष और प्रभावी हो, तो आप को विभाग के अतिरिक्त और कोई अच्छी संस्था नहीं मिल सकती और प्रस्तावित परामर्शदाता बोर्ड का संबंध इसी के साथ होगा । मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव यह जानना चाहते थे कि परामर्शदाता बोर्ड कैसे कार्य करेगा । बात यह है कि परामर्शदाता बोर्ड उस स्थिति का विचार करता है जबकि विभाग को विशेषज्ञ का सा परामर्श प्राप्य होगा । परन्तु परामर्श चाहे जो हो, विभाग में काम करने वाले स्थायी असैनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि मंत्री को यह बताये कि परामर्श-विशेष सरकार की नीति के अनुसार है या नहीं और यदि विभाग परामर्शदाता बोर्ड से सहमत नहीं होता तो इस का अर्थ यह नहीं है कि परामर्शदाता बोर्ड का महत्व किसी भी प्रकार कम होता है । साधारणतया मंत्री विभाग के स्थायी असैनिक अधिकारी का मत स्वीकार करता है और यदि इस मत की पुष्टि परामर्श-दाता बोर्ड के मत से हो जाती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री कभी भी असहमत न होंगे । परन्तु यदि विभाग और परामर्शदाता बोर्ड के मत विभिन्न हों तो मुझे लेशमात्र भी सदेह नहीं है कि उत्तरदायी मंत्री को साधारण परिस्थितियों में असैनिक अधिकारियों का मत स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि यह आवश्यक है कि उत्पन्न होने वाले नीति के मामलों पर सरकार द्वारा भिन्न दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये । कारण यह है कि इसमें सरकार की आर्थिक नीति का प्रश्न है । इस स्थिति में सरकार को उत्तरदायित्व लेना है । यह अनिवार्य रूप से विभाग ही होना चाहिये जो सभापतित्व करने वाले मंत्री के द्वारा संसद् के प्रति प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होगा । अतः मेरा निवेदन ह कि श्री चटर्जी ने जो कहा है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

नियमों के बारे में, मैं निवेदन करता हूं कि इन मामलों को जहां हैं वहां ही छोड़ देना चाहिये । यदि वे यहां निर्धारित कर दिये जायेंगे तो नियमित रूप से कार्य होने की बजाये हर समय झगड़े होंगे और हम जो चाहते हैं

प्राप्त न होगा। अतः मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से निवेदन करता हूं कि वह यहां इस समय नियम बनाये जाने पर आग्रह न करें।

श्री झुनझुनवाला : जहां तक श्री चटर्जी के संशोधन का सम्बन्ध है माननीय वित्त मंत्री ने बहुत उपयुक्त रूप से बताया है कि ये बातें प्रशासन पर छोड़ देनी चाहियें। परन्तु श्री चटर्जी का अब यह कहना कि विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये एक अलग संविधिक निकाय होना चाहिये। मेरे विचार से संतोषजनक तर्क नहीं है।

खण्ड ४०७ के सम्बन्ध में श्री चटर्जी ने बताया कि जब सरकार ने दो निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार ले लिया है तब परन्तुक की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं संयुक्त समिति में नहीं था तथा यह नहीं जानता कि यह अधिकार सरकार को क्यों दिया गया था। मेरा विचार था कि यह अधिनियम से अलग है। परन्तु संयुक्त समिति के एक सदस्य ने मुझे यह बताया कि यह परन्तुक इसलिये रखा गया क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का परन्तुक स्वीकार नहीं किया गया था। परन्तु वित्त मंत्री ने बताया कि यह बात नहीं थी बल्कि सरकार जनता के हित में, अंशधारियों के हित में दो निदेशक नियुक्त करना चाहती है।

इस सम्बन्ध में मैं श्री तुलसीदास से सहमत हूं कि जब सरकार ने दो निदेशकों को नियक्त करने के अधिकार प्राप्त कर लिये हैं तो सरकार को समवायों को इस बात के लिये विवश करने के अधिकार क्यों चाहियें कि वे अपने सन्था नियमों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें। परन्तुक को पढ़ने के पश्चात् मैं यह समझा हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार दो निदेशकों को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती है तो वह अनिवार्य रूप से आनुपातिक प्रतिनिधान के लिये कह सकती है। तथा इस प्रकार निदेशकों को नियुक्त करने के अधिकार को छोड़ देती है। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि सरकार को यह अधिकार होना चाहिये। मेरा भी यही विचार है कि सरकार को यह अधिकार लेना चाहिये कि लोकहित में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किये जा सकें तथा शब्दों में जो परिवर्तन करना चाहते हैं वह कर सकते हैं।

डा० कृष्णस्वामी : मैं खंड ३९५, ४०७, ४०८ तथा ४०९ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे सन्देह है कि केन्द्रीय सरकार को समवाय विधि में खण्ड ३९५ में उल्लिखित अधिकार रखने चाहियें क्योंकि सरकार को बहुत से मामलों में हस्तक्षेप करना होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 'लोक हित' तथा 'आवश्यक' के क्या अर्थ हैं। मेरा विचार है कि सरकार ही निश्चित करेगी कि किन समवायों का विलय कर सकती है। परन्तु इस उपबन्ध की क्या आवश्यकता थी। हम इस प्रकार का एक विशेष विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा विचार है कि कार्यपालिका को यह अधिकार दे कर उस को बहुत ही अधिकार दे रहे हैं। यह कहा जाता है कि संसद् को इस की सूचना दी जायेगी। इस प्रकार के अधिकार देने से समवाय शीघ्रतापूर्वक मिलाये जायेंगे तथा संसद् कुछ नहीं कर सकेगी।

खण्ड ४०८ में यह दिया है कि केन्द्रीय सरकार निदेशक बोर्ड के परिवर्तनों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री से मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि इस अधिकार को प्रयोग करने के लिये वह किन बातों पर विचार करेगी। मेरा विचार है कि यह खण्ड केवल इसलिये रखा गया है कि नाजायज़ व्यापारी समवाय की निधियों का दुर्व्यवहार न करें। विधेयक की प्रारम्भिक अवस्था में मैं ने कहा था कि विवेकात्मक मताधिकार रखे जावें। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने

[डा० कृष्णस्वामी]

मेरे इस सुझाव को उस समय नहीं माना । मेरा विचार है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है ।

खण्ड ४०६ पर बहुत चर्चा हुई है तथा मैं संविधिक समिति के प्रतिवेदन के पक्ष में नहीं हूं । मेरा केवल यह सुझाव है कि पुनर्विलोकन अधिकारी की आवश्यकता होगी तथा इसलिये पुनर्विलोकन आयोग की स्थापना करनी चाहिये। सरकार मंत्रणा आयोग तथा सरकार दोनों को सलाह दे सके तथा यह अच्छा प्रतिबन्ध होगा । मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिये क्योंकि इस पुनर्विलोकन आयोग के प्रतिवेदन के द्वारा संसद् को बता सकेगी कि मंत्रणा आयोग ने क्या ग़लतियां की हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उस समय मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री जी० डी० सोमानी : खण्ड ४०७ तो वैसे ही बहुत खराब था, अब सरकार के संशोधन के कारण और भी खराब हो गया है। मैं निश्चित रूप से यह अनुभव करता हूं कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली समवायों के लिये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी ।

हमारे वर्तमान गृह-कार्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त तथा अन्य प्रतिष्ठित कांग्रेसजनों के किसी पिछले अवसर पर दिये गये भाषणों का सभा में अनेक बार हवाला दिया गया है । परन्तु उस समय अनुपाती प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कांग्रेस ने जो संशोधन रखा था उस का कारण यह था कि उस समय अधिकांश समवाय बृटिश संयुक्त स्कंध समवाय ही थे जिन के बोर्डों में भारतीय निदेशक बहुत कम हुआ करते थे । इन बोर्डों में भारतवासियों को स्थान दिलवाने के लिये विशेष परिस्थितियों में ऐसा संशोधन रखा गया था और वह भी व्यापारी समुदाय के कहने पर । वही लोग जिन्होंने उस समय यह सुझाव दिया था अब इस के विरुद्ध हैं ।

वित्त मंत्री ने अमरीका में प्रचलित प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ बातें बताई थीं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन देशों में यह प्रणाली चालू है उन देशों में सरकार को क्या इतने अधिकार प्राप्त हैं जितने कि हम ने इस विधेयक के द्वारा दिये हैं । खण्ड २३४ से २५० तक और ३९६ से ४०२ तक के अन्तर्गत अल्पमत को अत्याचार और कुप्रबन्ध से बचाने के लिये बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां दी गई हैं । अनुपाती प्रतिनिधित्व का सुझाव देने वालों को यह सुझाव भी देना चाहिये था कि यदि अनुपाती प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाता है तो यह खण्ड नहीं रहने चाहियें ।

२६ मार्च और २१ मई के '**लन्दन एकानामिस्ट**' में सिनेट बैंकिंग कमेटी का जो हाल प्रकाशित हुआ है उस से स्पष्ट है कि कुछ मुख्य समवायों के आर्थिक नियंत्रण पर अधिकार करने के लिये प्रतिपुरुष संघर्ष हो रहे हैं । यदि हम यह नहीं चाहते हैं कि समवाय के निदेशकों के निर्वाचन राजनीतिक अखाड़े बन जायें तो यह अत्यन्त वांछनीय है कि सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उन का प्रयोग वह बहुत संयम के साथ करे । ऐसे उपद्रवी व्यक्तियों की कमी नहीं है जो भोले भाले अंशधारियों को विभिन्न समवायों के बोर्डों में घुसने के लिये बहला फुसला कर ऐसे आवेदन-पत्र भिजवायेंगे और इस प्रकार विभिन्न समवायों के संचालन में वास्तव में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जायेगी । बहुमत वाले निदेशकों का हित भी तो समवाय के हित में ही होना है । यदि वह कोई कार्य समवाय के हित के विरुद्ध करते हैं तो अल्पमत वालों की अपेक्षा हानि उन की ही अधिक होगी । इसलिये मैं समझता हूं कि इस खंड में अब और अधिक

संशोधन करने के लिये कोई औचित्य नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : एक सामान्य व्यक्ति भी यह अनुभव करता है कि संविहित समवाय एक आयोग की अपेक्षा अधिक ईमानदारी से काम करता है । एक आयोग के पास प्रत्येक प्रभावशाली व्यक्ति जा कर सिफारिश कर सकता है कि यह किया जाये और यह न किया जाये । परन्तु संविहित निकाय के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है ।

श्री गाडगिल के जैसे अनुभवी व्यक्ति ने भी कहा है कि जैसे जैसे अभिसमय बनते जायेंगे हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे जो इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है । मैं समझता हूं कि अभिसमय बनेंगे इस बात पर निर्भर करने के बजाय हम को विधि द्वारा ऐसे उपबन्ध बना दिये जाने चाहियें ।

समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि, "निगमित विनियोग तथा प्रशासन आयोग" के नाम से एक संविहित समवाय केन्द्रीय सरकार के मुख्यालय में स्थापित किया जाये । इस प्रस्थापित आयोग के कार्यों में केवल उन विषयों का प्रशासन ही नहीं होना चाहियें जो कि भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त स्कंध समवायों के कार्यकरण से उत्पन्न समवाय के आरम्भ से उस के अन्त होने तक के होते हैं, वरन् विनियोग बाज़ार पर कड़ी निगाह रखना भी उन का कृत्य होना चाहिये । जब हम इन दोनों बातों पर ध्यान देते हैं और जो शक्तियां दी गई हैं उन को व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस विधि के अन्तर्गत ऐसे उपबन्ध बनाये गये हैं कि जिन के आधार पर हर कदम पर केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है यहां तक कि परिशिष्ट ६ के अन्तर्गत वह सभी खंड दिये गये हैं जिन के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास निर्देश भेजा जाना आवश्यक है । खण्ड ४१० में मंत्रणा आयोग के कर्तव्यों सम्बन्धी उपबन्ध दिये गये हैं । उस में कहा गया है कि मंत्रणा आयोग का कर्तव्य होगा कि धारा २५८, २५९, २६६ के अन्तर्गत दिये जाने वाले सब आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में जांच करें और अपनी सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के पास भेजें । मेरी समझ में नहीं आता कि धारा २५९ तथा २६६ के अन्तर्गत कौन से आवेदन पत्र दिये जा सकते हैं ।

श्री सी० सी० शाह : इन को निकाल देने के लिये एक संशोधन रखा गया है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा सुझाव है कि यदि आप संविहित निकाय नहीं बनाना चाहते हैं तो सब मामलों के लिये कोई अपीलीय प्राधिकार बनाया जाये । अपील की यह शक्तियां यदि उच्चतम न्यायालय को दे दी जायें तो हमें मंत्रणा आयोग के विनिश्चयों पर पूरा पूरा भरोसा हो जायेगा । जैसा कि श्री गाडगील का कहना है मंत्री पहले सचिव की सिफारिश पर ध्यान देगा और उसी के अनुसार कार्य करेगा और इस निकाय की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं देगा जो केवल मंत्रणादात्री ही है ।

उपबन्ध जैसे कि अभी हैं उन के अनुसार इस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति अस्थायी होंगे या स्थायी । कोई अवधि सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है । ऐसी परिस्थितियों में यह व्यक्ति बहुत ही असावधानी से कार्य करेंगे । इसलिये किसी ऐसे निकाय को बनाना, जो समवाय विधि के समस्त कार्यकरण पर नियंत्रण रखे, आवश्यक है । यदि आप मेरे संशोधन संख्या ११२३ को पढ़ें तो देखेंगे कि उस के उप-खण्ड (३) के अनुसार आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम की धारा २३४ से २५० तक के अन्तर्गत किन मामलों में निरीक्षण तथा जांच की शक्तियां प्राप्त होंगी

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

इस का विनिश्चय करे । इस के अतिरिक्त आयोग के कर्तव्यों में समवायों की समापन कार्यवाही का सर्वेक्षण करने, समवायों के संतुलन पत्रों तथा लाभ हानि के हिसाब की देखभाल करने और आवश्यक आदेश जारी करने की संविहित जिम्मेदारी भी होगी । केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि नियम बना दिये जायें और सब कुछ हो चुकने के बाद प्रतिवेदन सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया जाये । इस से हमें केवल इतना संतोष हो सकता है कि हम कुछ व्यक्तियों को बुरा भला कह सकते हैं तथा यह कह सकते हैं कि अमुक नीति ठीक थी और अमुक ठीक नहीं थी । परन्तु इस से उन को कोई सन्तोष प्राप्त नहीं होगा जिन के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार अब भी इस प्रस्ताव पर विचार करे कि इस अधिनियम के प्रशासन के लिये एक संविहित निकाय बनाया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : जितने विषयों की आज चर्चा की गई है उन में से सब से महत्वपूर्ण विषय मंत्रणा आयोग है । हम इस मंत्रणा आयोग को विधि द्वारा बना रहे हैं इसलिये इस के 'संविहित' या 'असंविहित' होने का जो प्रश्न उठाया गया है वह मेरी समझ में नहीं आया ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह नहीं जानते हैं कि यह कितने दिन काम करेगा, इस के निबंधन क्या होंगे इत्यादि ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरी अनुपस्थिति में आप ने कहा था कि इन का उपबन्ध नियमों में किया जा सकता है और नियम विधि का ही अंश होते हैं ।

मैं समझता हूं कि श्री एन० सी० चटर्जी ने जो योजना प्रस्तुत की है वह व्यावहारिक नहीं है ।

भाभा समिति की सिफारिशों का जहां तक संबंध है यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री भाभा स्वयं उस मंत्रणा परिषद् के सभापति रहे हैं जो कि तीन वर्ष से सरकार को परामर्श देती रही है और इसलिये कहा जा सकता है कि इस विधेयक की योजना को उन्होंने स्वीकार कर लिया है ।

गत तीन वर्षों में वर्तमान मंत्रणा आयोग ने १००० से अधिक मामलों में सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं और सरकार ने केवल एक मामले को छोड़ कर प्रत्येक मामले में उन सिफारिशों को स्वीकार किया है । और वह मामला भी प्रबन्ध अभिकरण में परिवर्तन करने का था और चूंकि हम जानते थे कि शीघ्र इस विधेयक पर सभा में चर्चा होने वाली है और इस में एक उपबन्ध यह है कि कुछ परिस्थितियों में प्रबन्ध अभिकरण में परिवर्तन किया जा सकता है इसलिये हम ने यह अच्छा समझा कि कोई तदर्थ विनिश्चय करने के बजाये उस योजना का पालन किया जाये जो कि विधेयक में दी गई है । इसलिये मैं समझता हूं कि हमारा रिकार्ड बहुत अच्छा रहा है । और इस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग सभी मामलों में हम मंत्रणा आयोग की सिफारिशों को ही अपना पथप्रदर्शक बनायेंगे ।

अभी हम ने इस का कोई विनिश्चय नहीं किया है कि इस आयोग में किस प्रकार के व्यक्ति होंगे । इस सम्बन्ध में मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं कह सकता हूं जिस से कि हम बाध्य समझे जायें परन्तु हमारा विचार है कि पहली बात तो यह होनी चाहिये कि इस का सभापति पूरे समय काम करने वाला व्यक्ति हो और या तो वह कोई ऐसा गैर सरकारी व्यक्ति हो जिसे विधि का भी ज्ञान हो और साथ ही वित्त तथा वाणिज्य अथवा

सामान्य प्रशासन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो या वह उच्च न्यायालय का कोई ऐसा अनुभवी न्यायाधीश हो जिसे व्यापार संबंधी मामलों की भी जानकारी हो, या अधिकृत लेखापाल संस्था (इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट) का पदेन सभापति या उस निकाय द्वारा जिस की सिफारिश की गई हो ऐसा कोई व्यक्ति हो। इस के अतिरिक्त एक प्रतिनिधि व्यापारी समुदाय का होना चाहिये। इस प्रकार के निकाय में एक प्रतिनिधि अंशधारियों का भी होना चाहिये, चाहे उसे स्टाक एक्सचेंज से लिया जाये चाहे अंशधारी संस्था के द्वारा लिया जाये ।

किन्तु एक व्यक्ति उस प्रकार का होना चाहिये। अन्ततः मेरा विचार है कि हमें संगठित श्रम का एक प्रतिनिधि रखना चाहिये, क्योंकि यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि समय समय पर इन शक्तियों के अधीन किये जाने वाले निर्णयों के परिणामस्वरूप श्रम पर प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार में मंत्रणा आयोग यही होगा। वे सभी विशेषज्ञ होंगे और प्रत्येक का अपना अपना दृष्टिकोण होगा। इन सब विचारों का समन्वय करना मंत्री का काम होगा। कतिपय मामलों में संभवतया वह यह समझेगा कि क्योंकि मंत्रणा आयोग परिकल्पना के आधार पर उसकी सिफारिशों से सहमत हो जायेगा तो उन विशेषज्ञों के अपने अपने समस्त विचारों का सम्मिश्रण हो जायेगा। फिर भी जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि मंत्री आयोग तथा संसद के बीच की कड़ी होगी, तो अब मैं यह नहीं समझ सकता कि माननीय सदस्य यह बात कैसे कह रहे हैं कि आयोग इस प्रकार का होना चाहिये जिस के अधिकार मंत्री से स्वतन्त्र हों। इसका अर्थ यही है कि अप्रत्यक्ष रूप से वह यह मांग कर रहे हैं कि आयोग संसद् से भी स्वतन्त्र हो ।

दूसरें शब्दों में, मुझे यह प्रतीत होता है कि वह एक दूसरे नाम से एक समवाय विधि विशेष न्यायालय बनाना चाहते हैं ऐसे मामले भी होते हैं जो कि न्यायालय में ले जाये जाने चाहियें और जिन्हें हम ने इस विधेयक में रखा है; किन्तु दूसरे मामलों में मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है दूसरे शब्दों में यह मामले न्यायिक नहीं हैं उस में इतनी निश्चितता की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिये, सामान्यता" शब्द कई खण्डों में प्रयुक्त किया जाता है और इसी तरह "सार्वजनिक हित" अथवा "राष्ट्रीय हित" शब्द भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि (१) संसद् को और (२) मंत्रियों को जो संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं समय समय पर यह निर्णय करना है कि राष्ट्रीय हित क्या है और सार्वजनिक हित क्या है। आजकल के समय में तो यह और भी आवश्यक है कि जब कि सर्वमान्य सिद्धान्त इस देश में तथा बाहर कहीं होने वाले विकासों के कारण दिन प्रति दिन बदलते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम एक शीघ्रता से बदल रहे युग में रह रहे हैं और यह बात असंभव है कि इन सब बातों को एक विशेषज्ञों के आयोग पर छोड़ दिया जाये जो कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हों। हम उन से सर्वमान्य सिद्धान्तों पर संक्षिप्त: विचार करने की आशा नहीं कर सकते। इसलिये यह अधिकार सरकार के पास रहना चाहिये कि वह आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में संसद के विचारों को प्रकट करे और अपनी इच्छायें बताये। इसलिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह इन परिस्थितियों में सर्वोत्तम है ।

जैसा कि मैं ने निवेदन किया गत तीन वर्षों से हमारे यहां मंत्रणा आयोग है और अधिकतर जिन मामलों का निर्देश हमने उस से किया है वह मामले ऐसे हैं जिन का निर्देश हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जो चीज पहले मूल विधेयक की अनुसूची में थी अब उसे स्वयं विधेयक में ही रखा जा रहा है। उदाहरणार्थ

[श्री सी० डी० देशमुख]

खण्ड ४०८ के अन्तर्गत दी गई शक्तियां हैं। सभवतया डा० कृष्णस्वामी ने पूछा था कि हम इसे क्यों रख रहे थे ? मेरा सीधा सादा उत्तर यह है कि यह १९५१ के संशोधन की संभवतया धारा ८६(ञ) (२) के समान है और मैं ने बताया है कि किन कारणों से हमें इन अस्थायी उपबन्धों को स्थायी बनाना है। मन्त्रणा आयोग को इन बातों को परामर्श देने के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा: निदेशकों की संख्या में वृद्धि, प्रबन्ध अभिकर्ता के पारिश्रमिक में वृद्धि अधिनियम के लागू होने से पहले अथवा बाद में प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति का अनुमोदन। अब हम ने यह कहा है कि खण्ड ३२३ के अधीन किसी उद्योग की अधिसूचना भी केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा ही जारी की जाये। केन्द्रीय प्राधिकार को अन्य कृत्यों के अतिरिक्त यह काम भी करना है। इसलिये हमें एक सक्षम तथा अच्छे कर्मचारियों से युक्त एक केन्द्रीय प्राधिकार का गठन करना होगा। यह बात नहीं कि एक दूसरे के अनपेक्ष है ? मैं ने ९४ या ९५ ऐसी शक्तियां गिनाई हैं जिन्हें केन्द्रीय प्राधिकार को संभालना पड़ेगा। इन में से लगभग १५ शक्तियां, इन दोनों खण्डों को निकाल कर, आयोग को निर्दिष्ट की जायेंगी और खण्ड ३२३ के अधीन शक्ति भी आयोग को ही दी जायेगी और इस के अतिरिक्त उसे नीति सम्बन्धी कोई भी ऐसा मामला सौंपा जा सकता है जिस का कि हम उसे निर्देश करें

। वह दोनों सीखेंगे हम भी अपने पारिश्रमिक सम्बन्धी विचारों आदि का समन्वय करना सीखेंगे। मैं ने पहले भी एक बार बताया था कि यह सब उस बात पर निर्भर होगा कि हम कैसा आयोग रखेंगे। यदि पारिश्रमिक आदि के बारे में उस के विचार अनुदार हुए तो हम उन से बात चीत कर सकते हैं ताकि वह पारिश्रमिक के सम्बन्ध में अपने विचार बदल सके। दूसरी ओर यदि वह अत्याधिक प्रगतिशील हुआ तो हम चाहेंगे कि वह मन्द गति से कार्य करें। यद्यपि मंत्री तथा केन्द्रीय प्राधिकारी के मध्य चर्चा होगी और दूसरी ओर मंत्रणा आयोग के साथ भी चर्चा होगी तो उस के परिणामस्वरूप मेरे विचार से वाद-विधी तथा सिद्धान्तों का विकास होगा और हम ऐसे मामलों के बारे में जिन पर कि आज मतभेद है समवायों के कार्यों को मिल जुल कर नियमित करेंगे।

व्यापार बोर्ड के बारे में भी कुछ कहा गया था। यद्यपि यह निर्देश अच्छा है किन्तु इस का बार बार निर्देश किया गया है इस लिये मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यह बता दूं कि वास्ताव में यह व्यापर बोर्ड है क्या चीज ? आरम्भ में १८वीं शताब्दी के अन्त में व्यापार बोर्ड प्रीवी कौंसिल की एक समिति के रूप में बनाया गया था।

इस में बहुत से व्यक्ति थे, जिस में आर्क बिशप आफ कैंटरबैरी भी थे जिन को कि संभवत: बागानों के लोगों के कल्याण का ध्यान देने के लिये नियुक्त किया गया था। उपनिवेशों को उस समय यही नाम दिया जाता था। लगभग १८०० ईसवी के निकट सदस्यों ने काम करना प्राय: बन्द कर दिया था। लगभग १८४५ तक प्रधान तथा उपप्रधान ही बोर्ड के काम करने वाले दो सदस्य ही रह गये थे। १८४५ में बोर्ड का उपप्रधान संसदीय सचिव बन गया और तभी से बोर्ड का गठन प्राय: उसी रूप में चला आ रहा है। व्यापार बोर्ड का प्रधान कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। उस की सहायता उस के कनिष्ठ सहकारी करते हैं। इसलिये व्यापार बोर्ड वहां सरकार का एक ऐसा ही विभाग है जैसा कि इंग्लैंड में 'ट्रेज़री' सरकार का एक विभाग है। इंग्लैंड में सरकार का यह विभाग बहुत ही बड़ा है और वहां पर इस का जो उत्तरदायित्व है

उसमें यहां हमारे देश में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग तथा समवाय विधि व्यवस्था के नये विभाग तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले अधिकांश कार्य भी सम्मिलित हैं। बोर्ड के स्पष्ट उत्तरदायित्व हैं : (क) समवाय विधि; (ख) बीमा—इस में बैंकिंग सम्मिलित नहीं है; (ग) श्रेष्टि चत्वर; (घ) उद्योगों पर नियंत्रण—वियुत के अतिरिक्त; (ङ) आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार तथा वाणिज्यिक सम्बन्ध; (च) तथा अन्य सभी सम्बद्ध विषय। मैं सभा का समय व्यापार बोर्ड के वास्तविक संगठन के बारे में बताने में नहीं लूंगा। किन्तु इस में समुद्रपार, द्वितीय सचिव, गृह द्वितीय सचिव, प्रधान के अधीन मुख्य वित्त पदाधिकारी, संसदीय सचिव तथा स्थायी सचिव होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां। इस के बाद द्वितीय सचिव के अधीन विभिन्न विभाग होते हैं जिन के बारे में मैं बता चुका हूं। इस लिये यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि केन्द्रीय प्राधिकार व्यापार बोर्ड की तरह का होना चाहिये। वह तर्क उस योजना के समर्थन में है जिस पर संयुक्त समिति ने आग्रह किया है।

अब मैं इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात को लूंगा अर्थात्, वे विषय कौन से हैं जो इस समय केन्द्रीय प्राधिकारी को सौंपे गये हैं। इस सम्बन्ध में दो तर्क हैं—एक तो यह है कि यह विभाग जिसे हम स्थापित कर रहे हैं एक नया विभाग है और इस समय मैं इस में रखे जाने वाले सदस्यों की संख्या को नहीं बताऊंगा। हम ने इसे अभी तक पूर्णतया संगठित भी नहीं किया है। हमारे पास एक चार्ट है जैसा कि व्यापार बोर्ड के पास होता है। हम बहुतसे पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी। मैं नहीं जानता कि कुल कितने मामले आयेंगे। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि पिछले दो या तीन वर्षों में लगभग २००० मामले आ चुके हैं। क्योंकि अब हम ने अपनी शक्तियां बढा ली हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, तो सम्भवतः और भी अधिक मामले आयें। मैं ने सभा में यह वचन दिया है कि हम यथासंभव शीघ्र इन मामलों को निपटाने का प्रयत्न करेंगे। इस लिये मैं इस बात का इच्छुक हूं कि इस नये विभाग पर इतने उत्तरदायित्व न डाले जायें, जो कि अभी और तरीके से भी निपटाये जा सकते हैं। यह बात बैंकिंग, बीमा तथा विद्युत् के बारे में निश्चय रूप से लागू होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : संभवतया संसद् की मंत्रणा यह है कि उन्हें भी ले लेना ठीक होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस कारण से कि यह शक्ति का प्रश्न है, ऐसा करना ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो कारण माननीय सदस्य ने दिया है कि बैंकिंग अधिनियम है, तथा विद्युत् अधिनियम है आदि आदि उस सम्बन्ध में मैं ने यह कहा था कि यह तो उन सब को न लेने का एक और भी अच्छा तर्क है। क्योंकि ऐसे उपबन्ध सम्मिलित करना, जो कि समवाय विधि में बंकिंग समवायों पर लागू होंगे, आवश्यक ही नहीं समझा गया बल्कि किसी दूसरी विधि में से भी तत्सम्बन्धी उपबन्ध लिये गये हैं, जिस का अर्थ कि कृत्यों का विभाजन है। जहां तक विवरण पत्र जारी करने तथा बोर्ड की बैठकों आदि समवेत करने का सम्बन्ध है, बैंकिंग तथा बीमा समवाय समवायों के रूप में काम करते हैं। हमारी इच्छा उन्हें भी नये विभाग की परिधि में लाये जाने की नहीं है। किन्तु जहां तक ऋण निर्माण का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझ सकता कि समवाय विधि प्रशासन अथवा कोई संविहित अथवा

[श्री सी० डी० देशमुख]

असावंहित मंत्रणा आयोग इसे कैसे कर सकेगा, यद्यपि माननीय सदस्य ने यह सुझाव देने का साहस किया था कि ऋण निर्माण का मामला भी इस नये विभाग को सौंपा जाये। मैं समझता हूं कि यह तरीका सब से खराब है। इस मामले पर रक्षित बैंक ने हमें सलाह दी है। इस में बहुत सी उलझनें हैं और यही स्थिति बीमा के बारे में भी है। इस का सम्बन्ध भी देश के आर्थिक जीवन तथा बचतों आदि के इकट्ठा करने से है। इन्हीं मामलों में समवाय विधि का भी सम्बन्ध है। यदि हम समवाय विधि विभाग को इस बात का विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस पर ऐसे उत्तरदायित्व का बोझ न लादा जाये जिन्हें अन्य विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जा सकता है। जब तक कि मंत्री इस विभाग के अध्यक्ष हैं तो केवल वियुत को छोड़ कर, हमें विश्वास करना चाहिये कि हम कार्य के समन्वय करने के तरीके ढूढ लेंगे। इसी काम के लिये तो मंत्री है। केवल अब ही तो आर्थिक कार्य मंत्रालय को विभक्त किया गया है। मान लीजिये कि मैं यह कहूं कि यह विभाग आर्थिक कार्य मंत्रालय में एक सचिव के अधीन होगा तो यह प्रश्न ही उत्पन्न न हुआ होता—क्योंकि समवाय विधि बैंकिंग, बीमा के साथ साथ विदेशी मुद्रा, योजना आदि आदि कई चीजें हैं। परन्तु क्योंकि हम ने देखा कि आर्थिक कार्य मंत्रालय के वर्तमान मंत्री के लिये इतना कार्य अत्याधिक होगा इसलिये हम ने एक नया विभाग खोला है और नये सचिव की नियुक्ति की है। इन चीजों के केन्द्रीय प्राधिकार या केन्द्रीय विभाग की परिधि से बाहर रखे जाने के यही कारण हैं। मेरे विचार से, मैं ने प्राय: सभी बातों का उत्तर दे दिया है और मुझ से जो आश्वासन मांगा गया था वह भी मैं ने दे दिया है और इसलिये मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

डा० कृष्णस्वामी : पुनरीक्षण आयोग के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री सी० डी० देशमुख : अब मैं आखिरी बात अर्थात् पुनरीक्षण आयोग पर आता हूं। प्राय: यह उतना ही बुरा है जितनी कि दूसरी बातें हैं। यह तो उसी प्रकार की बात है कि विवाह के प्रबन्ध के समय ही विवाह-विच्छेद की शर्तें पूछी जायें। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि अभी हम ने अपना काम आरम्भ नहीं किया है। पुनरीक्षण है तो अनावश्यक किन्तु जब तक काम आरम्भ ही नहीं हुआ तो पुनरीक्षण कैसे हो सकता है।

श्री ए० एम० थामस : परन्तु विवाह विधि विवाह-विच्छेद का उपबन्ध भी तो करती है।

श्री सी० डी० देशमुख : किन्तु व्यक्तिगत विवाहों के सम्बन्ध में नहीं। मैं यह निवेदन करता हूं कि हमारे पास इस बात पर विचार करने के लिये बहुत समय है कि हमें पुनरीक्षण करना चाहिये अथवा नहीं। वह पुनरीक्षण किस प्रकार किया जायेगा इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे आशा है कि संसद् नियमों तथा विनियमों में ही नहीं बल्कि केन्द्रीय प्राधिकार के प्रतिवेदनों में लगातार रुचि लेता रहेगा और फिर वह यह सुझाव भी दे सकता है कि पुनरीक्षण किया जाये। यह तीन वर्ष बाद किया जा सकता है अथवा पांच वर्ष बाद किया जा सकता है। एक संविहित आयोग बनाने और यह उपबन्ध करने से, कि सरकार की अन्य कार्यवाहियों की उपेक्षा इस का पुनरीक्षण अधिक किया जायेगा, कोई लाभ नहीं होगा। हम प्राय: आयोग नियुक्त करते रहते हैं उदाहरण स्वरूप कराधान के मामले में। मैं प्रतिवर्ष एक वित्त अधिनियम रखता हूं। क्या वहां भी

यह उपबन्ध किया जाता है कि वर्ष में किसी समय उस का पुनरीक्षण किया जायेगा ? किन्तु एक समय आता है जब कराधान ढांचे का पुनरीक्षण आवश्यक हो जाता है ।

डा० कृष्णस्वामी : पूंजी निर्गमन के मामले में पुनरीक्षण एक पुनरीक्षण समिति द्वारा किया जाता है जिस के सभापति पंडित एच० एन० कुंजरू हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह एक मंत्रणा समिति है, कोई पुनरीक्षण समिति नहीं है । वह समिति तीन मास में एक बार विषय के नीति सम्बन्धी पहलुओं पर विचार करने के लिये समवेत होती है । यह वैसा पुनरीक्षण नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं । जो बात मैं सोच रहा हूं वह और भी व्यापक पुनरीक्षण के बारे में है और समय आने पर, निस्सन्देह हमें उसे करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस आयोग के बारे में जो कुछ बातें कही गई थीं उन का मैं ने उत्तर दे दिया है ।

इस के बाद मैं श्रम प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर आता हूं चाहे वह निदेशालय के बारे में हो अथवा उस स्थिति के बारें में हो जब कि किसी समवाय की आस्तियां हस्तांतरित की जा रही हों । मुझे माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से पूर्ण सहानुभूति है और मैं जानता हूं कि वह चाय बागानों के मामलों के विशेषज्ञ हैं । और मुझे यह भी ज्ञात है कि वे इस अर्थ में हस्तान्तरित किये जा रहे हैं कि उन की आस्तियां खरीदी जा रही हैं । मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि कई बार ऐसा हुआ कि आस्तियों के नये स्वामियों ने कुछ एक व्यक्तियों के सेवा निवृत कर दिये जाने पर आग्रह किया है । यही तो वास्तव में दुःखदायी बात है । तथापि मैं यह अनुभव करता हूं कि इस मामले पर श्रम विधान के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये । यदि वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं है अथवा इस परिस्थिति की देखभाल करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है तो इस प्रकार का कोई उपबन्ध रखा जा सकता है जो कि श्रम विधान का ही एक अधिक उपयुक्त भाग प्रतीत होगा । जो भी हो, यह एक ऐसा मामला है जिस पर मुझे अपने सहकारी श्रम मंत्री से परामर्श करना है और सरकार को इस पर विचार करना होगा । मैं इस के सम्बन्ध में 'हां' या 'न' नहीं कर सकता । परन्तु मैं इसे अन्तिम रूप से अस्वीकार भी नहीं कर रहा हू । इस बात की तो आवश्यकता है कि कहीं न कहीं श्रमिकों को प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाये । यदि अन्तिम निर्णय यह हुआ कि श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जाये तो उस निर्णय को अवश्य कार्यान्वित किया जायेगा और उस के लिये समवाय अधिनियम को संशोधित किया जायेगा । जहां तक आस्तियों और कर्मचारियों के हितों इत्यादि के हस्तान्तरण का सम्बन्ध है, वह किसी अन्य अधिनियम के भाग के रूप में आयेंगे । इसीलिये मैंने माननीय सदस्यों के संशोधनों का विरोध किया है, यद्यपि मैं सामान्य रूप से इस सिद्धान्त को तो स्वीकार करता हूं कि श्रमिकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकारी समझा जाये और वे समवायों के उचित प्रबन्ध में अनेक प्रकार से रुचि लेते रहें, इसलिये मैं इस अन्तर्विहित भावना का विरोध नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल यह घोषित कर रहा हूं कि मैं इन संशोधनों को प्रस्तुत विधेयक के अंग के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

अब तीसरी महत्वपूर्ण बात रह गई है और वह है खण्ड ४०७ के सम्बन्ध में । मैं ने चर्चा के दौरान में कई एक कठिनाइयों को पहले ही दूर कर दिया है । श्री झुनझुनवाला ने इस की ओर फिर से निर्देश किया है । मुझे तो यह पूर्णतया स्पष्ट है कि (क) हम ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि किसी समवाय में अनपाती प्रतिनिधित्व

[श्री सी० डी० देशमुख]

का होना एक अच्छी बात है, और (ख) यदि अल्पसंख्यकों के दमन के कोई मामले हमारे समक्ष आयें तो उस समय विचार करना चाहिये कि किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये। हो सकता है कि कई समवाय, जिन में अनुपाती प्रतिनिधित्व का कोई नियम नहीं है, ऐसे हों जो कि दो सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से ही सन्तुष्ट हो जायें। इस से यही निष्कर्ष निकलता है कि परिस्थितियां यह बताती हैं कि क्योंकि आजकल समवायों में अंशधारियों को इस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिस से कि अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है, इसलिये सरकार को बाध्य हो कर यह कहना पड़ेगा कि इस स्थिति को सुधारने के लिये दो सरकारी निदेशकों को नियुक्त करना ही होगा। परन्तु अन्त में तो अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाना ही होगा ताकि अल्पसंख्यकों का और अधिक दमन न किया जा सके। परन्तु, जैसा कि मैं ने कहा है, ऐसे समवायों में भी कुप्रबन्ध हो सकता है जिन का सम्बन्ध संभव है कि सदस्यों के दमन से न हो, अतः स्पष्टतया ऐसे मामलों में यह उपचार प्रभावकारी नहीं होगा, तो इसीलिये जिस रूप में यह विधि है, इस के द्वारा हमें सरकारी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वह सीमा केवल तीन वर्षों के लिये ही है। मैं कह तो नहीं सकता कि उन्हें ये अवसर बार बार आयेंगे, परन्तु यदि ऐसी स्थिति उपस्थित हुई तो उस समय हम सरकारी निदेशक नियुक्त कर सकेंगे, और ऐसे समवायों में भी नियुक्त कर सकेंगे जहां अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है और यह इसलिये नहीं कि वहां पर अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की जा रही है, अपितु इसलिये कि वहां पर किसी न किसी रूप में कुप्रबन्ध चल रहा है जो कि समवाय के हितों के प्रतिकूल है।

श्री के० के० बसु : मैं तो आप के कथन का समर्थन करता हूं परन्तु श्री झुनझुनवाला को इस में सन्देह है।

श्री सी० डी० देशमुख: जैसा मैं ने पहले ही कहा है, हम सरकारी निदेशक नियुक्त कर सकते हैं, इस से कोई हमें रोक नहीं सकता है।

श्री सी० सी० शाह : मैं भी यही कह रहा था। यदि कोई समवाय ऐसा है जिस में कि अनुपाती प्रतिनिधित्व है तो भी उस समवाय में सरकार दो सरकारी निदेशक नियुक्त कर सकती है।

श्री के० के० बसु : मान लीजिये कि कोई समवाय अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लागू करता है, परन्तु कुछ मास के उपरान्त सरकार यह देखती है कि उस समवाय के प्रबन्ध में कुछ अव्यवस्था सी है, परन्तु उस अव्यवस्था का अल्पसंख्यकों के दमन से कोई सम्बन्ध नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति में भी सरकार दो निदेशकों को नियुक्त कर सकने के अधिकार को काम में लाने में समक्ष होगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : सरकार को ऐसा अधिकार है, यही तो मैं कह रहा हूं। इस का यही तो एक मात्र उपचार है कि वहां पर सरकारी निदेशक नियुक्त किये जायें।

'सदस्यों के भाग' के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इंग्लैंड की विधि में वास्तविक शब्द 'कुछ भाग' हैं न कि केवल 'भाग', इस के लिये मैं ने आक्सफोर्ड शब्द कोष भी देखा है इस में लिखा है कि 'भाग' का अर्थ है कुछ एक चीजें न कि सभी चीजें; और इस का दूसरा अर्थ है जीव जन्तु के शरीर का भाग। अतः मैं नहीं समझता कि "कुछ भाग" शब्दों को प्रयुक्त करना बहुत अच्छा प्रारूपण है, और यद्यपि प्रयुक्त किया भी गया है तथापि वह शब्द नहीं है जिसे माननीय सदस्य ने

अपने संशोधन में रखा है, इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी शब्दावली बिल्कुल स्पष्ट है। सर्वप्रथम उस समवाय के हितों में रुचि लेने वाले व्यक्तियों की एक विशेष संख्या की ओर से एक आवेदन पत्र प्राप्त होगा, इसलिये इस में व्यर्थ के मामलों के निर्दिष्ट किये जाने का कोई भय नहीं है।

श्री ए० एम० थामस : परन्तु इस में 'कोई भी सदस्यों' शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। ये शब्द गलत हैं। यहां पर 'कोई भी सदस्य' शब्द प्रयुक्त किये जाने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से यह शब्दावली गलत है।

श्री सी० डी० देशमुख : इस बात का सम्बन्ध तो प्रारूपण से है और हम अन्तिम वाचन के समय इस पर विचार करेंगे और यदि संभव हुआ तो इस में कुछ संशोधन कर लेंगे।

तो इस प्रकार से मैं ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये तीन महत्वपूर्ण मामलों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। कई अन्य छोटी छोटी बातें भी हैं जिन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वे अनावश्यक हैं।

खण्ड ३९३ के सम्बन्ध में, मैं ने कर्मचारियों के प्रश्न के सम्बन्ध में विचार प्रकट किये हैं।

राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में मैं ने यह सामान्य वक्तव्य दिया है कि वास्तव में यह कोई न्याय योग्य मामला नहीं है और इस के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार को ही करना है।

अब खण्ड ३९६ आता है जिस में कहा गया है कि "ऐसा आचरण जो कि एक निदेशक के रूप में किसी भी सदस्य के प्रति किया गया दमन है"। मेरा यह तर्क है कि सदस्य द्वारा दिया गया साक्ष्य ठीक नहीं था क्योंकि यहां पर हम एक विधान मंडल और अध्यक्ष महोदय को निर्देशित करने के सम्बन्ध में सोच रहे थे, जब कि यहां एक ऐसे व्यक्ति का निर्देश है जो केन्द्रीय प्राधिकार के अतिरिक्त है और मेरा यह निवेदन है कि किसी निदेशक के प्रति किया गया कोई दमन कार्य सदस्य के प्रति किया गया दमन कार्य समझा जा सकता है क्योंकि निदेशक भी तो कुछ सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः मेरे विचार से यह एक कुविचारित संशोधन है।

श्री कामत : मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह सादृश्य ठीक नहीं था।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो मैं बता रहा था कि किस कारण से मैं ने माननीय सदस्य के संशोधन स्वीकार नहीं किये हैं।

श्री तुलसीदास : खण्ड ४१० के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य न मुझ से यह पूछा था कि सरकार समामेलन के अधिकार क्यों ले रही है। मैं उन का ध्यान विधेयक के खण्ड ३६६ के सम्मुख दी गई टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूं कि राजकोषीय समिति के समक्ष यह बात कही गयी थी कि उत्पादन व्यय को न्यूनतम करने के लिये संरक्षित उद्योगों में बड़े पैमाने पर समामेलन के सिद्धान्त को लागू करना आवश्यक हो सकता है।

डा० कृष्ण स्वामी : उद्योग विकास अधिनियम के अन्तर्गत यह शक्तियां सरकार को प्राप्त हैं। वैसे भी समामेलन के लिये संसद् में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है।

श्री सी० डी० देशमुख : समामेलन के सम्बन्ध में नहीं। यह मामला प्रत्यक्ष विधान बनाने और प्रत्यायोजित विधान बनाने का है। हम जो अधिकार ले रहे हैं वे प्रत्यायोजित विधान निर्माण के अन्तर्गत ले रहे हैं। इस

[श्री सी० डी० देशमुख]

सम्बन्ध में हमें कार्य पालन की दृष्टि से प्रत्येक बात पर अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिये और अध्यादेश जारी करना चाहिये जो संसद की दोनों सभाओं के पटलों पर रखा जायेगा और जिस की संसदीय छान बीन की जा सकेगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: आयोग को जांच करने के अधिकार देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं उस संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं । वह एक अलग-सा मामला है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिस मंत्रणा आयोग को करना है ।

श्री कामत : खण्ड ४२३ के अधीन जो न्यायालयों को अधिकार दिये गये हैं, उन की क्या स्थिति है ?

श्री सी० डी० देशमुख : दोनों स्थितियों में यह लागू होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम खंड ३८९ से शुरू कर सकते हैं । ३८९ और ३९० में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ३८९ और ३९० विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३८९ और ३९० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९६, पंक्ति ९,

"Sub-section (३)" [उपधारा (३)] के स्थान पर "Sub-section (4)" [उपधारा (४)] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९६,

पंक्ति २० के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"The provisions of Sub-sections (3) to (6) shall apply, in relation to the appellate order and the appeal, as they apply in relation to the original order and the application."

[उपधारा (३) से (६) के उपबन्ध, अपीलीय आदेश और अपील के सम्बन्ध में, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे मूल आदेश और प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३९१, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया उपखंड ३९१ क

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९६,

पंक्ति २० के बाद यह रखा जाये :

"*391A. Power of High Court to enfoice schemes of arrangement, etc.*— (1) Where a High Court makes an order under Section 391 sanctioning a compromise or an arrangement in respect of a company it—

(a) Shall have power to supervise the carrying out of the compromise or arrangement; and

(b) may, at the time of making such order or at any time thereafter give such directions in regard to any matter or make such modification in the compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper working of the compromise or arrangement.

(2) If the Court aforesaid is satisfied that a compromise or arrangement sanctioned under

section 391 cannot be worked satisfactorily with or without modifications, it may either on its own motion or on the application of any person interested in the affairs of the company, make an oder winding up the company, and such an order shall be deemed to be an order made under section 431 of this Act.

(3) The provisions of this section shall, so for as may be, also apply to a company in respect of which an order has been made before the commencement of this Act under section 153 of the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) sanctioning a compromise or an arrangement."

[**३९१क व्यवस्थाओं की योजनाओं का प्रवर्तन कराने की उच्चन्यायालय की शक्ति आदि.**—(१) जहां कोई उच्च न्यायालय धारा ३९१क के अन्तर्गत किसी समवाय के सम्बन्ध में किसी समझौते या व्यवस्था की मंजूरी देने वाला आदेश दे, तो—

(क) उसे समझौते या व्यवस्था के लागू किये जाने का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी, और

(ख) वह ऐसा आदेश देने के समय या उसके बाद किसी भी समय, किसी मामले के सम्बन्ध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या व्यवस्था में ऐसे रूपभेद कर सकेगा जिन्हें वह समझौते या व्यवस्था के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने के लिये आवश्यक समझे ।

(२) यदि उपरोक्त न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि धारा ३९१ के अन्तर्गत जिस समझौते या व्यवस्था की मंजूरी दी गई है वह रूपभेदों के साथ या उन के बिना सन्तोषजनक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो सकती, तो वह, अपनी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर जिस का समवाय के मामलों में, हित हो, समवाय के समापन का आदेश दे सकता है, और ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा ४३१ के अन्तर्गत दिया गया आदेश समझा जायेगा ।

(३) इस धारा के उपबन्ध, जहां तक हो, ऐसे समवाय पर भी लागू होंगे जिस के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले, भारतीय समवाय अधिनियम, १९१३ (१९१३ का सातवां) की धारा १५३ के अन्तर्गत समझौते या व्यवस्था की मंजूरी देने वाला आदेश दिया जा चुका हो ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ३९१क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११०८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३९२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११०९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९३ और ३९४ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३९३ और ३९४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन संख्या १११० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड ३९५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०११, १०२१ और १०२२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९६ और ३९७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३९६ और ३९७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

संशोधन संख्या १०२३ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९८ और २ ३९९ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३९८ और ३९९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २०३,

खंड ४०० के स्थान पर यह रखा जाये :

"400. Right of Central Government to apply under sections 396 and 397.—The Central Government may itself apply to the Court for an order under sections 396 and 397 or cause an application to be made to the Court for such an order by any person authorised by it in this behalf."

["४००. धारा ३९६ और ३९७ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का प्रार्थना करने का अधिकार.—केन्द्रीय सरकार स्वयं न्यायालय से धारा ३९६ या ३९७ के अन्तर्गत आदेश जारी करने की प्रार्थना कर सकती है, या इस सम्बन्ध में अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश जारी करने के लिये, न्यायालय को प्रार्थना पत्र भिजवा सकती है ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थानापन्न खंड ४०० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

स्थानापन्न खंड ४०० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४०१ से ४०६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४०१ से ४०६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २०५,

(एक) खंड ४०७ को उस खंड का उपखंड (१) संख्या दी जाये,

(दो) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखंड (१) में—

(क) पंक्ति २८, "not exceeding three years" [तीन वर्ष से अनधिक] के बाद "on any one occasion" ["किसी एक समय पर] रखा जाये ;

(ख) पंक्ति २९, "on the application" ["आवेदन पर"] के बाद "of not less than two hundred members of the company or" ["समवाय के दो सौ सदस्यों से अन्यून के या "] रखा जाये; और

(ग) पंक्ति ३०, "is satisfied" ["सन्तुष्ट है"] के बाद "after such enquiry as it deems fit to make" ["ऐसी जांच करने के बाद जो वह करना उचित समझे"] रखा जाये,

(तीन) पंक्ति ३४ के बाद, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that in lieu of passing an order as aforesaid, the Central Government may, if the company has not availed itself of the option given to it under section 264, direct the company to amend its articles in the manner provided in that section and make fresh appointments of directors in pursuance of the articles as so amended, within such time as may be specified in that behalf by the Central Government."; and

[परन्तु पूर्वोक्त रूप में एक आदेश पारित करने के स्थान पर, केन्द्रीय सरकार, यदि समवाय ने धारा २६४ के अन्तर्गत उसे दिये गये विकल्प का प्रयोग न किया हो तो, उस धारा में उपबन्धित रीति से समवाय को उस के सीमा नियमों में संशोधन करने और इस प्रकार संशोधित सीमा-नियमों का अनुसरण करते हुए ऐसे समय में, जो इस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाये, निदेशकों की नई नियुक्ति करने का निदेश दे सकेगी]; और

(चार) इस प्रकार पुनःसंख्याकित उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(2) In case the Central Government passes an order under the prviso to sub-section (1), it may, if it thinks fit, direct that until new directors are appointed in pursuance of the order aforesaid, not more than two members of the company specified by the Central Government shallhold office as additional directors of the company.

(3) For the purpose of reckoning two-thirds or any other proportion of the total number of directors of the company, any director or directors appointed by the Central Government under sub-section (1) or (2) shall not be taken into account."

["(२) यदि केन्द्रीय सरकार उपखंड (१) के परन्तुक के अन्तर्गत एक आदेश पारित करती है, तो वह यदि उचित समझे तो यह निदेश दे सकती है कि जब तक पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में नये निदेशक नियुक्त न किये जायें, तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्ट किये गये समवाय के दो से अनधिक सदस्य समवाय के अतिरिक्त निदेशक के रूप में पद ग्रहण करेंगे।

(३) समवाय के निदेशकों की कुल संख्या के दो तिहाई या किसी दूसरे अनुपात को जोड़ने के प्रयोजन से, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (१) या (२) के अन्तर्गत नियुक्त कोई निदेशक या निर्देशकगण नहीं जोड़े जायेंगे !"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधन संख्या १११२, १०२४ और १११३ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४०७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४०७ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नया खंड ४०७क वाला संशोधन संख्या ४३६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १११४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४०८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४०८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नया खंड ४०८ क वाला संशोधन संख्या ५४६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २०६, पंक्ति १४ और १५,

"on any matter arising out of the provisions of this Act referred to in clause (a) of Section 410" [धारा ४१० के खंड (क) में निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्धों से उद्भूत किसी बात पर] के स्थान पर "on the matter referred to in clause (a) of section 410 and the applications referred to in clause (b) of that section". [धारा ४१० के खंड (क) में निर्दिष्ट बात और उस धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट आवेदनों पर] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १११५ और १११६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए । संशोधन संख्या ३८३ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४०९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४०९ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २०६,

(एक) पंक्ति २५ के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"(a) before a notification is issued under section 323 in respect of any description of industry or business, on the necessity for, and advisability of, issuing the notification;"

[(क) उद्योग या कारबार के किसी विवरण के सम्बन्ध में धारा ३२३ के अन्तर्गत किसी अधिसूचना के निकाले जाने से पहले अधिसूचना निकालने की आवश्यकता और औचित्य के बारे में,]

(दो) पंक्ति २६, "(क)" के स्थान पर "(ख)" रखा जाये, और

(तीन) पंक्ति २९, "(ख)" के स्थान पर "(ग)" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २०६, पंक्ति २७,

(एक) "२५९, २६६" का लोप किया जाये,

(दो) "२६७" के बाद "२६८" रखा जाये, और

(तीन) "३३१" के बाद "३४२" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०२५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ । संशोधन संख्या १११८ और ११२१ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१०, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २०६, पंक्ति ३३,

"खंड (क)" के स्थान पर "खंड (ख)" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११२२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४११, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११२३ और ११२४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११२५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११२६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नया खंड ४१४क वाला संशोधन संख्या ११२७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१५ से ४२२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१५ से ४२२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११२८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४२३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४२३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४२४ से ५५५

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा खण्ड ४२४ से ५५५ तक पर चर्चा करेगी । इस के लिये पांच घंटे का समय निश्चित किया गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं अपने सभी संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा, परन्तु उन में से केवल कुछ के सम्बन्ध में ही बोलूंगा ।

सर्वप्रथम संशोधन संख्या १०३६ है जो कि एक नवीन खण्ड संख्या ४३०क को

[श्री सी० डी० देशमुख]

जोड़ना चाहता है । यह नवीन खण्ड, खण्ड ४३० का अनुसरण करता है और खंड ४३० के समान ही उपबन्ध करता है ।

इस के उपरान्त में खण्ड ४४३ के संशोधनों संख्या १०४४, १०४५ और १०४६ के बारे में बोलना चाहता हूं । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समापन आदेश की एक प्रमाणित प्रति पंजीयक को भेजी जानी चाहिये । उपखण्ड (१) के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दण्ड की व्यवस्था भी की गई है ।

अगला संशोधन भी खण्ड ४४३ के उपखण्ड (३) के सम्बन्ध में है । न केवल सेवकों अपितु पदाधिकारियों को भी समवाय की सेवा से निवृत्त किये जाने का नोटिस प्राप्त हुआ है यह समझा जाना चाहिये । विधेयक के अन्य भागों में शब्द "पदाधिकारी तथा कर्मचारी" प्रयुक्त किये गये हैं और इसलिये उन्हें यहां रखा गया है ।

इन के उपरान्त में खंड ४५२ के संशोधन संख्या १०५० तथा १०५१ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । प्रथम संशोधन का सम्बन्ध परक्राम्य प्रतिभूतियों से है जो कि सुगमतापूर्वक बेची जा सकती है । द्वितीय संशोधन यह स्पष्ट करता है कि समवाय के किसी पदाधिकारी द्वारा दी गयी प्रतिभूतियां भी इस खंड के क्षेत्र में आ जाती हैं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

अब आते हैं संशोधन संख्या १०५८ और १०५९ । जब परिसमापक नियुक्त किया जाता है तो न केवल निदेशक बोर्ड अपितु प्रबन्ध निदेशक, निदेशक सैक्रेटरी और कोषाध्यक्ष सभी का करना बन्द कर देते हैं । पहले संशोधन से इसी स्थिति को स्पष्ट किया गया है । दूसरा संशोधन इस खंड के उपबन्धों का खंड ४९१ के उपबन्धों से समाधान करने के लिये है । प्रथम परिसमापक की नियुक्ति की सूचना निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध निदेशक या खंड में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जानी आवश्यक है ।

अब मैं संशोधन संख्या १०६१ को लेता हूं । भाभा समिति की इच्छा थी कि इंग्लैंड के अधिनियम की धारा ३३८ रखी जाती परन्तु दुर्भाग्यवश संयुक्त समिति में इस सिफारिश पर चर्चा नहीं हुई और उसे नहीं रखा गया । यह संशोधन उसी भूल को सुधारने के लिये है ।

अब आता है संशोधन संख्या १०६२ । इस के सम्बन्ध में भी यह स्थिति थी कि भाभा समिति की सिफारिश थी कि इंग्लैंड के अधिनियम की धारा ३३७ रखी जाती परन्तु इस पर भी संयुक्त समिति में विचार नहीं हुआ । यह संशोधन उसी भूल को सुधारने के लिये है ।

संशोधन संख्या १०६३ खंड ५५४ के सम्बन्ध में है । यह खंड न्यायालय को परिसमापक द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, विघटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि में, समवाय के विघटन को शून्य घोषित कर देने का अधिकार देता है । इस अधिकार का उपयोग उन मामलों तक सीमित नहीं है जिन में कि समवाय भाग ७ में दिये गये उपबन्धों के अनुसार समापित कर दिये गये हैं, परन्तु इस खंड के भाग ७ में होने से इस की शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ संशय उत्पन्न हो जाता है । प्रस्तावित संशोधन इस संशय को दूर करने के लिये है और इस से यह स्पष्ट किया गया है कि समवाय का विघटन चाहे किसी भी कारण से किया गया हो, वह न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है ।

श्री के० के० बसु : मैं ने समापन की स्थिति में अधिमान्य भुगतान से सम्बन्धित अपने संशोधन संख्या ११३७ और ११३८ प्रस्तुत किये हैं । मेरे संशोधनों का क्षेत्र बहुत सीमित है और वह बहुत महत्वपूर्ण है ।

प्रश्न यह है भुगतान न किये गये बेतन तथा भविष्य-निधि के देय खंड ५२७ के अन्तर्गत अधिमान्य भुगतान समझे जायें। हमारा अनुभव यह है कि वेतनों की बकाया को तथा भविष्य-निधि के देय को ऋण-पत्र-धारियों और सुरक्षित लेनदारों के रखा जाता है। सामान्य विधि में तो ऋण-पत्र-धारियों और सुरक्षित लेनदारों का दावा प्रथम होता है और उनके भुगतान के बाद वेतनों के भुगतान और भविष्य-निधि के देय के भुगतान का प्रश्न उठाया जाता है। मेरा यह निवेदन है कि इन दोनों देयों का भुगतान ऋण-पत्र धारियों अथवा किसी पंजीबद्ध अथवा अपंजीबद्ध लिखत का भुगतान करने से पहले किया जाये। 'अपंजीबद्ध' शब्द मैं ने इसलिये रखा है क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं कि भाग ख में के राज्यों में पंजीयन होता है अथव नहीं। मेरा आशय यह है कि यह देनगियां ऋण-पत्र-धारियों अथवा अन्य प्रभारों से पहले दी जानी चाहियें। कलकत्ते में कई बैंकिंग समवाय परिसमापित हुये और उन्होंने कर्मचारियों की भविष्य-निधि से अन्य भुगतान कर दिये। भविष्य-निधि के विषय में इस विधेयक में उपबन्ध है कि इसे बचत बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाये और उस निधि का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये नहीं किया जा सकता है। इतने पर भी मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन स्वीकार किया जाये।

वित्त मंत्री ने श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कुछ कहा था। सरकार इस सम्बन्ध में जब भी कोई निर्णय करे तो उस निर्णय को निगमित करने के लिये एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करे। मेरा संशोधन बहुत सरल है और इसे इसी विधेयक में रखा जा सकता है। प्रत्येक बन्धकधारी का कर्तव्य है कि वह यह पता लगाये कि ऋणपत्रों अथवा सरकारी प्रभारों जैसी कोई देनगियां तो नहीं है। उन को मालूम होना चाहिये कि उस समवाय विशेष की आस्तियां तथा दायित्व क्या हैं। प्रत्येक समवाय का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक तीन मास के पश्चात् इन का एक विवरण प्रस्तुत करे। यदि बंधकधारी यह देखे कि उस की प्रतिभूतियां कम हो गई हैं तो वह अपने प्रभार के भुगतान के लिये आग्रह कर सकता है। परिसमापन की दशा में कर्मचारियों के वेतनों की बकाया और भविष्य-निधी के देय को अन्य प्रभारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लेगी।

श्री कामत : मेरे चार संशोधन हैं। पहला संशोधन संख्या ११२९ परिसमापक या लेनदार को ऐच्छिक समापन की परिस्थिति में और अधिक अधिकार प्रदान करता है। मेरा संशोधन खंड ५१६ के उप-खंड (ख) के पश्चात् एक और उप-खंड (ग) के जोड़े जाने की प्रस्थापना करता है। यह केवल प्रारूपण सम्बन्धी संशोधन है।

मेरा दूसरा संशोधन खंड ५४० के सम्बन्ध में है जो कि अपचारी निदेशकों से हरजाना दिलाये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय को अधिकार देता है। यह खंड मेरे विचार से अनावश्यक है क्योंकि इन मामलों में भारतीय परिसीमन अधिनियम लागू होता है। इस की धारा ५ में यह उपबन्ध है कि निर्णय का पुनरीक्षण किये जाने अथवा अपील करने की अनुमति दिये जाने अथवा किसी अन्य आवेदन पत्र को जिस पर यह धारा लागू होती हो, उस के लिये निर्धारित परिसीमन अवधि के पश्चात् भी स्वीकार किया जा सकता है यदि आवेदन-कर्ता न्यायालय को यह विश्वास दिला दे कि उक्त अवधी में आवेदनपत्र प्रस्तुत न करने या अपील न कर सकने के लिये उस के पास पर्याप्त कारण थे।

[श्री कामत]

मैं अपने संशोधन संख्या ११३० में प्रस्तावित परन्तुक से इस स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

इस के पश्चात् मैं खंड ५४२ को लेता हूं जो अपचारी पदाधिकारियों के अभियोजन के सम्बन्ध में है। अपने संशोधन संख्या ११३१ से मैं इस खंड में एक नया परन्तुक जोड़ना चाहता हूं। मेरे संशोधन का आशय यह है कि परिसमापक को न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होना चाहिये। यदि उस ने अनुमति न भी प्राप्त की हो तो भी उसे सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

इस के पश्चात् मैं खंड ५५५ को लेता हूं। इस खंड के सम्बन्ध मे मेरा संशोधन पंजीयक द्वारा भेजे गये नोटिस के विषय में है। मैं इसे और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरा संशोधन यह है कि खंड में यह जोड़ दिया जाये, "ऐसे आदेश जारी किये जाने पश्चात् यह समझा जायेगा कि समवाय का कभी उच्छेदन नहीं किया गया था।"

यदि यह शब्द जोड़ दिये जायें तो खंड का आशय एकदम स्पष्ट हो जाता है। मैं सभा के समक्ष इन संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० सी० शाह : मैं श्री के० के० बसु के संशोधन संख्या ११३७ और ११३८ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। खंड ५२७ के आरम्भ में कहा गया है कि "समापन में, अन्य ऋणों की अपेक्षा .... का प्राथमिकता से भुगतान होगा।" इस अर्थ यह है कि सारे अन्य ऋण रक्षित अथवा अरक्षित हैं। श्री बसु का प्रस्ताव है कि (ख) के अधीन देय वेतनों की राशि और (च) के आधीन देय भविष्य निधि निवृत्ति वेतन, आदि की राशि को अन्य ऋणों की अपेक्षा प्राथमिकता मिलनी चाहिये। यदि (क), (ग), (घ), (ङ) और (छ) में उल्लिखित ऋणों को देखें, जिन्हें श्री बसु (ख) और (च) को प्राथमिकता देने के पश्चात् रखना चाहते हैं, तो आप को विदित होगा कि (क) को छोड़ कर वे समवाय के कर्मचारियों को, जिन्हें वे प्राथमिकता देना चाहते हैं, समान रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। अतः यह भी कर्मचारियों को दिया गया वह ऋण है जो अन्य ऋणों के समान माना जाना है। (घ) और (ङ) में जिन ऋणों का उल्लेख है वे सब कर्मचारियों के कल्याण के लिये कर्मचारियों को देय हैं। अतः इस सुझाव में कोई तत्व नहीं है कि वेतन आदि के लिये देय राशियों को उन राशियों की अपेक्षा, जो मज़दूर क्षति-पूर्ति अधिनियम या राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम के अधीन देय हों या समस्त अर्जित छुट्टी पारिश्रमिक के लिये देय हों, प्राथमिकता दी जाये। अतः, मेरा निवेदन है कि प्रो० के० के० बसु के संशोधन में कोई तत्व नहीं है।

मूल विधेयक के खंड (ख) के शब्द थे : "प्रासंगिक दिनांक के पूर्व चार मासों में समवाय में की गई सेवाओं की समस्त मजूरी व वेतन, आदि।" अतः उस खंड के अनुसार समापन के दिनांक से केवल चार मास पूर्व तक के काल के लिये मजूरी का भुगान होना है। इस खंड में संयुक्त समिति ने यह संशोधन कर दिया है कि प्रासंगिक दिनांक से पूर्व के बारह मासों में चार मास के लिये देय समस्त मजूरी का भुगतान प्राथमिकता से होगा। संयुक्त समिति ने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिये यह प्राथमिकता लागू की है। अतः मेरा निवेदन है कि श्री बसु के प्रस्तावित संशोधनों में कोई तत्व नहीं है।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री एम० सी० शाह : अब मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों के बारे में बताऊंगा कि किन कारणों से हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। उन के संशोधन संख्या ११२९ का संबंध खंड ५१६ से है। इस में उपबन्ध है कि न्यायालय को उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जिसने विगणिक विचारानुसार समवाय की स्थापना के सम्बन्ध में धोका दिया हो, खुले आम जांच करने का जैसा कि धारा ४७५ में उपबंधित है आदेश देने का अधिकार होगा।

खंड ४७५ के अधीन, केवल उस समय जब कि सरकारी विगणिक ने खुले आम ये कहा हो कि उस के विचार में, स्थापना करने वालों या निदेशकों आदि द्वारा षडयंत्र रचा गया है, न्यायालय को खुले आम जांच करने का आदेश देने का क्षेत्राधिकार होगा। परन्तु, किसी अंशदायी या ऋणदाता द्वारा स्वेच्छा से समापन के मामले में ऐसा अधिकार देना भयानक होगा। यह प्रश्न कि खंड ५६० में उल्लिखित विगणिक स्थापना करने वाले, निदेशक, आदि की खुले आम जांच के लिए न्यायालय से निवेदन कर सके या नहीं, अधिक कठिन है। अपरिदर्शी सिद्धान्त रूप में विगणिक को ऐसा अधिकार देने में कोई हानि नहीं है। सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु मेरा ख्याल है कि इस के लिए खंड का पुनः प्रारूप बनाने की आवश्यकता होगी। अतः यदि मेरे मित्र हमें अपना संशोधन स्वीकार करने के लिये बाध्य करते हैं, तो हम खंड का प्रारूप पुनः तैयार करने पर विचार करेंगे। कदाचित् नया प्रारूप हम कल दे दें। हम नये प्रारूप में उन की बात को सम्मिलित करने का प्रयत्न करेंगे, परन्तु यदि हम इस में सम्मिलित न कर सकें, तो माननीय सदस्य हमें क्षमा करेंगे।

अब मैं खंड ५४० के संशोधन संख्या ११३० पर आता हूं। खंड ५४० के उपखंड (२) में उल्लेख है : "उप-धारा (१) के अधीन कोई भी प्रार्थनापत्र समापन के दिनांक से पांच वर्षों के भीतर दिया जायेगा . ." आदि।

संशोधन संख्या ११३० के द्वारा माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह सीमा ऐसे समस्त प्रार्थनापत्रों पर लागू हो। पांच वर्षों की एक साधारण सीमा पहिले ही है और न्यायालयों को भी अधिकार है कि, पर्याप्त कारण होने पर समय-सीमा को तोड़ दें। अतः मेरा विचार है कि यहां यह संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

माननीय सदस्य ने खंड ५४२ का अन्य संशोधन ११३१ प्रस्तुत किया है। खंड ५४२ में समवाय के अपचारी अधिकारियों और सदस्यों पर अभियोग चलाने का उल्लेख है। खंड ५४२ का उपखंड (१) समवाय के कार्यों में अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति को न्यायालय को यह विश्वास कराने का अधिकार देती है कि समवाय के अपचारी अधिकारियों या सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अपरिदर्शी मामला है। यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा मामला बनाने में असफल रहता है, तो आगे बढ़ना और यह कहना कठिन है कि उसे अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर अभियोग चलाने की स्वतन्त्रता हो या नहीं। इस से उपखंड (१) में उपबन्धित सुरक्षा प्रायः जाती रहेगी। जो कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व न्यायालय की अनुमतिहै। विगणिक, जब कि किसी समवाय का समापन न्यायालय द्वारा हो रहा हो, न्यायालय के नियन्त्रण देख भाल के अधीन है। उन्हें न्यायालय की स्वीकृति के बिना वे अभियोग चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये जिन में समवाय की आस्तियों में से व्यय सन्निहित हो। अतः हम इस से सहमत नहीं हो सकते।

अन्तिम संशोधन इस कारण आवश्यक नहीं है कि उपखंड (७) में मामले के लिये प्रायः वैसा ही उपबन्ध है जैसा कि इस संशोधन में सुझाया गया है। अधिकार विद्यमान है। अतः, यह अनावश्यक है। मेरा निवेदन है कि हम

[श्री एम० सी० शाह]

खंड ५१६ के संशोधन संख्या ११२९ को, सिद्धान्त रूप में, छोड़ कर इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकते। वह खंड रोका जा सकता है यदि अच्छा नया प्रारूप प्राप्त करने की कोई सम्भावना है तो हम सिद्धान्त स्वीकार कर लेंगे । अन्यथा, मैं कह चुका हूं, मेरे माननीय मित्र हमें क्षमा करेंगे ।

सभापति महोदय : अब ये संशोधन हैं जिन्हें प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है तथा जो प्रस्तुत माने जायेंगे ।

श्री एम० सी० शाह : मेरा एक निवेदन है । इस के पूर्व कि आप सब खंडों को मतदान के लिये प्रस्तुत करें . . . . .

सभापति महोदय : मैं उन संशोधनों की संख्या बताये दे रहा हूं, जिन के प्रस्तुत किये जाने का विचार है :

खंड संख्या	संशोधन संख्या
४२५	१०३२ (सरकारी,), १०३३ (सरकारी), १०३४ (सरकारी), १०३५ (सरकारी)
४३०क	१०३६ (सरकारी)
४३३	१०३७ (सरकारी), १०३८ (सरकारी)
४३७	१०३९ (सरकारी), १०४० (सरकारी)
४४१	१०४१ (सरकारी), १०४२ (सरकारी)
४४२	१०४३ (सरकारी)
४४३	१०४४ (सरकारी), १०४५ (सरकारी), १०४६ (सरकारी), १०४७ (सरकारी)
४४४	१०४८ (सरकारी)
४५१	१०४९ (सरकारी)
४५२	१०५० (सरकारी), १०५१ (सरकारी)
४५३	१०५२ (सरकारी)
४७४	१०५३ (सरकारी)
	१०५४ (सरकारी)
४८०	१०५५ (सरकारी)
४८५	१०५६ (सरकारी)
४८६	१०५७ (सरकारी)
४८९	१०५८ (सरकारी)
	१०५९ (सरकारी)
५१६	११२९
५२७	११३७, ११३८
५४०	१०६० (सरकारी), ११३०
५४२	११३१
५४३क (नया)	१०६१ (सरकारी)
५५१क (नया)	१०६२ (सरकारी)
५५४	१०६३ (सरकारी)
५५५	११३२

खंड ४२५—(अंशदाता के रूप में दायित्व आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २१०, पंक्ति ३७,

"a past member shall not be liable to contribute" (एक विगत सदस्य अंशदान देने के लिये बाध्य न होगा) के स्थान पर "no past member shall not be liable to contribute" (कोई भी विगत सदस्य अंशदान देने के लिये बाध्य न होगा) रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २११, पंक्ति १,

"member" (सदस्य) के पहले "past or present" (विगत या वर्तमान) रखा जाये ।

(३) पृष्ठ २११, पंक्ति १,

"if any" (यदि कोई हो) का लोप किया जाये ।

(४) पृष्ठ २११, पंक्ति २१,

"any shares held by him" (उस के द्वारा धारित कोई अंश) के बाद "as if the company were a company limited by shares" (मानो वह समवाय अंशों द्वारा सीमित समवाय था) रखा जाये ।

नया खंड ४३०-क

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २१२,

पंक्ति ३६ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

"430A. Contributories in case of winding up of a body corporate which is a member.—

(1) If a body corporate which is a contributory is ordered to be wound up either before or after it has been placed on the list of contributories,—

(a) the liquidator of the body corporate shall represent it for all the purposes of the winding up of the company and shall be a contributory accordingly, and may be called on to admit to proof against the assets of the body corporate or otherwise to allow to be paid out of its asset in due course of law, any money due from the body corporate in respect of its liability to contribute to the assets of the company, and

(b) there may be proved against the assets of the body corporate the estimated value of its liability to future calls as well as calls already made."

["४३०क. एक निगम निकाय को, जो सदस्य है, परिसमाप्ती की स्थिति में अंशदाता—

(१) यदि एक निगम निकाय को, जो एक अंशदाता है, उस के अंशदाताओं की सूची पर रखे जाने के पहले या बाद, परिसमापन करने का आदेश दिया जाता है, तो—

(क) निगम-निकाय का परिसमापक समवाय की परिसमाप्ति के सभी प्रयोजनों से इस का प्रतिनिधित्व करेगा और तदनुसार अंशदाता होगा, और उसे समवाय की आस्तियों से अंशदान में उसके दायित्व के संबंध में निगम-निकाय से प्राप्य किसी धन के निगम-निकाय की आस्तियों के आगे प्रमाण के रूप में मानने या उस की आस्तियों में से विधि के उचित प्रक्रम में भुगताने की अन्यथा अनुमति देने के लिये कहा जा सकेगा; और

(ख) निगम-निकाय की आस्तियों के आगे भविष्य की मांगों या की जा चुकी मांगों के बारे में उस के दायित्व के प्राकल्लित मूल्य को सिद्ध किया जा सकेगा । "]

खंड ४३३—(परिसमापन का हस्तातरण आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २१३,

(एक) पंक्ति ३६,

"in a District Court" (एक जिला न्यायालय में) के बाद "subordinate thereto or with the consent of any other High Court, in such High Court or in a District Court subordinate thereto" (उस के अधीन या किसी अन्य उच्च न्यायालय की मंजूरी से उस उच्च न्यायालय में या उस के अधीन किसी जिला न्यायालय में) रखा जाये; और

(दो) पंक्ति ३७,

"such District Court" (उस जिला न्यायालय) के स्थान पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

"the court in respect of which such direction is given" (वह न्यायालय, जिस के बारे में ऐसा निदेश दिया जाता है) रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २१३, पंक्ति ३६,

"the High Court" (उच्च न्यायालय) के स्थान पर "a High Court under this Act" (इस अधिनियम के अन्तर्गत एक उच्च न्यायालय) रखा जाये ।

खंड ४३७—(परिसमापन की प्रार्थनाओं के लिये उपबन्ध आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

(१) पृष्ठ २१४,

पंक्ति २६ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(1A) A secured creditor, the holder of any debentures (including debenture stock) whether or not any trustee or trustees have been appointed in respect of such and other like debentures and also the trustee or the holders of debentures, shall be deemed to be creditors within the meaning of clause (b) of sub-section (1)

(1B) A contributory shall be entitled to present petition for winding up a company notwithstanding that he may be the holder of fully paid-up shares or that the company may have no assets at all or may have no surplus assets the for distribution among left share-holders after the satisfaction of its liabilities."

["(१क) एक प्रतिभूत उत्तमर्ण, (ऋणपत्र-स्टाक समेत) किन्हीं ऋणपत्रों का धारक चाहे उन या वैसे ऋणपत्रों के सम्बन्ध में, न्यासधारी या न्यासधारीगण नियुक्त किये गये हों या न किये गये हों, और ऋणपत्रों के धारकों का न्यासधारी भी, उपधारा (१) के खंड (ख) के अर्थ में उत्तमर्ण माने जायेंगे ।

(१ख) एक अंशदाता इस बात के होते हुए भी कि वह पूरे भुगताये गये अंशों का धारक हो या समवाय के पास कोई भी आस्तियां न हों या दायित्वों के समाधान के बाद अंशधारियों में वितरण के लिये कोई अतिरिक्त आस्तियां न हों, समवाय के परिसमापन के लिये याचिका उपस्थापित करने का अधिकारी होगा ।"]

(२) पृष्ठ २१५,

पंक्ति १५ और १६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(6) Before a petition for winding up a company presented by a contingent or prospective creditor is admitted, the leave of the court shall be obtained for the admission of the petition and such leave shall not be granted.—"

["(६) किसी संभाव्य या संभावी अधमर्ण द्वारा उपस्थापित की गई एक समवाय के परिसमापन की याचिका के अंगीकृत होने से पहले उस के अंगीकार के लिये न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जायेगी और अनुमति तब तक न दी जायेगी—"]

खंड ४४१—(न्यायालय की शक्तियां आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २१६,

पक्ति २१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(d) make an order for winding up the company with or without costs or any other order that it thinks fit :"

["(घ) समवाय के लागत सहित या रहित परिसमापन का आदेश या कोई अन्य आदेश जो यह ठीक समझे, दे सकेगी :"]

(२) पृष्ठ २१६,

पंक्ति २६ से ३६ के स्थान पर रखा जाये :

"(2) Where the petition is presented on the ground that it is just and equitable that the company should be wound up, the Court may refused to make an order of winding up, if it is of opinion that some other remedy is available to the petitioners and that they are acting unreasonably in seeking to have the company wound up instead of pursuing that other remedy."

["(२) जब याचिका इस आधार पर उपस्थापित की जाती है कि यह उचित और न्याय्य है कि समवाय का परिसमापन किया जाये तो न्यायालय परिसमापन का आदेश देने से इन्कार कर सकेगा। यदि उस का विचार यह है कि याचिकादाताओं के लिये कोई अन्य उपाय उपलब्ध है और वे उस अन्य उपाय का अनुसरण करने के स्थान पर समवाय के परिसमापन की मांग करते हुए अनुचित कार्य कर रहे हैं।"]

खंड ४४२—(परिसमापन का आदेश आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २१७, पंक्ति ४,

"it" (वह) के स्थान पर "the court" (न्यायालय) रखा जाये ।

खंड ४४३—(परिसमापन आदेश की प्रति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २१७, पंक्ति ६,

"copy" (प्रति) के स्थान पर "certified copy" (प्रमाणित प्रति) रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २१७,

पंक्ति १० के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"If default is made in complying with the foregoing provision, the petitioner, or as the case may require, the company, and every officer of the company who is in default, shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees for each day during which the default continues."

[यदि पूर्वोक्त उपबन्ध के पालन में चूक होती है तो याचिकादाता, या यथास्थिति समवाय या समवाय का प्रत्येक पदाधिकारी जो चूक करता है अर्थ दंड से दंडय होगा, जो चूक चलते रहने के प्रत्येक दिन के लिये एक सौ रुपये तक हो सकेगा ।"]

(३) पृष्ठ २१७, पंक्ति ११,

"a copy of a winding up order" (परिसमापन-आदेश की एक प्रति) के स्थान पर "a certified copy of the winding up order" (परिसमापन आदेश की एक प्रमाणित प्रति) रखा जाये ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

(४) पृष्ठ २१७, पक्ति १६,

"servants" (भृत्यों) के स्थान पर "officers and employees" (पदाधिकारी और कर्मचारी) रखा जाये ।

खंड ४४४—(परिसमापन आदेश पर रोके गये वाद)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २१७, पंक्ति २०,

"shall be proceeded with or commenced" (चलाये या आरम्भ किये जायेंगे) के स्थान पर "shall be commenced, or if pending at the date of the winding up order, shall be proceed with" (आरम्भ किये जायेंगे या यदि परिसमापन आदेश की तिथि पर लंबित हों तो चलाये जायेंगे) रखा जाये ।

खंड ४५१—(आदाता आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २१९, पंक्ति ७,

अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"except by or with the leave of the court" (न्यायालय की या द्वारा अनुमति को छोड़ कर) ।

खंड ४५२—(कार्य का विवरण आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २१९, पंक्ति १६,

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"and the negotiable securities, if any, held by the company" (और समवाय द्वारा धारित परक्राम्य प्रतिभूतियां, यदि कोई हों,)

(२) पृष्ठ २१९, पंक्ति २० और २१,

"securities given" (दी गई प्रतिभूतियां) के बाद "whether by the company or an officr thereof" (समवाय या उस के एक पदाधिकारी द्वारा) रखा जाये ।

खंड ४५३—(अधिकृत परिसमाप्त द्वारा प्रतिवेदन)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २२०,

पंक्ति ९३ और ३४,

"shall be submitted" (भेजा जायेगा) के स्थान पर "need be submitted" (भेजा जाना आवश्यक है) रखा जाये ।

खंड ४७४—(व्यक्तियों के आह्वान की शक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २२८, पंक्ति १,

"tendered (दिया है) के स्थान पर "paid or tendered" (भुगताया है या दिया है) रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २२८, पंक्ति २,

"refuses to come" (आने से इन्कार करता है) के स्थान पर "fails to appear" (उपस्थित नहीं होता) रखा जाये ।

खंड ४८०—(निपटाने का तरीका आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २२९ और २३०,

खंड ४८० को खंड ६२८ के बाद ले जाया जाये और इसे ६२८–क संख्या दी जाये ।

खंड ४८५—(ऐच्छिक परिसमापन का प्रभाव आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २३१,

पंक्ति २ के स्थान पर यह रखा जाये :

"or such business" (या ऐसा कारबार) ।

खंड ४८६—(शोधनक्षमता की घोषणा आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २३१, पंक्ति १३,

"that the company will be able to pay its debts" (कि समवाय अपने ऋण चुका सकेगी) के स्थान पर "that the company has no debt or that it will be able to pay its debts." (कि समवाय पर कोई ऋण नहीं है और वह अपने ऋण चुका सकेगा), रखा जाये ।

खंड ४८९—(बोर्ड की शक्तियां आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ २३२, पंक्ति १५ और १६,

"Board of directors" (निदेशक बोर्ड) के बाद "and of the managing or whole-time directors, managing agent, secretaries and treasurers and manager, if there be any of these" ("और प्रबंधक या पूर्वकालीन निदेशकों, प्रबन्धक एजेंट, सचिवों और कोषाध्यक्षों का, यदि इन में से कोई हों) रखा जाये ।

(२) पृष्ठ २३२, पंक्ति १६,

"except" (अतिरिक्त) के बाद " for the purpose of giving notice of such appointment to the Registrar in pursuance of section 491." (ऐसी नियुक्ति की सूचना धारा ४९१ के अनुसरण में पंजीयक को देने के प्रयोजन के) रखा जाये ।

खंड ४५०—(क्षतिपूर्ति के निर्धारण की न्यायालय की शक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २५३, पंक्ति ४२,

"or liquidator, or any officer" (या परिसमापक या कोई पदाधिकारी) के स्थान पर "liquidator or officer" (परिसमापक या पदाधिकारी) रखा जाये ।

नया खंड ५४३-क

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २५६,

पंक्ति २५ के बाद यह जोड़ दिया जाये :-

"*543A. Notification that a company is in liquidation* :— (1) Where a company is being wound up, whether by or under the supervision of the court or voluntarily every invoice, order for goods or business letter issued by or on behalf of the company, or a liquidator of the company, or a receiver or manager of the property of the company, being a document on or in which the name of the company appears, shall conta in a statement that the comany is being wound up.

(2) If default is made in complying with this section, the company and any of the following persons who wilfully authorises or permits the default, namely, any officer of the company, any liquidator of the company and any r ceiver or manager, shall be

[श्री सी० डी० देशमुख]

punishable with fine which may extend to five hundred rupees."

["५४३-क. अधिसूचना कि समवाय का परिसमापन हो रहा है—(१) जब किसी समवाय का चाहे न्यायालय द्वारा या उसके अधीक्षण में या स्वतः, परिसमापन हो रहा हो, तो समवाय या समवाय के एक परिसमापक या समवाय की संपत्ति के एक आदाता या प्रबंधक द्वारा या की ओर से प्रेषित प्रत्येक बीजक माल के लिये आर्डर या व्यापारिक पत्र में, जो एक ऐसा दस्तावेज होगा, जिस में समवाय का नाम आता है, यह विवरण निविष्ट रहेगा कि समवाय का परिसमापन हो रहा है ।

(२) यदि इस धारा के पालन में चूक होती है, तो समवाय या निम्न व्यक्तियों में से कोई, अर्थात्, समवाय का एक पदाधिकारी, समवाय का कोई परिसमापक और कोई आदाता या प्रबन्धक, जो इच्छापूर्वक चूक अधिकृत करता है या उस की आज्ञा देता है अर्थ दंड से दंड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा ।"]

नया खंड ५५१क

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २६०,

पंक्ति २६ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"*551A. Enforcement of duty of liquidator to make returns etc.*— (1) If any liquidator who has made any default in filing, delivering or making any return, account or other document, or in giving any notice which he is by law required to file, deliver, make or give, fails to make good the default within fourteen days after the service on him of a notice requiring him to do so, the Court may, on an application made to the court by any contributory or creditor of the company or by the Registrar, make an order directing the liquidator to make good the default within such time as may be specified in the order.

(2) Any such order may provide that all costs of and incidental to the application shall be borne by the liquidator.

(3) Nothing in this section shall be taken to prejudice the operation of any enactment imposing penaltiesion a liquidator in respect of any such default as aforesaid."

["५५१-क. विवरण भजने आदि के परिसमापक के कर्तव्य का प्रवर्तन—(१) यदि कोई परिसमापक, जिस ने कोई विवरण, लेखा या अन्य दस्तावेज दायर करने, भेजने या देने में या कोई ऐसी सूचना देने में, जो दायर करना, भेजना या देना उस के लिये विधि द्वारा अपेक्षित है, कुछ चूक की है, उसे ऐसा करने की सूचना दिये जाने के बाद चौदह दिन के अन्दर उसे ठीक नहीं करता, तो न्यायालय, समवाय के किसी अंशदाता या उत्तमर्ण या पंजीयक के न्यायालय को आवेदन करने पर, एक आदेश दे सकता है, जिस में परिसमापक को आदेश में दिये गये समय में उस चूक को ठीक करने का निदेश दिया गया हो ।

(२) ऐसे किसी भी आदेश में यह उपबन्ध हो सकता है कि आवेदन के और उस से आनुषंगिक सभी व्यय परिसमापक को देने पड़ेंगे ।

(३) इस धारा [की कोई बात पूर्वोक्त प्रकार की किसी चूक के सम्बन्ध में परिसमापन के ऊपर दंड विहित करने वाले किसी अधिनियम के प्रवर्तन में बाधा डालती हुई न मानी जायेगी ।"]

खंड ५५४–(न्यायालय की घोषणा करने की शक्ति आदि]

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २६१, पंक्ति १४,

"where a company has been dissolved" (जब एक समवाय विघटित हो गया है) के बाद "whether in pursuance of this part or of section 293 or otherwise" (चाहे इस भाग के या धारा २९३ के अनुसरण में या अन्यथा) रखा जाये

नया खंड ४६०-क

श्री एम० सी० शाह : आप की अनुमति से मुझे एक और संशोधन प्रस्तुत करना है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

खंड ४६० के बाद निम्नलिखित नया खंड ४६०-क रखा जाये :

"460A. Control of Central Government over liquidators.— (1) The Central Government shall take cognizance of the conduct of liquidators of companies which are being wound up by the court and if a liquidator does not faithfully perform his duties and duly observe all the requirements imposed on him by this Act, the rules thereunder or otherwise with respect to the performance of his duties, or if any complaint is made to the Central Government by any creditor or contributory in regard thereto, the Central Government shall inquire into the matter and take such action thereon as it may think expedient.

(2) The Central Government may at any time require any liquidator of a company which is being wound up by the court to answer any enquiry in relation to any winding up in which he is engaged and may, if the Central Government thinks fit, apply to the court to examine him or any other person on oath concerning the winding up.

(3) The Central Government may also direct local investigation to be made of the books and vouchers of the liquidators."

["**४६०-क. परिसमापकों पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण.**–(१) केन्द्रीय सरकार उन समवायों के परिसमापकों के आचरण पर कार्यवाही कर सकेगी, जिन का न्यायालय द्वारा परिसमापन हो रहा है और यदि कोई परिसमापक निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में इस अधिनियम, उस के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या अन्यथा उस से अपेक्षित कार्यों का उचित रूप में पालन नहीं करता या यदि उस के बारे में किसी उत्तमर्ण या अंशदाता द्वारा केन्द्रीय सरकार से कोई शिकायत की जाती है, तो केन्द्रीय सरकार उस बात की जांच करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जो वह उचित समझे ।

(२) केन्द्रीय सरकार किसी भी समय किसी ऐसे समवाय के परिसमापक से, जिस का न्यायालय द्वारा परिसमापन हो रहा है, परिसमापन के, सम्बन्ध में, जिस में वह लगा हुआ है, किसी जांच के उत्तर की मांग कर सकेगी और, यदि केन्द्रीय सरकार ठीक समझे तो, न्यायालय से यह आवेदन कर सकेगी कि परिसमापन के सम्बन्ध में उस का या किसी अन्य व्यक्ति का सशपथ परीक्षण किया जाये।

(३) केन्द्रीय सरकार परिसमापक वाउचरों और पंजियों की स्थानीय जांच का भी निदेश दे सकेगी ।"]

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित खंडों पर निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन भी प्रस्तुत किये गये :

सदस्य नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्य
श्री कामत	५१६	११२९
श्री के०के० बसु	५२७	११३७, ११३८
श्री कामत	५४०	११३०
श्री कामत	५४२	११३१
श्री कामत	५५५	११३२

सभापति महोदय : ये सब संशोधन चर्चा के लिये सभा के सामने हैं ।

श्री कामत : सरकार के इस अन्तिम संशोधन की प्रतियां नहीं मिलीं ।

श्री एम० सी० शाह : नवीन खण्ड ४६०-क इंगलिस्तान के अधिनियम की धारा २५० के स्थान पर आया है । उसमें स्पष्ट रूप से सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह यह देखे कि परिसमापक शक्तियों का प्रयोग कर समुचित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है । अन्यथा एक चालाक परिसमापक यह दलील दे सकता है कि वह न्यायालय के समक्ष ही उत्तर देगा । उसे अधिकृत परिसमापक की नियुक्ति से हटा देने पर भी वह चिन्ता नहीं करेगा । वह पहले ही अपनी जेब भर लेगा । अतः मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण सभा इससे सहमत होगी क्योंकि हम अधिकृत परिसमापकों को भी दुर्व्यव्यवहार अथवा कर्तव्य का समुचित पालन न करने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में ही ला रहे हैं । मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति हो सकती है ।

श्री के० के० बसु : सामान्यतया अधिकृत परिसमापक ही भविष्य में परिसमापक नियुक्त किया जाना चाहिये लेकिन पुराने परिसमापक भी बने रह सकते हैं अथवा कुछ स्वेच्छा से समापन हो सकता है । क्या माननीय मंत्री सभी परिसमापकों को अथवा न्यायालय द्वारा घोषित परिसमापकों को ही सम्मिलित करना चाहते हैं ।

श्री सी० सी० शाह : केवल न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापकों को ही ।

श्री एस० सी० शाह : वह सदा यही कहेंगे : "मैं आपके प्रति उत्तर देने के लिये वाध्य नहीं हूं" ।

सभापति महोदय : यह नवीन खण्ड ४६०क जो अभी प्रस्तुत किया गया है आज रात्रि को सदस्यों में परिचारित किया जायेगा और इस पर चर्चा एवं मतदान कल होगा । किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य संशोधनों पर मतदान किया जा सकता है ।

श्री एम० सी० शाह : जी हां श्रीमान्, ५१६ के अतिरिक्त ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४२४ विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४२४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१०, पक्ति ३७,

"a past member shall not be liable to contribute" (एक विगत सदस्य अंशदान देने के लिये बाध्य न होगा) के स्थान पर "no past member shall not be liable to contribute" (कोई भी विगत सदस्य अशदान देने के लिये वाध्य न होगा) रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २११, पंक्ति १,

"member" (सदस्य) के पहले "past or present" (विगत या वर्तमान रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २११ पंक्ति १

"if any" (यदि कोई हो) का लोप किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २११, पंक्ति २१ "any shares held by him" (उसके द्वारा धारित कोई अंश) के बाद "as if the company were a company limited by shares" (मानो व समवाय अंशों द्वारा सीमित समवाय था) रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४२५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४२५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४२६ से ४३० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४२६ से ४३० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१२,

पंक्ति ३६ के बाद यह रखा जाये :

"430A. *Contributories in case of winding up of a body corporate which is a member.*—(1) if a body corporate which is a contributory is ordered to be wound up, either before or after it has been placed on the list of contributories—

(a) the liquidator of the body corporate shall represent it for all the purposes of the winding up of the company and shall be a contributory accordingly, and may be called on to admit to proof against the assets of the body corporate or otherwise to allow to be paid out of its assets in due course of law, any money due from the body corporate in respect of its liability to contribute to the assets of the company; and

(b) there may be proved against the assets of the body corporate the estimated value of its liability to future calls as well as calls already made."

["४३०क. **एक निगम निकाय को, जो सदस्य है, परिसमाप्ति की स्थिति में अंशदाता**— (१) यदि एक निगम निकाय को, जो एक अंशदाता है, उसके अंशदाताओं की सूची पर रखे जाने के पहले या बाद, परिसमापन करने का आदेश दिया जाता है, तो–

(क) निगम निकाय का परिसमापक समवाय की परिसमाप्ति के सभी प्रयोजनों से इसका प्रतिनिधित्व करेगा और तदनुसार अंशदाता होगा और उसे समवाय की आस्तियों में अंशदान के उसके दायित्व के सम्बन्ध में निगम-निकाय से प्राप्य किसी धन के निगम निकाय की आस्तियों के आगे प्रमाण के रूप में मानने या उसकी आस्तियों में से विधि के उचित प्रक्रम में भुगताने की अन्यथा अनुमति देने के लिये कहा जा सकेगा; और

(ख) निगम-निकाय की आस्तियों के आगे भविष्य की मांगों या की जा चुकी मांगों के बारे में उसके दायित्व के प्राक्कलित मूल्य को सिद्ध किया जा सकेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड ४३०क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४३१ और ४३२ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४३१ और ४३२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१३,

(एक) पंक्ति ३६,

"in a District Court" [एक जिला न्यायालय में] के बाद "Subordinate thereto or with the consent of any other High Court, in such High Court or in a District Court subordinate thereto" [उसके अधीन या किसी अन्य उच्च न्यायालय की मंजूरी से उस उच्च न्यायालय में या उसके अधीन किसी जिला न्यायालय में] रखा जाये; और

(दो) पंक्ति ३७,

"such District Court" [उस जिला न्यायालय] के स्थान पर "the court in respect of which such direction is given" [वह न्यायालय जिसके बारे में ऐसा निदेश दिया जाता है] रखा जाये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१३, पंक्ति ३९,

"the High Court" [उच्च न्यायालय] के स्थान पर "a High Court under this Act" [इस अधिनियम के अन्तर्गत एक उच्च न्यायालय] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४३३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४३३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४३४ से ४३६ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३४ से ४३६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१४,

पंक्ति ३६ के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"(1A) A secured creditor, the holder of any debentures (including debenture stock) whether or not any trustee or trustees have been appointed in respect of such and other like debentures, and also the trustees for the holders of debentures, shall be deemed to be creditors within the meaning of clause (b) of sub-section (1).

(1B) A contributory shall be entitled to present a petition for winding up a company, notwithstanding that he may be the holder of fully paid up shares or that the company may have no assets at all, or may have no surplus assets left for distribution among the share holders after the satisfaction of its liabilities."

["(१क) एक प्रतिभूत उत्तमर्ण, (ऋणपत्र–स्टाक समेत) किन्हीं ऋणपत्रों का धारक, चाहे उन या वैसे ऋणपत्रों के सम्बन्ध में न्यासधारी या न्यासधारीगण नियुक्त किये गये हों या न किये गये हों, और ऋणपत्रों के धारकों का न्यासधारी भी उपधारा (१) के खंड (ख) के अर्थ में उत्तमर्ण माने जायेंगे ।

(१ख) एक अंशदाता, इस बात के होते हुए भी कि वह पूरे भुगताये गये अंशों का धारक हो या समवाय के पास कोई भी आस्तियां न हों या दायित्वों के समाधान के बाद अंशधारियों में वितरण के लिये कोई

अतिरिक्त आस्तियां न हों, समवाय के परिसमापन के लिये याचिका उपस्थापित करने का अधिकारी होगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१५,

पंक्ति १५ और १६ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(6) Before a petition for winding up a company presented by a contingent or prospective creditor is admitted, the leave of the court shall be obtained for the admission of the petition and such leave shall not be granted."

["(६) किसी समाव्य या संभावी अधमर्ण द्वारा उपस्थापित की गई एक समवाय के परिसमापन की याचिका के अंगीकृत होने से पहले उसके अंगीकार के लिये न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जायेगी, और अनुमति तब तक न दी जायेगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४३७ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड ४३८ से ४४० विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३८ से ४४० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१६,

पंक्ति २१ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(d) make an order for winding up the company with or without costs or any other order that it thinks fit."

["(घ) समवाय के लागत सहित या रहित परिसमापन का आदेश या कोई अन्य आदेश, जो यह ठीक समझे, दे सकेगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१६,

पंक्ति २६ से ३६ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(2) Where the petition is presented on the ground that it is just and equitable that the company should be wound up, the Court may refuse to make an order of winding up, if it is of opinion that some other remedy is available to the petitioners and that they are acting unreasonably in seeking to have the company wound up instead of pursuing that other remedy."

["(२) जब याचिका इस आधार पर उपस्थापित की जाती है कि यह उचित और न्याय है कि समवाय का परिसमापन किया जाये, तो न्यायालय परिसमापन का आदेश देने से इन्कार कर सकेगा, यदि उसका विचार यह है कि याचिकादाताओं के लिये कोई अन्य उपाय उपलब्ध हैं और वे उस अन्य उपाय का अनुसरण करने के स्थान पर समवाय के परिसमापन की मांग करते हुए अनुचित कार्य कर रहे हैं ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४४१ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४४१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१७, पंक्ति ४,

"it" [वह] के स्थान पर "the court" [न्यायालय] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४४२ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

खंड ४४२ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१७, पंक्ति ९,

"copy" [प्रति] के स्थान पर "certified copy" [प्रमाणित प्रति] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१७,

पंक्ति १० के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"If default is made in complying with the foregoing provision the petitioner or as the case may require, the company, and any officer of the company who is in default, shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees for each day during which the default continues.

["यदि पर्वोक्त उपबंध के पालन में चूक होती है, तो याचिकादाता, या यथास्थिति समवाय, या समवाय का प्रत्येक पदाधिकारी, जो चूक करता है, अर्थदंड से दंड्य होगा, जो चूक चलते रहने के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये तक होगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१७, पंक्ति ११,

"a copy of a winding up order" [परिसमापन-आदेश की एक प्रति] के स्थान पर "a certified copy of a winding up order" [परिसमापन-आदेश की एक प्रमाणित प्रति] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१७, पंक्ति १६,

"servants" [भृत्यों] के स्थान पर "officers and employees" [पदाधिकारी और कर्मचारी] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४४३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४४३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१७, पंक्ति २०,

"shall be proceeded with or commenced" [चलाये या आरम्भ किये जायेंगे] के स्थान पर "shall be commenced or if pending at the date of the winding up order, shall be proceeded with." [आरम्भ किये जायेंगे, या यदि परिसमापन-आदेश की तिथि पर लंबित हो, तो चलाये जायेंगे] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४४४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४४४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४४५ से ४५० विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४४५ से ४५० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१६, पंक्ति ७,

अंत में यह जोड़ दिया जाये :

"except by or with the leave of, the court" .[न्यायालय की, या द्वारा अनुमति को छोड़ कर] ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५१, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४५१, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१६, पंक्ति १६,

अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"and the negotiable securities, if any, held by the company" [और समवाय द्वारा धारित, परक्राम्य प्रतिभूतियां, यदि कोई हों] ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१६, पंक्ति २० और २१,

"Securities given"[दी गई प्रतिभूतियां] के बाद "whether by the company or an officer thereof" [समवाय या उसके एक पदाधिकारी द्वारा] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५२, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४५२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २२०

पंक्ति ३३ और ३४,

"shall be submitted" [भेजा जायेगा] के स्थान पर "need be submitted" [भेजा जाना आवश्यक है] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४५३, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खण्ड ४५४ से ४७३ में कोई संशोधन नहीं है । नया खण्ड ४६०-क रोक लिया गया है । अतः मैं अन्य खण्ड मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४५४ से ४७३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४५४ से ४७३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २२८, पंक्ति १,

"tendered" [दिया है] के स्थान पर "paid or tendered" [भुगताया है या दिया है] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २२८, पंक्ति २,

"refuses to come" [आने से इन्कार करता है] के स्थान पर "fails to appear" [उपस्थित नहीं होता] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४७४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४७४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४७५ से ४७९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४७५ से ४७९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २२९ और २३०,

खण्ड ४८० को खण्ड ६२८ के बाद ले जाया जाये और इसे ६२८-क संख्या दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८०, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४८०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८१ से ४८४ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४८१ से ४८४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २३१,

पंक्ति २ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"or such business" [या वैसा कार-बार]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४८५, संशोधित रूप में ,विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २३१, पंक्ति १३,

"That the company will be able to pay its debts" [कि समवाय अपने ऋण चुका सकेगा] के स्थान पर "That the company has on debt or that it will be able to pay its debts" [कि समवाय पर कोई ऋण नहीं है और वह अपने ऋण चुका सकेगा] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४८६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८७ और ४८८ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४८७ और ४८८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ २३२, पंक्ति १५ और १६, "Board of directors" [निदेशक बोर्ड] के बाद "and of the managing or whole time directors, managing agent, secretaries and treasurers and manager, if there be any of these" [और प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशकों, प्रबन्धक एजेंट, सचिवों और कोषाध्यक्षों का, यदि इनमें से कोई हों] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २३२, पंक्ति १६,

"except" [अतिरिक्त] के बाद "for the purpose of giving notice of such appointment to the Registrar in pursuance of section 491." [ऐसी नियुक्ति की सूचना धारा ४९१ के अनुसरण में पंजीयक को देने के प्रयोजन के] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४८९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४८९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री एम० सी० शाह : खण्ड ५१६ को छोड़ कर, जो रोका जाने को है, खण्ड ४९० से ५३९ को एक साथ रखा जा सकता है ।

सभापति महोदय : पहले हम ४९० से ५१५ को लें । मैं समझता हूं कि खण्ड ४९९ और ५०० के संशोधनों पर आग्रह नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४९० से ५१५ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४९० से ५१५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : खण्ड ५१६ आगे के लिये रोक लिया जाता है ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५१७ से ५२६ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५१७ से ५२६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११३७ और ११३८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५२७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५२७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५२८ से ५३९ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५२८ से ५३९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २५३, पंक्ति ४२,

"or liquidator, or any officer" [या परिसमापक या कोई पदाधिकारी] के स्थान पर "liquidator or officer" [परिसमापक या पदाधिकारी] रखा जावे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११३० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५४० संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५४०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५४१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५४१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११३१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदव : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५४२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५४२ विधयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५४३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५४३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : नये खण्ड ५४३-क के लिये एक सरकारी संशोधन है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २५६,

पंक्ति २५ के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"543A. Notification that a company is in liquidation.—

(1) Where a company is being wound up, whether by or under the supervision of the court or voluntarily every invoice, order for goods or business letter issued by or on behalf of the company or a liquidator of the company, or a receiver or manager of the property of the company, being a document on or in which the name of the company appears, shall contain a statement that the company is being wound up.

(2) If default is made in complying with this section, the company and any of the following persons who wilfully authorises or permits the default, namely, any officer of the company, any liquidator of the company and any receiver or manager, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees."

["५४३-क. अधिसूचना कि समवाय का परिसमापन हो रहा है—

(१) जब किसी समवाय का चाहे न्यायालय द्वारा या उसके अधीक्षण में या स्वतः, परिसमापन हो, तो समवाय या समवाय के एक परिसमापक या समवाय की सम्पत्ति के एक आदाता या प्रबन्धक द्वारा या की ओर से प्रेषित प्रत्येक बीजक, माल के लिये आर्डर या व्यापारिक पत्र में, जो एक ऐसा दस्तावेज होगा, जिसमें समवाय का नाम आता है, यह विवरण निविष्ट रहेगा कि समवाय का परिसमापन हो रहा है ।

(२) यदि इस धारा के पालन में चूक होती है, तो समवाय या निम्न व्यक्तियों में से कोई, अर्थात्, समवाय का एक पदाधिकारी, समवाय का कोई परिसमापक और कोई आदाता या प्रबन्धक, जो इच्छापूर्वक चूक अधिकृत करता है, या उसकी आज्ञा देता है,

अर्थदण्ड से दण्ड्य होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड ५४३-क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५४४ के संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५४४ से ५५१ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५४४ से ५५१ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : नये खण्ड ५५१-क के लिये एक सरकारी संशोधन है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २६०,

पंक्ति २६ के बाद यह जोड़ दिया जावे :

"*551A. Enforcement of duty of liquidator to make returns etc.*

(1) If any liquidator who has made any default in filing, delivering or making any return, account or other document, or in giving any notice which he is by law required to file, deliver, make or give, fails to make good the default within fourteen days after the service on him of a notice requiring him to do so, the Court may, on an application made to the court by any contributory or creditor of the company or by the Registrar, make an order directing the liquidator to make good the default within such time as may be specified in the order.

(2) Any such order may provide that all costs of and incidental to the application shall be borne by the liquidator.

(3) Nothing in this section shall be taken to prejudice the operation of any enactment imposing penalties on a liquidator in respect of any such default as aforesaid."

५५१-क. विवर भेजने आदि के परिसमापक के कर्त्तव्य का प्रवर्तन–

(१) यदि कोई परिसमापक, जिसने कोई विवरण, लेखा या अन्य दस्तावेज दायर करने, भेजन या देन में, या कोई ऐसी सूचना देने में, जो दायर करना, भेजना या देना उसके लिये विधि द्वारा अपेक्षित है, कुछ चूक की है, उसे ऐसा करने की सूचना दिये जाने के बाद चौदह दिन के अन्दर उसे ठीक नहीं करता तो न्यायालय समवाय के किसी अंशदाता या उत्तमर्ण या पंजीयक के न्यायालय को आवेदन करने पर, एक आदेश दे सकता है, जिसमें परिसमापक को आदेश में दिये गये समय में उस चूक को ठीक करने का निदेश दिया गया हो ।

(२) ऐसे किसी भी आदेश में यह उपबन्ध हो सकता है कि आवेदन के और उससे आनुषंगिक सभी व्यय परिसमापक को देने पड़ेंगे ।

(३) इस धारा की कोई बात पूर्वोक्त प्रकार की किसी चूक के सम्बन्ध में परिसमापन के ऊपर दण्ड विहित करने वाले किसी अधिनियम के प्रवर्तन में बाधा डालती हुई न मानी जायेगी ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड ५५१-क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५५२ और ५५३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५५२ और ५५३ विधयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २६१, पंक्ति १४,

"Where a company has been dissolved" [जब एक समवाय विघटित हो गया है] के बाद "Whether in pursuance of this part or of section 293 or otherwise" [चाहे इस भाग के या धारा २९३ के अनुसरण में या अन्यथा] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५५४ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५५४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११३२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५५५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५५५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

इस के पश्चात लोक-सभा गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—294 LSD—17-9-56